खण्ड-407, अंक-1
बुधवार, 6 कार्तिक, शक संवत् 1914
(28 अक्टूबर, 1992 ई0)

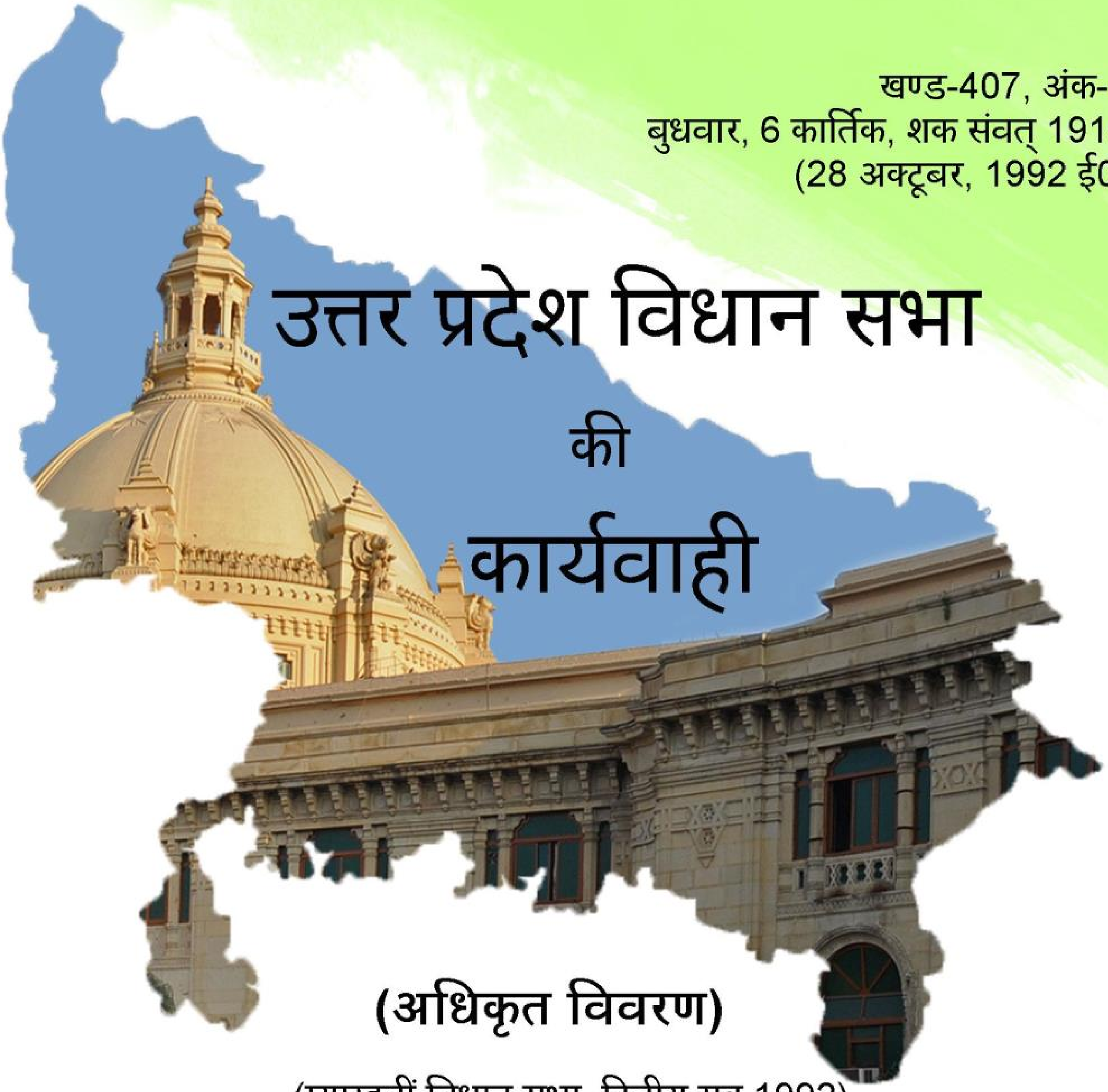

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1992)

खण्ड 407 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	क–ट
उपस्थित सदस्य	ड
राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्'	1
प्रश्नोत्तर	1–71
विधान सभा के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री हरनारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार	71–81
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री शीतलादीन द्विवेदी, प्रताप बहादुर सिंह, राम दुलारे मिश्र, राम सूरत सिंह, इन्द्रपाल सिंह, महावीर सिंह, ओबेदुर्रहमान खान शेखानी, सुगन चन्द्र मजदूर, रामरूप सिंह, उमाकान्त बाजपेयी, रघुराज सिंह, अनिल कुमार भारद्वाज, मकबूल अहमद, चौधरी नौनिहाल सिंह, श्रीमती विद्यावती राठौर, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, जियाउर्रहमान अंसारी, राम अनन्त पाण्डेय तथा श्री काजी कलीमुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार ...	82–96
भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन तथा आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल के निधन पर शोकोद्गार	97–107
नत्थियां	108–119

विधान सभा प्रदेश उत्तर

विद्यान सभा पटेरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद सिंह यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3–अखिलेश, श्री — महराजगंज
4–अछैबर लाल, श्री — बहराइच
5–अभय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
7–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
8–अनिल कुमार तिवारी, श्री — फैजाबाद
9–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
10–अब्दुल ए० सलाम, श्री — आजमगढ़
11–अभिमन्यु सिंह, श्री — फतेहपुर
12–अमर नाथ यादव, श्री — वाराणसी
13–अमर सिंह, श्री — बिजनौर
14–अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री — मऊ
15–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
16–अरविन्द कुमार, डा० — ललितपुर
17–अरविन्द प्रताप सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
18–अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
19–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
20–अरजुन , श्री — सुल्तानपुर
21–अवध पाल सिंह, श्री — एटा
22–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
23–अशोक कुमार, श्री — लखनऊ
24–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
25–अशोक दुबे, श्री — इटावा
26–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
27–इजहार आलम खां, श्री — फर्रुखाबाद
28–इन्द्र देव सिंह, श्री — बिजनौर
29–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
30–इम्तियाज अहमद, श्री — मऊ
31–इस्लाम साबिर, श्री — बरेली
32–उदय प्रताप, श्री — गाजीपुर
33–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
34–उमानाथ, श्री — जौनपुर
35–उम्मेद सिंह, श्री — आगरा
36–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
37–ऊदल, श्री — वाराणसी
38–ओंकार सिंह, श्री — एटा
39–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
40–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
41–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
42–ओम प्रकाश, श्री — फतेहपुर
43–ओम प्रकाश, श्री — बिजनौर
44–ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
45–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
46–कंवर पाल मास्टर, श्री — सहारनपुर
47–कटार सिंह, श्री — मेरठ
48–कप्तान सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
49–कमल नयन वर्मा, श्री — रायबरेली
50–कमलेश कुमार, श्री — गोण्डा
51–कल्पनाथ, श्री — आजमगढ़
52–कल्याण सिंह, श्री — अलीगंढ़
53– कासिम हसन सैय्यद, श्री — फतेहपुर
54–किशन गोपाल, श्री — आगरा
55–किशन लाल, श्री — पीलीभीत

56–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
57–किशोरी लाल यादव, श्री — जौनपुर
58–किशोरी लाल, श्री — सीतापुर
59–किशोरी श्याम, श्री — मथुरा
60–कुंवर रेवती रमण सिंह, उर्फ मणि जी, श्री — इलाहाबाद
61–कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
62–कृष्ण कुमार, श्री — फतेहपुर
63–कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री — इटावा
64–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
65–कृष्ण चन्द्र, श्री — पिथौरागढ़
66–कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
67–कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
68–कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री — बदायूं
69–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71–केशव सिंह, श्री — जालौन
72–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
73–कोविद कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74–खालिद गौरी, श्री — हरदोई
75–गंगा बक्श सिंह, श्री — उन्नाव
76–गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
77–गन्धर्व सिंह, श्री — मैनपुरी
78–गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
79–गामाराम शास्त्री, श्री — गाजीपुर
80–गिरधारी, श्री — गाजीपुर
81–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
82–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
83–गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
84–गोमती प्रसाद, श्री — लखनऊ
85–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
86–घुरहू, श्री — बलिया
87–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
88–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
89–चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
90–चरन सिंह, श्री — मेरठ
91–छक्की लाल, श्री — इटावा
92–छत्रपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
93–छब्बू, श्री — वाराणसी
94–छेदी लाल, श्री — गोण्डा
95–छोटे लाल मिश्र, श्री — हमीरपुर
96–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
97–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
98–जगदीश मुनि आचार्य, श्री — हरिद्वार
99–जगदीश सिंह, श्री — सहारनपुर
100–जगराम सिंह यादव, श्री — कानपुर नगर
101–जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
102–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
103–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थ नगर
104–जागेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, श्री — फतेहपुर
105–जाहिद हुसैन, श्री — मुरादाबाद
106–जी० एस० विनोद, डा० — मुजफ्फरनगर
107–जे० पी० सिंह मेजर, श्री — मुरादाबाद
108–जैदान सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
109–ज्ञान चन्द्र, श्री — उत्तरकाशी
110–ज्ञानवती सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
111–ज्ञानेन्द्र, श्री — महराजगंज
112–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
113–ज्वाला प्रसाद, श्री — रामपुर

114–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
115–छाऊ लाल यादव, श्री — फिरोजाबाद
116–ठाकुर पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
117–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल,श्री — गोरखपुर
118–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
119–तुलसी दास, श्री — गोण्डा
120–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
121–तेज नारायन त्रिवेदी, श्री — लखीमपुर खीरी
122–तेजपाल, श्री — हरिद्वार
123–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
124–त्रिवेनी, श्री — फैजाबाद
125–दयाराम वर्मा, श्री — हरदोई
126–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
127–दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
128–दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
129–दिनेश जौहरी, डा० — बरेली
130–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
131–दीना नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
132–दीप लाल भारती, श्री — देवरिया
133–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
134–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
135–दुलारे लाल, श्री — मिर्जापुर
136–देवेन्द्र पाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह,श्री — कानपुर देहात
138–दौलत राम, श्री — सीतापुर
139–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थ नगर
140–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
141–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
142–नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
143–नन्द राम, श्री — बरेली
144–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
145–नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
146–नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
147–नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
148–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
149–नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
150–नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
151–नवाब सिंह, श्री — मथुरा
152–नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री — बांदा
153–नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
154–निर्वेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
155–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
156–नीलम सिंह, श्रीमती — बहराइच
157–नेतराम, श्री — शाहजहांपुर
158–नेतराम सिंह, श्री — एटा
159–पतिराज, श्री — आजमगढ़
160–पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
161–परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री — रामपुर
162–पवन कुमार पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
163–पीतम सिंह, श्री — एटा
164–पूरन चन्द्र, श्री — अल्मोड़ा
165–पूरन चन्द्र शर्मा, श्री — अल्मोड़ा
166–पूरन प्रकाश , श्री — मथुरा
167–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
168–पूर्णमासी पंकज, श्री — वाराणसी
169–पृथ्वी सिंह, श्री — हरिद्वार
170–प्यारे लाल संखवार, श्री — कानपुर देहात
171–प्रताप सिंह, श्री — मुरादाबाद
172–प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद

173–प्रमोद कुमार, श्री — पीलीभीत
174–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
175–प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
176–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
177–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
178–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
179–फतेह बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
180–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
181–फागू, श्री — मऊ
182–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
183–बंशीधर राज, श्री — लखीमपुर खीरी
184–बच्ची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
185–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
186–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
187–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
188–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
189–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
190–बसन्त लाल गुप्ता, श्री — लखनऊ
191–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
192–बाबू खां, श्री — हरदोई
193–बाबू राम एम० काम०, श्री — जालौन
194–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
195–बाबू लाल गोयल, श्री — आगरा
196–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
197–बाला प्रसाद, श्री — खीरी
198–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
199–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
200–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
201–बृजभान यादव, डा० — इलाहाबाद
202–बृजराज त्रिपाठी, श्री — बहराइच
203–बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
204–बृजेश कुमार शर्मा, श्री — प्रतापगढ़
205–बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
206–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
207–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
208–भगवन्त प्रसाद, श्री — इलहाबाद
209–भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
210–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
211–भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
212–भरत सिंह, श्री — बलिया
213–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
214–भागीरथी, श्री — इलाहाबाद
215–भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री — जालौन
216–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
217–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
218–भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
219–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
220–मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री — फैजाबाद
221–मदन भइया, श्री — मेरठ
222–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
223–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
224–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
225–मस्तराम, श्री — उन्नाव
226–महक सिंह, श्री — मेरठ
227–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
228–महावीर सिंह, श्री — बिजनौर
229–महावीर सिंह, श्री — हरदोई
230–महेन्द्र जैन, श्री — मेरठ

231-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
232–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
233-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — इलाहाबाद
234–महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — अलीगढ़
235–महेन्द्र सिंह भाटी, श्री — गाजियाबाद
236–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
237–माधव, श्री — एटा
238–मामचन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द, श्री — सहारनपुर
239–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
240–मारकण्डेय, श्री — बलिया
241–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
242–मिही लाल, श्री — हमीरपुर
243–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
244–मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
245–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
246–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थ नगर
247–मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
248–मोहम्मद वसीम हाजी, श्री — रायबरेली
249–मोहम्मद हसन एडवोकेट, श्री — सहारनपुर
250–यदुनाथ प्रसाद, श्री — गोरखपुर
251–यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
252–योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
253–रघुराज, श्री — जौनपुर
254–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
255–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
256–रमा कान्त यादव, श्री — आजमगढ़
257–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
258–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
259–रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
260–रमेश पोखरियाल, श्री — गढ़वाल
261–रमेश बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
262–रविकान्त गर्ग, श्री — मथुरा
263–रवीन्द्र प्रताप, श्री — देवरिया
264–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
265–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
266–राज नारायण बिन्द, श्री — जौनपुर
267–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
268–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
269–राजेन्द्र, श्री — बिजनौर
270–राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
271–राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री — मिर्जापुर
272–राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
273–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
274–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
275–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
276–राधेश्याम वर्मा, श्री — बाराबंकी
277–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
278–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
279–राम किशन ददाजू, श्री — फिरोजाबाद
280–राम कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
281–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
282–राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
283–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
284–राम गोपाल वर्मा, श्री — लखीमपुर खीरी
285–राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
286–राम चन्द्र चौधरी, श्री — सुल्तानपुर
287–राम चरित्तर, श्री — बस्ती
288–राम देव आचार्य, श्री — बाराबंकी
289–राम पारस रजक उर्फ नाटे, श्री — जौनपुर
290–राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई

291–राम पाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
292–राम प्यारे आजाद, श्री महराजगंज
293–राम प्यारे शुक्ल, श्री सुल्तानपुर
294–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
295–राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
296–राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
297–राम मूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
298–राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
299–राम लखन , श्री फैजाबाद
300–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
301–राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
302–राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
303–राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
305–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह, श्री हमीरपुर
307–राम सेवक, श्री बदायूं
308–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
309–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
310–राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर देहात
311–रामू प्रियदर्शी, श्री फैजाबाद
312–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
313–रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
314–रूदेन्द्र विक्रम सिंह, श्री बहंराइच
315–लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री बस्ती
316–लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
317–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
318–लाखन सिंह, श्री नैनीताल
319–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
320–लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
321–लाल चन्द, श्री जौनपुर
322–लाल चन्द निषाद, श्री गोरखपुर
323–लाल चन्द्र पाण्डेय, श्री वाराणसी
324–लालजी वर्मा, श्री फैजाबाद
325–लीला राम शर्मा, श्री पिथौरागढ़
326–वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
327–विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
328–विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
329–विजय कुमार त्रिपाठी राजा, श्री लखनऊ
330–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
331–विजय पाल सिंह तोमर, श्री मेरठ
332–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
333–विजय सिंह राणा, श्री आगरा
334–विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
335–विजेन्द्र सिंह, श्री मथुरा
336–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
337–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
338–विशुन दयाल, श्री बहराइच
339–विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
340–विश्वनाथ, श्री देवरिया
341–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
342–वीरेन्द्र सिंह, ठाकुर सहारनपुर
343–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
344–श्याद अली, श्री प्रतापगढ़
345–शारदा चौहान, श्रीमती गाजीपुर
346–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
347–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
348–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349–शिव दर्शन, श्री रायबरेली
350–शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री कानपुर देहात

351–शिव नारायण मिश्र, श्री — प्रतापगढ़
352–शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
353–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
354–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
355–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
356–शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
357–शिव लाल मित्तल, श्री — सिद्धार्थ नगर
358–शिवा कान्त ओझा, श्री — प्रतापगढ़
359–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
360–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
361–श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
362–श्माय बिहारी सिंह, श्री — बरेली
363–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
364–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
365–श्री निवास, श्री — देवरिया
366–श्रीराम, श्री — जालौन
367–श्रीराम, श्री — मऊ
368–श्रीराम चौहान, श्री — बस्ती
369–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
370–सतीश भाटिया, श्री — लखनऊ
371–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
372–सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
373–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
374–सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
375–सन्त श्रीराम द्विवेदी, श्री — फैजाबाद
376–समीउल्ला, श्री — गोण्डा
377–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
378–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
379–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
380–सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
381–सुधाकर वर्मा, श्री — एटा
382–सुधीर, श्री — बलिया
383–सुधीर कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
384–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
385–सुभाष चन्द्र पटेल, श्री — बरेली
386–सुरेन्द्र प्रताप, कुंवर — बरेली
387–सुरेन्द्र नाथ, श्री — बाराबंकी
388–सुरेन्द्र शुक्ला, श्री — देवरिया
389–सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
390–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री — मुजफ्फरनगर
391–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
392–सुरेश प्रताप गांधी, श्री — अलीगढ़
393–सुरेश भारती, श्री — प्रतापगढ़
394–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
395–सुलतान रजा मिर्जा, श्री — जौनपुर
396–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
397–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
398–सोमनाथ शुक्ला, डा० — कानपुर देहात
399–सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
400–सोमारूराम, श्री — जौनपुर
401–स्वामी नाथ यादव, श्री — देवरिया
402–हनुमन्त सिंह, श्री — गोण्डा
403–हरक सिंह रावत, श्री — पौड़ी गढ़वाल
404–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
405–हरद्वार दूबे, श्री — आगरा
406–हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
407–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर

408–हरबंश कपूर, श्री — देहरादून
409–हरी चरन यादव, श्री — सुल्तानपुर
410–हरिनारायण, श्री — बलिया
411–हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
412–हरिशंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
413–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
414–हरिश चन्द्र, श्री — बरेली
415–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
416–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव
417–होराम सिंह भाष्कर, श्री — बुलन्दशहर
418–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी

मंत्रि-परिषद्

1—श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री ।	सामान्य प्रशासन, सूचना, नागरिक उड्डयन, गृह तथा उद्योग ।
2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री
3—श्री लालजी टण्डन	नगर विकास एवं आवास
4—श्री गंगा भक्त सिंह	कृषि
5—श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई एवं ग्राम्य विकास
6—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	ऊर्जा
7—श्री राजनाथ सिंह	माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा
8—श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण एवं महिला कल्याण
9—श्री सत्य प्रकाश विकल	परिवहन, पूर्त धर्मस्व
10—डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा
11—डा० सरजीत सिंह डंग	वन तथा पर्यावरण
12—श्री हनुमन्त सिंह	गन्ना विकास
13—श्री रमापति शास्त्री	राजस्व
14—श्री एजाज रिजवी	कारागार, राजनैतिक पेंशन एवं मुस्लिम वक्फ
15—श्री सुधीर कुमार बालियान	सहकारिता
16—श्री केदार सिंह फोनिया	पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य
17 श्री सूर्य प्रताप शाही	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
18 श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण
19 श्री बाल चन्द्र मिश्र	खाद्य एवं रसद तथा श्रम एवं सेवायोजन
20 श्री गिरीश नारायण पाण्डे	न्याय तथा विधायी
21 श्री दौलत राम	प्रौढ़ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

1–श्री उमानाथ सिंह	पशुधन,.दुग्ध विकास तथा मत्स्य
2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पंचायती राज
3–श्री शिव प्रताप शुक्ल	उद्यान, युवा कल्याण एवं खेलकूद
4–श्री पूरन चन्द्र शर्मा	उत्तरांचल विकास
5 श्री बाबू राम, एम० काम०	आबकारी

राज्य मंत्री

1-श्री धनराज यादव	वन विभाग
2–श्री अमर नाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा
3–श्री मयंकर सिंह	लघु उद्योग
4–श्री रविकान्त गर्ग	संस्थागत वित्त
5–श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति
6–श्री शिव बहादुर	कारागार एवं होम गार्ड
7–श्री हरवंश कपूर	श्रम एवं सेवायोजन
8–श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	नियोजन
9–श्री सूरज सिंह शाक्य	समाज कल्याण
10–श्री बालेश्वर त्यागी	गृह
11–श्रीमती शारदा चौहान	परिवहन
12–डा० अमर सिंह	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
13–श्री अनिल कुमार तिवारी	बेसिक शिक्षा
14–श्री हरक सिंह रावत	पर्यटन
15–श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई
16–श्री रवीन्द्र शुक्ल	1–कृषि 2–कृषि शिक्षा
17–श्री वासुदेव सिंह	ग्राम्य विकास
18–श्री मन्नू लाल कुरील	लोक निर्माण
19–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला	सहकारिता
20–श्री अम्बिका सिंह	1–गन्ना विकास 2–चीनी मिलें

उप मंत्री

1–श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध विकास
2–श्री पतिराज	पंचायती राज
3–श्री बैजनाथ रावत	ऊर्जा
4–श्री बच्ची सिंह रावत	राजस्व
5–श्री राजेन्द्र सिंह	सांस्कृतिक कार्य

अविलम्ब प्रदर्शन

नेता विरोधी दल

कुंवर रेवती रमण सिंह, उर्फ मणि जी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

श्री राम आसरे वर्मा

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री माया शंकर पाठक, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी)

2–श्री अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा (बदायूं)

3–श्री सत्यदेव पचौरी, सदस्य, विधान सभा, (कानपुर नगर)

4–श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य, विधान सभा (फर्रुखाबाद)

5–श्री विश्राम दास, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

6–श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा, (उन्नाव)

7–श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

8–श्री मोहम्मद हसन, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

9–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुद्रण प्रतिबंधित सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अभय प्रताप सिंह, उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	निर्वेन्द्र कुमार, श्री	खीरी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	बाबू खां, श्री	हरदोई
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	मदन भैया, श्री	मेरठ
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ऊदल, श्री	वाराणसी	मारकण्डेय, श्री	बलिया
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
कृष्ण कुमार उर्फ	इटावा	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
के० के० राज, श्री		राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
दिनेश जौहरी, डा०	बरेली	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव उर्फ	बुलन्दशहर	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
डी० पी० यादव, श्री		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

विधान सभा
प्रदेश पटेश्वर

बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992

(विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुआ ।)

राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्'

(सदन की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के आगमनोपरान्त राष्ट्रीय गीत से प्रारम्भ हुई ।)

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम् ।
सुफलाम् ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित-यामिनीम् ।
फुल्ल-कुसुमित, द्रुमदल-शोभिनीम् ।
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1–श्री भोला सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री अजय सिंह, तात्कालिक महाप्रबन्धक, कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई, लखनऊ पर भ्रष्टाचार का आरोप

*2–श्री पूरन प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री अजय सिंह, रेजीडेण्ट इंजीनियर, लेसू जब वे पूर्व में महाप्रबन्धक, कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई, लखनऊ थे, को हजरतगंज पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी

नोट :–प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

विधान सभा

यह भी बतायेंगे कि श्री अजय सिंह, रेजीडेण्ट इंजीनियर, लेसू ने वर्ष 1990-91 में प्रिन्स सिनेमा काम्पलेक्स, टाटा कान्सल्टेंसी, कृष्णा मेडिकल सेन्टर, हार्ट सेन्टर, मदर केयर जैसे बहुखण्डी भवनों का स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग करते हुए पाये जाने पर तीन गुना पहले जुर्माना किया, बाद में इन्हीं भवनों का मात्र कुछ सौ रुपये जुर्माना के साथ भार बढ़ा दिया ? यदि हां, तो इसमें राज्य विद्युत परिषद् को कितने रुपये की क्षति हुई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

जी हां ।

विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की गयी जांच में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी रेनूसागर के ऐशडेम में छोड़े गये राख व पानी से हो रहे रिसाव के कारण हुई क्षति तथा उसके रोके जाने की व्यवस्था की मांग

*3–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी रेनूसागर के ऐशडेम में छोड़े जा रहे राख और पानी जो गांव की सतह से सैकड़ों फुट ऊंचा है, के जल-रिसाव से ग्राम परासी के सैकड़ों घर गिर गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको कम्पनी से उचित क्षति-पूर्ति दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जल रिसाव रोकने के लिये सरकार स्थायी व्यवस्था करवायेगी ?

सिंचाई एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[बुधवार, दिनांक 28 अक्तूबर, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

कृषि सेवा वर्ग-1 (विकास) में जुलाई, 1991 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की जानकारी एवं अनुसूचित जाति/जन जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

*2–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (विकास) में जुलाई, 1991 को कुल कितने व्यक्ति कार्यरत थे ? उनमें से कितने लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये और कितने सीधी भर्ती से ? इन पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के थे ? क्या यह सही है कि उक्त वर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (विकास) में जुलाई, 1991 को 623 सदस्य कार्यरत थे ।

31 सदस्य उ० प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 88 सदस्य कृषि निदेशक द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये ।

125 पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के थे ।

जी हां ।

वर्तमान में वर्ग–1 के पदों को वर्ग–2 के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है । वर्ग-2 की ज्येष्ठता सूची विवादित होने के कारण फिलहाल प्रोन्नतियों का कार्य अवरुद्ध है । इसके शीघ्र समाधान का प्रयास किया जा रहा है ।

अदालतों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु शासन में विचाराधीन योजना

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालतों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री गिरीश नारायण पाण्डेय)–

जी हां ।

अदालतों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय की सहमति से ''पं० दीन दयाल उपाध्याय हिन्दी निर्णय पुरस्कार'' योजना चलाई जा रही है ।

जनपद लखनऊ के इन्द्रलोक विद्युत कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों का समाधान

*4–श्री रवीन्द्र प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न सं० 44 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन आवासों की छतों में मामूली सीलन थी ? छतें कब ठीक करा दी गयी हैं ? सीलन होने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि निर्मित आवासों के प्लास्टर आदि उखड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि टाईप 4 आवास कब तक पूर्ण हो जायेगा ? टाईप 1, 2, 3, 4 आवासों में निर्माण में प्रति आवास कितना व्यय किया गया है तथा उनमें कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आवास संख्या 11/77, 11/78, 11/83, 11/84, 11/125, 11/126, 11/131 एवं 11/132 भवनों में मामूली सीलन थी जो कि माह अक्तूबर, 91 में सही करा दी गयी थी । सीलन होने का कारण छतों से निकले निकास पाइपों का पत्तियों कागजों आदि के कारण बन्द होना था । यह सही नहीं है कि निर्मित आवासों के प्लास्टर उखड़ रहे हैं । टाइप 3 एवं 4 आवास धन की उपलब्धि न होने के कारण पूर्ण नहीं

हो पाये । धन की उपलब्धता के उपरान्त इनके पूर्ण होने में लगभग तीन माह का समय लगेगा । टाइप 1, 2, 3 एवं 4 के निर्माण में प्रति आवास लगभग क्रमशः 0.46, 0.69, 0.93 एवं 1.68 लाख का व्यय हुआ तथा टाइप I में दो कमरे, एक बाथरूम, एक शौचालय, एक रसोईघर, पानी एवं बिजली, टाइप II में दो कमरे, एक किचन, एक बाथरूम, एक शौचालय, पानी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध है । टाइप III एवं टाइप IV भवन अभी अपूर्ण हैं । टाइप–III आवास में 3 कमरे, एक रसोई, एक स्नानगृह, एक शौचालय एवं टाइप चतुर्थ में तीन कमरे (दो शयन कक्ष, एक बड़ा ड्राइंग-डाइनिंग, कक्ष) एक स्कूटर गैराज, दो टायलेट, एक रसोई का प्राविधान है तथा कार्य पूर्ण होने पर पानी, विद्युत आपूर्ति, जल-मल निस्तारण आदि की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

प्रदेश में गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षकों की निर्धारित वरिष्ठता की उपेक्षा कर मुख्यालय के अधिकारियों को गन्ना निरीक्षक पद पर प्रोन्नति देने का मामला

*5–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिवपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को क्रम की अवहेलना करके मुख्यालय के वरिष्ठ जानकारी है कि गन्ना विकास विभाग में प्रदेश स्तर पर गन्ना विकास निरीक्षकों की निर्धारित वरिष्ठता अधिकारियों द्वारा ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के पदों पर पिछले वर्षों में की गयी पदोन्नति से गन्ना विकास निरीक्षकों में बड़े पैमाने पर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में विगत सत्र में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

*6–श्री दलवीर सिंह–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद एटा की कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अलीगंज के 9 सम्पर्क मार्गों का बनाये जाने विषयक, निदेशक को पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

*7–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-92, जो निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ के नाम संबोधित है और जिसमें जनपद एटा की कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अलीगंज में 9 मार्ग बनाने हेतु दिया था पर आज तक कोई कार्यवाही हुई है ? क्या मण्डी समिति के पास धन उपलब्ध है ? उक्त पत्र के माध्यम से क्या अब कार्यवाही करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

9 सम्पर्क मार्गों में से 8 सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति परिषद् पत्र दिनांक 14-7-92 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । शेष एक सम्पर्क मार्ग "धुमरी से खिरिया-खवां" लम्बाई 3 कि० मी० के मध्य एक बड़ा नाला होने तथा उस पर पुल का निर्माण न होने के कारण इसकी स्वीकृति पर वर्तमान में विचार नहीं किया गया है ।

जी हां ।

कार्यवाही की जा चुकी है ।

*8–श्री सैय्यद कासिम हसन–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 158 द्वारा उत्तरित]

*9–श्री राम पाल सिंह सैनी–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

हैदर कैनाल नाले की सफाई कराये जाने की मांग

*10–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री शिव नारायण मिश्र–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे बुधवार के ता० प्र० संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि प्रश्नगत हैदर कैनाल को सिंचाई विभाग द्वारा नगरमहापालिका, लखनऊ को कब अंतरित किया गया और उसकी मरम्मत के लिये किन-किन विभागों से विचार-विमर्श चल रहा है तथा क्या इसकी मरम्मत की कार्यवाही वर्ष 1992 के दशहरे के पर्व से पूर्व हो जायेगी ? उक्त नाले की मिट्टी के कटाव से जिन भवनों को खतरा उत्पन्न हो रहा है क्या उसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत हैदर कैनाल को सिंचाई विभाग द्वारा नगरमहापालिका, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं किया गया है । यह नगरमहापालिका की सम्पत्ति है । हैदर कैनाल (नाला) के प्रश्नगत भाग की मरम्मत की कार्यवाही के संबंध में नगर विकास एवं सिंचाई विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श होने का प्रस्ताव है, जिसके कारण मरम्मत की कार्यवाही अभी नहीं हुई है । नाले की मिट्टी के कटाव से उत्पन्न स्थिति की जांच अभी नहीं करायी गयी है ।

संबंधित विभागों से विचार-विमर्श के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों/अवर अभियन्ता/लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थानान्तरण संबंधी आधारभूत सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाना

*11–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों/अवर अभि०/लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1992-93 में इसका अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु यद्यपि परिषदादेश संख्या–288-जीएसईबी–कार्मिक-1-87-ए-I/70, दिनांक 6-2-1986 द्वारा नीति निर्धारित है परन्तु 1992-93 में स्थानान्तरण हेतु विस्तृत मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ।

परिषद् के अवर अभियंताओं/लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु अलग से कोई स्थानान्तरण नीति नहीं बनायी गयी है अपितु स्थानान्तरण संबंधी आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ।

सदन के पटल पर रखने हेतु स्थानान्तरण संबंधी सिद्धान्तों की प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।†

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1992-93 में अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति हेतु निर्धारित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त के अनुसार स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध–

1–सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही उस दशा में की जायेगी जबकि वे स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेंगे ।

2–नियत अवधि में स्थानान्तरण आदेशों के अनुसार नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में सी० सी० ए० रूल्स के नियम–49 (ए) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाआवश्यक निलम्बन के संबंध में विचार कर समुचित कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है ।

जनपद लखनऊ के जियामऊ ग्राम में सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप न लगाये जाने की शिकायत

*12–श्री अजय प्रताप सिंह तथा श्री राम सरन (खीरी)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के जियामऊ ग्राम में सिंचाई विभाग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था हेतु नलकूप की बोरिंग की गयी है ? क्या सिंचाई विभाग को उक्त नलकूप पर वहां के निवासियों के पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक) बनवाने व पाईप लाइन बिछाने संबंधी अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु उक्त नलकूप की बोरिंग से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु कोई पत्र नगर विकास विभाग से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नलकूप की बोरिंग से संबंधित समस्त अभिलेख/विवरण नगर विकास विभाग को उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि डेढ़ वर्ष पूर्व कराये गये नलकूप की बोरिंग से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराने में लगभग एक वर्ष से जो विलम्ब सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस विलम्ब के लिये दोषी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, जियामऊ में एक नलकूप का छिद्रण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था । इस संबंध में महाप्रबन्धक, जल निगम, लखनऊ से कालान्तर में प्राप्त पत्र दिनांक 9-4-92 की अपेक्षानुसार इस नलकूप की बोरिंग से संबंधित अभिलेख जल निगम को दिनांक 13-10-1992 को प्राप्त करा दिये गये हैं । सचिव, नगर विकास विभाग का पत्र भी इस नलकूप को पेयजल हेतु जनोपयोगी बनाये जाने के संबंध में मई, 92 में प्राप्त हुआ था । नलकूप की बोरिंग से संबंधित अभिलेख को जल निगम को हस्तानान्तरित करने में लगा समय इस बारे में आवश्यक सूचनायें व औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिये अपेक्षित था, जिसके लिये किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है ।

नोटः–† सदन के पटल पर रख दी गयी ।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला नैनीताल की एम० एस-सी० अंतिम वर्ष की छात्रा कु० अनुभा गुप्ता की हत्या के मामले की जांच

*13–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि 7 अगस्त, 1986 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, जिला नैनीताल के एम० एस-सी० अंतिम वर्ष की प्रतिभाशाली छात्रा कु० अनुभा गुप्ता हत्याकाण्ड की जांच हेतु शासन द्वारा गठित कु० अनुभा गुप्ता आयोग ने जांच प्रक्रिया पूर्ण कर जांच आख्या 31 जुलाई, 1990 को शासन को हस्तगत कर दिया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कु० अनुभा गुप्ता की हत्या काण्ड की नहीं परन्तु "कु० अनुभा गुप्ता जांच आयोग" जिसका गठन दिनांक 3 अक्तूबर, 1986 को कु० अनुभा गुप्ता की मृत्यु की परिस्थितियों एवं कारणों की जांच हेतु किया गया था, की रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई, 1990 को शासन को प्राप्त हो गयी है । यह रिपोर्ट अत्यन्त विस्तृत है इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध थाना लाल कुआं, जनपद नैनीताल में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है । प्रमुख आरोपित व्यक्ति डा० महराज सिंह को विश्वविद्यालय ने निलम्बित कर दिया था । विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् ने डा० महराज सिंह के निलम्बन अवधि का वेतन नहीं दिया साथ ही उनकी एक वर्षीय वेतन वृद्धि सदैव के लिये रोक दी है । शेष विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी के दो डाक्टरों को तत्समय निलम्बित कर दिया गया था एक डाक्टर को विभागीय कार्यवाही में बहाल कर दिया गया है एक डाक्टर अभी भी निलम्बित है उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के नलकूप मण्डल द्वारा नलकूपों की मोटर तथा पम्प सेटों को बाजार में बंधवाने एवं मरम्मत कराये जाने का मामला

*14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के द्वारा राजकीय नलकूपों को मोटर तथा पम्प सेटों को बाजार में बंधवाने तथा मरम्मत कराने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा 1-4-90 से 31-3-92 तक खण्डवार कितनी मोटरें बाजार में बंधवाई गयीं तथा उस पर कितना व्यय हुआ और इस हानि के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नलकूप मण्डल, बरेली में वर्ष 1990-91 में नलकूप खण्ड-प्रथम बरेली में 62 मोटरों को बाजार में बंधवाने पर 0.31 लाख रु० और नलकूप खण्ड-प्रथम, बदायूं में 44 मोटरों पर 0.22 लाख रुपये व्यय हुए । वर्ष 91-92 में नलकूप खण्ड-प्रथम व द्वितीय, बरेली में क्रमशः 26 व 31 मोटरों पर 0.18 व 0.15 लाख रु० और नलकूप खण्ड-प्रथम व द्वितीय, बदायूं में 40 व 23 मोटरों पर क्रमशः 0.20 व 0.10 लाख रुपये तथा नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में 12 मोटरों पर 5 हजार रुपये व्यय हुए ।

वर्ष 90-91 में मोटरों को बाजार में बंधवाने का कार्य मण्डल में मिस्त्रियों की हड़ताल जो कि 10-12-90 से 23-10-1991 तक रही, के कारण और वर्ष 91-92 में माह अगस्त, 91 में खण्डों के पुनर्गठन एवं सूखे की स्थिति के समय तथा इसके बाद 6-2-92 से 12-3-92 तक अवर अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण अधीक्षण अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके जली मोटरें बंधवाने का आवश्यक कार्य बाजार से लोक-हित में अपरिहार्य परिस्थितियों के अन्तर्गत नियमानुसार करवाया गया है और वस्तुतः कोई हानि नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कतिपय चीनी मिलों को वर्ष 1992 से चालू न किये जाने के कारणों की जानकारी

*15–श्री ऊदल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसूलपुर सहारनपुर साकुम्भरी सहारनपुर, बितावी मुजफ्फरनगर, मलकपुर मेरठ, अगौता बुलन्दशहर, मलावरीव असमौली मुरादाबाद, जसवंतनगर मैनपुरी, रूपानगर हरदोई, रामगढ़ सीतापुर, कालाकांकर प्रतापगढ़, शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, निचलौल महराजगंज, धुरियापार गोरखपुर, जेवर बुलन्दशहर, रौजागांव बाराबंकी की निर्माणाधीन चीनी मिलें 92 के सीजन में पेराई करने लगेगीं ? इनके विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रश्नगत चीनी मिलों में से तितावी, धुरियापार तथा रोजागांव की चीनी मिलों द्वारा सत्र 1992-93 में पिराई कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

मलकपुर अर्थात् मंझावली, अगौता, असमौली, जसवन्तनगर, रामगढ़, निचलौल की प्रस्तावित चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं, उद्यमियों द्वारा वांछित कार्यवाही न करने के कारण इनका निर्माण कार्य अपूर्ण है, अतः प्रश्नगत सत्र में इनका पिराई कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना नहीं है। मैनपुरी, रसूलपुर, शाकुम्भरी तथा रूपापुर में चीनी मिल स्थापित हेतु उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ को आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, आर्थिक कठिनाइयों के कारण जिनका निर्माण अभी नहीं हो सका है। कालाकांकर तथा शोहरतगढ़ में चीनी मिल स्थापना के लिये निजी क्षेत्र में दिये गये आशय पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

आगरा मण्डल में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का शासन का प्रस्ताव

*16–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा मंडल व उसके आसपास के जनपदों के अन्तर्गत स्थित कृषि क्षेत्र की जलवायु, भूमि संरचना, सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता आदि के पंतनगर व कानपुर से भिन्न होने के कारण आगरा में कृषि विकास के विशेष अध्ययन हेतु एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो गत वर्षों से अब तक इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही तथा इस विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट और केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय, विचपुरी, आगरा को कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में शासन द्वारा भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त यह सूचित किया गया कि संदर्भित प्रस्ताव पर सहमति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में अड्डा गोपीनाथ से लेकर पक्की पुलिया तक बरसाती नाले पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

*17–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि शहर मैनपुरी में आगरा रोड के किनारे पर अड्डा गोपीनाथ से लेकर पक्की पुलिया तक करीब 1 फर्लांग तक बना बरसाती नाले पर अवैध कब्जा कर पाट दिया गया है जिससे बरसाती पानी न निकलने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन जल मग्न होने एवं बहुत से मकान गिरने की सम्भावना हो गयी है ? क्या सरकार नाले पर हुए अवैध अवरोध को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में इंगित नाला सिंचाई विभाग से संबंधित नहीं है । अतः सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

इस संबंध में नगरपालिका, मैनपुरी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

*18–श्री फरीद महफूज किदवई–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में रौसाल नाम की सिंचाई नहर का निर्माण न किया जाना

*19–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में रौसाल सिंचाई नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष से आरम्भ किया गया ? उस पर कितनी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है ? नहर के टेल तक पानी कब तक पहुंचाया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि नहर निर्माण के नाम पर विभागीय अभियन्ताओं ने गम्भीर अनियमिततायें की हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में रोसाल नाम की सिंचाई नहर का निर्माण नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के रहीमनगर को बाढ़ से बचाने के लिये कुकरैल पर बांध बनाये जाने में हो रही अनियमितता की जानकारी

*20–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र रहीमनगर को बाढ़ से बचाने हेतु कुकरैल बांध के बाएं तट के निर्माण हेतु कुल 85.48 लाख रुपये शासन द्वारा स्वीकृत

किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह वर्ष 1992 के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । रहीमनगर कुकरैल नाले के दायें तट पर स्थित है । कुकरैल नाले की बाढ़ से रहीमनगर आदि क्षेत्रों को बचाने हेतु रु० 466.60 लाख की एक योजना "एक्सटेंशन आफ मार्जिनल एम्बैकमेण्ट आन राइट बैंक आफ कुकरैल नाला एण्ड कान्सट्रक्टिंग सगरा नाला कट" के नाम से टी० ए० सी० द्वारा स्वीकृत है । इस परियोजना पर वर्ष 1991-92 तक रु० 66.70 लाख मात्र एवं वर्ष 1992-93 में अब तक रु० 1.50 लाख ही आवंटित हुआ है ।

जी नहीं ।

पर्याप्त धन एवं भूमि उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से आज तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत कराने में खर्च हुई धनराशि का विवरण

1–श्री शिवलाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से आज तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत कराने पर कितनी धनराशि किस-किस खण्ड को किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गयी है ? क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से वर्ष 1992-93 के माह सितम्बर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत पर खण्डानुसार आवंटन निम्नवत् है :–

खण्ड तथा कार्य का नाम	वर्षवार आवंटन की धनराशि			
	1989-90.	90-91.	91-92.	92-93
ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर–				
बांधों का निर्माण	1.25	26.00	10.00	39.20
बांधों की मरम्मत	41.00	43.00	25.00	44.16
बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत	28.25	6.20	18.75	---
सिंचाई निर्माण खण्ड, बस्ती–				
बांधों का निर्माण तथा कटाव निरोधक कार्य	6.00	8.80	11.00	13.60
बांधों की मरम्मत	5.98	9.25	14.58	20.00
बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत	11.00	3.00	2.85	—

सत्यापन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना आयुक्त के विरुद्ध अनियमितता भ्रष्टाचार आदि की शिकायत एवं जांच

2–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को अपर गन्ना आयुक्त के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके गलत एवं अनियमिततापूर्ण प्रोन्नति करने, दवाओं की खरीद में घोटाला करने आदि आरोपों से संबंधित पत्र जुलाई, 91 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी और शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के चांदा क्षेत्र के विकास खण्ड भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर, कमैचा से होकर जाने वाली रजबहा माइनर की खुदाई आदि में किये गये खर्च की जानकारी

3–श्री फतेहबहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र-चांदा के अर्न्तगत विकास खण्ड भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर, कमैचा से होकर कितनी चौड़ी डिवाई रजबहा माइनर, कितने किलोमीटर की परिधि में निकाली गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1991 में रजबाहों डिवाई माइनरों की कितनी बार सफाई हुई ? कितना-कितना धन व्यय हुआ ? कितनी घन फिट मिट्टी निकाली गयी व किसके माध्यम से ? क्या उनके नाम व पतों के साथ माइनरों के विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1991 में नहरों की सफाई केवल अभिलेखों में ही की गयी ? क्या पानी हेड से टेल तक पहुंचा नहीं ? क्या किसानों की फसल सूखने के बावजूद भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद बांदा के केन नहर प्रखण्ड, बांदा में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उनके कार्य की जानकारी

5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरण दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन-खण्ड, बांदा, जनपद बांदा में वर्तमान समय में कितने व्यक्ति मस्टर रोल पर विभाग में कार्यरत हैं ? उसके नाम व पते क्या हैं एवं दीन दयाल योजना के अन्तर्गत किन-किन बेरोजगार ग्रामों के किन-किन नवयुवकों को रोजगार में मस्टर रोल पर लगाया गया है ? क्या यह सत्य है कि मस्टर रोल पर क्षेत्र से बाहर के लोगों को लगा कर अपने गृह जनपद में लोगों को अपने आवास पर सेवा हेतु लगाया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केन नहर प्रखण्ड, बांदा, जनपद बांदा में फरवरी, 1992 में 32 व्यक्ति मस्टर रोल पर कार्यरत थे। मस्टर रोल पर कार्यरत व्यक्तियों के नाम व पते की सूची संलग्न है। सूची में उल्लिखित व्यक्ति दीन दयाल योजना के अन्तर्गत नहीं रखे गये थे।

केन नहर प्रखण्ड, बांदा में मस्टर रोल पर कार्यरत व्यक्ति बांदा जनपद के थे। सूची में अंकित व्यक्ति मस्टर रोल पर कालोनी स्टोर एवं निरीक्षण भवनों आदि के रख-रखाव हेतु रखे गये।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 108-109 पर)

जनपद देवरिया की छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट तथा कप्तानगंज में पक्का पुल बनाने की योजना की जानकारी

6–श्री दीप लाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की छोटी गण्डक नदी पर बेलवाघाट तथा कप्तानगंज पर पक्के पुल के निर्माण हेतु पूर्व सरकार के समय से कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नदियों पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

7–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

8–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मा० सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा नहर पर वर्ष 1985 से आज तक खर्च की गयी धनराशि का विवरण

9–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बानगंगा नहर को वर्ष 1985 से आज तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि सुधार के लिये आवंटित की गयी ? आवंटित धनराशि से किस-किस स्थान पर कार्य कराया गया ? क्या सरकार टी० ए० सी० भेज कर कार्यों का मूल्यांकन करायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत बानगंगा नहर प्रणाली पर वित्तीय वर्ष 1985-86 से 91-92 तक सुधार मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी परन्तु उक्त नहर प्रणाली के सामान्य रख-रखाव हेतु

विलीय वर्ष 85-86 से 91-92 तक वर्ष वार निम्न धनराशि आवंटित हुई है :–

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
85-86	9.00
86-87	12.00
87-88	8.75
88-89	10.10
89-90	8.50
90-91	19.00
91-92	15.00

आवंटित धनराशि से पूरी नहर प्रणाली पर रख-रखाव के कार्य किये गये ।

सी० ए० सी० से रख-रखाव कार्यों के मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं है ।

10–श्री जाहिद हुसैन–

[दिनांक 6-5-92 को अतारांकित प्रश्न संख्या 174 द्वारा उत्तरित]

11–श्री जाहिद हुसैन–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

12–श्री मुन्ना चौहान–

[पहले गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में कोआपरेटिव इण्टरमीडिएट कालेज, पिपराइच को गन्ना समिति, पिपराइच से असम्बद्ध किये जाने की जांच

13–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कोआपरेटिव इण्टरमीडिएट कालेज, पिपराइच, गन्ना समिति पिपराइच से सम्बद्ध था ? यदि हां, तो किस प्रस्ताव के आधार पर, कब इसे गन्ना समिति से असम्बद्ध कर दिया गया है तथा निजी समिति को सौंप दिया गया है ? क्या पुनः इसे गन्ना समिति से सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

प्रस्ताव संख्या–10-अन्य (9) दिनांक 21-8-62 के अनुसार उक्त कालेज गन्ना समिति, पिपराइच के नियंत्रण से अलग हो गया है ।

प्रकरण में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं है ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम धौरमऊ, विकास खण्ड देवा के ऊसर एवं सीपेज से प्रभावित भूमि की जांच एवं उसमें की गयी संस्तुतियों की कार्यवाही की जानकारी

14-श्री छोटे लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धौरमऊ, विकास खण्ड देवा, जिलः बाराबंकी के ऊसर एवं सीपेज से प्रभावित भूमि की जांच जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक 2729/चार-वि०सी०/84-85, दिनांक 4-1-85 के आधार पर तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री वासुदेव वर्मा द्वारा दिनांक 23-1-85 को की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में क्या-क्या संस्तुतियां की गयी थीं ? उक्त जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संस्तुति के किसी बिन्दु पर कृषि विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को लिख कर कार्यवाही करने की भी अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो वह विशेष संस्तुति क्या थी ? इस संबंध में सिंचाई विभाग को कृषि विभाग द्वारा भेजे गये पत्रों का विवरण क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित संस्तुतियां की गयीं थीं :–

1–प्रभावित क्षेत्र में नहर के दोनों ओर लाइनिंग कराना ।

2–प्रभावित क्षेत्र से जल निकासी हेतु पर्याप्त क्षमता का साइफन बनाया जाना ।

3–उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ऊसर की समस्या के निदान हेतु ऊसर सुधार कार्यक्रम चलाया जाना ।

लगभग चार वर्ष पूर्व शारदा पोषक नहर की साइड में लाइनिंग की गई थी । कार्यवाही हेतु सिंचाई विभाग को पत्र लिखा गया था । सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि देवा विकास खण्ड सीपेज से प्रभावित नहीं है । तत्पश्चात् दिनांक 23-10-92 को कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम धौरमऊ का निरीक्षण किया गया । मौके पर जांच तथा ग्राम वासियों के बयान के अनुसार ग्राम धौरमऊ की लगभग 500 एकड़ भूमि सीपेज से प्रभावित है । सीपेज की समस्या को दूर करने के लिये प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्तुति सिंचाई विभाग को की जा रही है । सिंचाई विभाग के त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच की भी संस्तुति की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा नहर के पूरब में वाटर लेबिल तथा वाटर लेबिल के संबंध में की गयी संस्तुति व कार्यान्वयन की जानकारी

15–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में वर्तमान में (15 मार्च, 1992 के पूर्व) शारदा सहायक नहर के पूरब में सफेदाबाद रजबहा और गदिया रजबहा के मध्य जबरी कला, धौरमऊ, टिकरिया, जमुवासी, तिन्दौला, माती का वर्तमान में ग्रामवार वाटर लेबिल क्या है ? वर्ष 1980 से इन ग्रामों का वाटर लेबिल/जल स्तर कब-कब नापा गया है तथा इन नापों में वाटर लेबिल क्या पाया गया है ? क्या नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में शारदा सहायक डिवीजन, लखनऊ द्वारा की गयी नाप में बबुरिहा (धौरमऊ) का वाटर लेबिल एक फिट 10 इंच पाया गया है ? यदि हां, तो इसे कम करने की क्या संस्तुति की गयी है तथा उस संस्तुति पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में गदिया रजबहा एवं धौरमऊ माइनर के मध्य जल भराव तथा बनाये गये ड्रेन पर व्यय धनराशि की जानकारी

16–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में शारदा सहायक नहर के पूरब में गदिया रजबहा एवं धौरमऊ माइनर के मध्य वाटर लाक्ड/जल भराव वाला तथा शारदा सहायक नहर के सीपेज से प्रभावित क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रभाव को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त गांव के सीपेज को दूर करने हेतु दो सीपेज निकास ड्रेन बनायी गयी है । यदि हां, तो ड्रेन किसकी संस्तुति के आधार पर बनायी गयी है ? इसकी संस्तुति कब की गयी ? निर्माण कब प्रारम्भ किया गया तथा निर्माण कब पूर्ण किया गया ? इन ड्रेनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? उसका भुगतान कब किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम खरेहा के श्री राम देव के विद्युत कनेक्शन की जानकारी

17–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम रबरेहा के श्री रामदेव को सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा आंशिक भुगतान रसीद संख्या-3/450499 एवं कनेक्शन जोड़ने के शुल्क रु० 100 रसीद संख्या 8/350498 के अनुसार उपखण्ड अधिकर्ता, कर्वी को कनेक्शन जोड़ने का आदेश दिया गया है । यदि हां, तो अब तक कनेक्शन न जोड़ने का क्या औचित्य है ? क्या इसमें शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

उक्त कनेक्शन दिनांक 3-5-92 को जोड़ दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के उदय चन्द्रपुर माइनर के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

18–श्री भोला सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उदय चन्द्रपुर माइनर का सेवइत इलाहाबाद इस्माइलगंज रोड के पास काम अधूरा छोड़ दिया गया है ? क्या इसका पानी वहीं सड़क के किनारे भर जाता है, जिससे सड़क/सड़क के किनारे टूट जाते हैं और पानी से बीमारी फैलती है ? क्या इसके आगे बढ़ने से 100 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो क्या इस नहर को पूरा कराया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसी तरह सहजीपुर माइनर भी बीच में अधूरी छोड़ी गयी है ? क्या इन नहरों को शीघ्र पूरा किया जायेगा । यदि हां, तो कब तक पूरी करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, उदय चांदपुर माइनर का निर्माण सेवइत इलाहाबाद इस्माइलगंज रोड तक किया गया है ।

पानी सड़क के किनारे भर जाता है, लेकिन सड़क के टूटने का तथा बीमारी फैलने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, इसके निर्माण पूरा होने पर लगभग सौ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है ।

भूमि उपलब्ध होने पर इस माइनर को पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत अवशेष कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए माइनर के छूटे हुए भाग को पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के पूरब के कतिपय गांवों के जल स्तर की नाप तथा जल भराव की समस्या को रोका जाना

19–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में शारदा सहायक नहर के पूरब तरफ सफेदाबाद रजबहा और गदिया रजबहा के मध्य जबरी कला, धौरमऊ, टिकरिया, जमुवासी, तिन्दोला, माती का वर्तमान में ग्रामवार वाटर लेबिल क्या है ? वर्ष 1980 से इन ग्रामों का वाटर लेबिल/जल स्तर कब-कब नापा गया है तथा इन नापों में वाटर लेबिल क्या पाया गया है ? क्या नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में शारदा सहायक डिवीजन लखनऊ द्वारा की गयी माप में बबुरिया (धौरमऊ) का वाटर लेबिल एक फिट दस इंच पाया गया है ? यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सफेदाबाद रजबहा और गदिया-रजबहे के मध्य ग्राम-धौरमऊ, टिकरिया, तिन्दौला के कुओं का जल स्तर मई, 1992, जून, 1992, जुलाई, 1992 में भूमि तल से लगभग 8 फिट नीचे था ।

दिसम्बर, 1991 में केवल धौरमऊ/बबुरिया ग्राम के पोषक नहर की तली के समीप कुएं का जल स्तर नापा गया जो 1 फिट 10 इंच पाया गया । मई, जून, जुलाई, 1992 में ग्राम धौरमऊ, टिकरिया, तिन्दौला ग्रामों में कुओं का जल स्तर नापा गया जो 1 फिट 10 इंच पाया गया ।

जी हां ।

पोषक नहर के बिल्कुल समीप के कुएं में वर्षा ऋतु के तुरन्त बाद जल स्तर ऊंचा होना स्वाभाविक है, जिसके लिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु जमुवासी, धौरमऊ ड्रेन निर्माणाधीन है ।

20– श्री जाहिद हुसैन–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

21–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री श्याद अली–

[पहले गुरुवार के अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1991-92 में नहर कटिंग व सफाई के लिए व्यय किये गये धन का विवरण

22–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1991-92 में नहर कटिंग व सफाई के लिए कितने रुपये का आगणन स्वीकृत है ? कितना व्यय कब-कब किया गया ? उसके संबंध में अनुबन्ध/वर्कआर्डर की प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि व अन्तिम भुगतान की तिथि क्या सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी अवगत कराने की कृपा करेंगे कि किस चैनेज स्थान पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1991-92 में नहर कटिंग पर रुपये 5,34,238.00 तथा सफाई हेतु रुपये 10,84,426.00 का प्राक्कलन स्वीकृत है ।

उक्त धनराशि के अन्तर्गत हुए व्यय के वांछित विवरण माननीय सदस्य, मा० सिंचाई राज्य मंत्री जी के कक्ष में जाकर देख सकते हैं ।

23–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद नैनीताल के वन बिहारी सिंह का कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, गदरपुर, नैनीताल को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन बिहारी सिंह, ग्राम व पोस्ट प्रेमनगर (अलगदेवी), जिला नैनीताल का 100 मी० गन्ना कटाई किये जाने का एक आवेदन-पत्र दिनांक 24-2-92 को कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, गदरपुर, नैनीताल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या उक्त गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति दि किसान सरकारी मिल, गदरपुर को की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

गन्ने का रकबा जो सड़क के किनारे 100 मीटर में कटने से रह गया, उसकी पूर्ति हेतु पर्चियां दिलाये जाने की मांग की गयी ।

जी हां ।

दिनांक 6-4-1992 तक ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की चिरबटिया फल पट्टी योजना तथा मुनि की रेती-कीर्तिनगर फल पट्टी योजना का प्रस्ताव एवं कार्यान्वयन की मांग

25–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की चिरबटिया फल पट्टी योजना तथा मुनि की रेती-कीर्तिनगर फल पट्टी योजना कब तक शुरू की

जायेगी । क्या उक्त फल पट्टी योजनाओं के लिए वन भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

चिरबटिया क्षेत्र की भूमि आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है जिसे फल पट्टी योजना के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । अतः उक्त क्षेत्र में फल पट्टी योजना लागू नहीं की जा सकती । मुनि की रेती क्षेत्र में फल पट्टी प्रस्ताव वर्ष 1992-93 की योजना में सम्मिलित है । इसमें वन भूमि सम्मिलित नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल, बांदा को प्राप्त धन तथा खर्च करने का विवरण

26–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल, बांदा को कुल कितनी धनराशि कहां-कहां से प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि का उपभोग कहां-कहा, कितना-कितना किया गया ? अभी कितना धन शेष है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1991-92 में अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल प्रखण्ड, बांदा को सिंचाई विभाग से कुल रु० 57.32 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

उपर्युक्त प्राप्त धनराशि का उपभोग निम्न प्रकार किया गया :—

1– लेखा शीर्षक 2701 अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय–	
(क) केन नहर प्रणाली का रखरखाव	49.23 लाख रु०
(ख) औगासी नहर प्रणाली का रख-रखाव	0.94 लाख रु०
योग ..	50.97 लाख रु०
2–लेखा शीर्षक 2,702 लघु सिंचाई पम्प नहर एवं बंधियों पर व्यय—	
(क) बंधियों का रख-रखाव	0.50 लाख रु०
(ख) जोहरपुर पम्प नहर का रख-रखाव	0.69 लाख रु०
योग ..	1.19 लाख रु०
3–लेखा शीर्षक 2,711 बाढ़ जलोत्सारण कार्यों पर व्यय–	
(क) नालों का रख-रखाव	0.30 लाख रु०
योग ..	0.30 लाख रु०
4–लेखा शीर्षक 4,701 केन नहर पुनरोद्धार परियोजना–	
(क) अतर्रा ब्रांच पर व्यय	1.63 लाख रु०
(ख) बांदा ब्रांच पर व्यय	3.75 लाख रु०
(ग) पनगरा स्केल पर व्यय	0.47 लाख रु०
योग ..	5.85 लाख रु०
कुल योग ..	57.51लाख रु०

कोई धनराशि शेष नहीं है ।

जनपद बांदा के भूमि संरक्षण अधिकारी बबेरू को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही

27–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता ने भूमि संरक्षण अधिकारी बबेरू (बांदा) को क्षेत्रीय लोगों के शिकायती-पत्र मिलनें पर पत्र संख्या क नं० 264156 दिनांक 28-9-91 व उसके बाद एक पत्र प्रश्नकर्ता ने स्वयं लिखा था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के दोनों पत्रों के उत्तर न देने का क्या कारण है ? क्या वास्तविक रूप में अनियमिततायें बरती गयी थीं ? यदि हां, तो क्या अब इनके द्वारा करवाये गये समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवायी जावेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

अपर कृषि निदेशक (भू सं०) ने अवगत कराया है कि संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी ने माननीय विधायक जी को तथ्यों से व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दिया था जिसके कारण पत्रों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के चिरवटिया तथा नरेन्द्र नगर, कीर्तिमान फल पट्टी योजना को चालू किये जाने की मांग

28–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिरवटिया तथा नरेन्द्र नगर, कीर्तिमान, टिहरी गढ़वाल की फल पट्टी योजना पर कार्य कब शुरू होगा ? क्या इन फल पट्टी योजनाओं के लिए वन भूमि शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

चिरबटिया क्षेत्र की भूमि आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है जिसे फल पट्टी योजना के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । अतः उक्त क्षेत्र में फल पट्टी योजना लागू नहीं की जा सकती है ।

मुनि की रेती क्षेत्र में फल पट्टी का प्रस्ताव वर्ष 1992-93 की योजना में सम्मिलित है । इसमें वन भूमि सम्मिलित नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री सुरेश–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद वाराणसी के नलकूप खण्ड भदोही के अन्तर्गत पक्की तथा कच्ची नालियों को भदोही के कालीन निर्माताओं द्वारा चहार दीवारी खींचने व अपने अहाते में करने की स्थिति की जानकारी

30–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप, हरीरामपुर, भदोही, मर्यादा पट्टी, रजपुरा बरबसपुर बुढ़ापट्टी, पुरेश्याम नलकूप अनुरक्षण खण्ड, सिंचाई विभाग भदोही, जिला वाराणसी

की पक्की एवं कच्ची नालियों को भदोही के कालीन निर्माताओं ने चहार दीवारी खींच कर अपने अहाते में कर लिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त कालीन निर्माताओं की कम्पनियों का नाम बतायेगी ? क्या सरकार यह भी जानकारी देगी कि उन नालियों से पहले कितने एकड़ की सिंचाई होती थी ? क्या उक्त नालियों को जब मिलाया जा रहा था, तो नलकूप विभाग ने उनको रोकने की कोई कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके अपनी सरकारी जमीन को वापस लेने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खण्ड भदोही, सिंचाई विभाग भदोही, जिला वाराणसी के अन्तर्गत पक्की व कच्ची नालियों को भदोही के कालीन निर्माताओं द्वारा चहार दीवारी खींचकेर अपने अहाते में करने की स्थिति निम्नवत् हैं :–

1–राजकीय नलकूप हरीरामपुर-केवल पक्की गूल आंशिक रूप से ।

2–मर्यादा पट्टी-अहाते में नहीं है ।

3–रजपुरा/बरबसपुर/बुढ़ापट्टी/पूरेश्याम राजकीय नलकूप की केवल पक्की गूल आंशिक रूप से अहाते में कर ली गयी है ।

राजकीय नलकूप का नाम	कम्पनी व व्यक्ति का नाम
1–हरीरामपुर	श्री खलील निवासी, भदोही तथा मेसर्स पुदईराम कामता प्रसाद, भदोही।
2–राजपुरा/बरबसपुर/ बुढ़ापट्टी/पूरेश्याम	श्री कलीम अंसारी ग्राम रजपुरा, श्री शोकत अली ग्राम बुढ़ापट्टी तथा मेसर्स माता प्रसाद बिहारी लाल ग्राम पूरेश्याम भदोही ।

राजकीय नलकूप हरीरामपुर की इस गूल से 9.14 एकड़ की सिंचाई होती थी ।

रजपुरा/बरबसपुर/बुढ़ापट्टी व पूरेश्याम ग्रामों में स्थित राजकीय नलकूप की ऐसी गूल के क्षेत्र में आबादी हो जाने के कारण सिंचाई पहले से ही नहीं होती थी ।

जी नहीं ।

जी हां ।

कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री राम प्रसाद सिंह–

[पहले सोम में अता० प्र० सं० 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

32–श्री दल सिंगार यादव–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद कानपुर के गंगा बैराज के निर्माण के संबंध में शासन के विचाराधीन योजना की अद्यतन जानकारी

33–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में गंगा बैराज के निर्माण के संबंध में कोई योजना/प्रस्ताव शासन के विचराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसन्धान केन्द्र पुणे एवं सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की द्वारा माडल स्टडीज की जा रही है । सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, परन्तु केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसन्धान केन्द्र पुणे की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इन दोनों संस्थानों द्वारा की गयी माडल स्टडीज पर केन्द्रीय जल आयोग निर्णय लेगा तथा इसके उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि अनुभाग–5 को प्रश्नकर्ता का पत्र एवं संबंधित कर्मचारी के बहाली व देयों के भुगतान की जानकारी

34–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कृषि अनुभाग–5 के पत्र संख्या 616/12-5-92, दिनांक 20-1-1992 के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-92 में क्या निर्णय/कार्यवाही हुई है ? उक्त पत्र में नामांकित कर्मचारी को सेवा में बहाल करके किस जनपद में, किस पद पर तैनात किया गया है ? क्या कर्मचारी को निलम्बित अवधि का अवशेष वेतन एरियर व कनिष्ठ कर्मचारी के समकक्षीय स्तर तक का प्रमोशन देकर अवधि का अवशेष वेतन एरियर व निलम्बित अवधि का नकदीकरण व बोनस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या, पत्र में उल्लिखित वाद के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील न किये जाने की सूचना सतर्कता निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ ने उपलब्ध करा दी है ? कर्मचारी को कब तक प्रश्नगत देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

संबंधित कर्मचारी को सेवा में पदास्थापित करने के आदेश कृषि निदेशक को दे दिये गये हैं ।

विधिक परीक्षण कराया जा रहा है ।

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के चीनी मिल महमूदाबाद के जी० एम० द्वारा शासन की अनुमति के बिना रुपये खर्च करने के आरोप पर हो रही जांच की जानकारी

35–श्री अनिल कुमार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 8वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जी० एम० चीनी मिल, महमूदाबाद पर लगाये गये

आरोपों की जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या आरोप बिन्दु सही पाये गये ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां, जांच पूर्ण हो गयी है । संबंधित अधिकारी को दण्डित करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

निदेशालय उद्यान एव खाद्य प्रसंस्करण उ० प्र० (मैदानी क्षेत्र) में खाद्य प्रसंस्करण के शैक्षिक संस्थान (राजकीय फल संरक्षण खण्ड केनिंग संस्थान, लखनऊ) एवं औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को एक में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

36–श्री माधव–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ० प्र० (मैदानी क्षेत्र) में खाद्य प्रसंस्करण के शैक्षिक संस्थान (राजकीय फल संरक्षण एण्ड केनिंग संस्थान, लखनऊ) एवं औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को एक में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित शैक्षिक संस्थान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जो औद्यानिक प्रयोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, वे यह कार्य कैसे कर सकेंगे ? इसी प्रकार औद्योगिक प्रयोगों पर कार्य करने वाले जिनकी खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जानकारी शून्य है शैक्षिक छात्रों को इसकी शिक्षा कैसे दे सकेंगे ? यदि नहीं, तो इनको आपस में सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मध्य क्षेत्र) के शोध संस्थान,लखनऊ में आडिट के दौरान पायी गयी अनियमितता तथा उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

37–श्री माधव–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०) के शोध संस्थान लखनऊ में अप्रैल 89 से मई 90 के मध्य गबन एवं गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हुई थीं, जबकि निदेशक द्वारा सिर्फ कैशियर को निलम्बित करके श्री आर० सी० पाण्डेय एवं श्री आर० डी० शुक्ला, लेखाधिकारी द्वारा इसका विशेष आडिट करवाकर जांच करवाई गयी थी ? क्या विशेष आडिट पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में अनेकों गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को दर्शाया था तथा जांच समिति ने कैशियर और आहरण वितरण अधिकारी दोनों को दोषी पाया था ? क्या मंत्री जी इस आडिट रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करवाने की कृपा करेंगे ? सिर्फ कैशियर को ही निलम्बित किये जाने का क्या कारण है ? मुख्य दोषी व्यक्ति आहरण वितरण अधिकारी को क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

कैशियर पर धन के अपहरण तथा आहरण वितरण अधिकारी पर प्रभावी नियंत्रण न रखने का आरोप था ।

आडिट रिपोर्ट विस्तृत है । यह रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध है जिसका अवलोकन मा० सदस्य सुविधानुसार कर सकते हैं ।

प्रथम दृष्टया राजकीय धन के आहरण हेतु कैशियर को ही मुख्य रूप से उत्तरदायी पाया गया ।

जांच में आहरण वितरण अधिकारी को केवल कैशियर पर प्रभावी नियंत्रण न रखने हेतु दोषी बताया गया । अतः इनके निलम्बन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद जौनपुर की रत्ना शुगर मिल, शाहगंज में वर्ष 1985-86 से गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान किये जाने की मांग

38–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जनपद जौनपुर में वर्ष 85-86 का किसानों के गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण बकाया कितना है ? क्या यह सत्य है कि बकायेदार किसानों द्वारा वर्ष 85-86 में शुगर मिल के अन्दर गोदाम में 1 करोड़ 90 लाख मूल्य की चीनी रोकी गयी थी और रोकी गयी चीनी को वर्षों बाद सरकार ने 2 करोड़ 20 लाख रुपये में बेचकर लाभ प्राप्त किया है ? यदि हां, तो अब भी किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार किसानों के बकाया धन को देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जनपद जौनपुर पर वर्ष 1985-86 का किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया 47.31 लाख रुपया है ।

जी नहीं ।

चूंकि उक्त चीनी मिल का अधिग्रहण उ० प्र० चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत हुआ है, अतः उक्त अधिनियम के प्राविधान के अनुसार ही गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई खण्ड 32 शारदा सहायक से संबंधित रसूलाबाद की स्वीकृत माइनर की खुदाई कराये जाने की मांग

39–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सिंचाई खण्ड 32 शारदा सहायक से संबंधित रसूलाबाद माइनर की लम्बाई कितनी स्वीकृत हुई है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 84-85 से अब तक मात्र 3 कि० मी० की खुदाई हुई है शेष माइनर का पानी खेतों में भरता रहता है, इससे हजारों एकड़ जमीन व फसल का नुकसान हो रहा है ? स्वीकृत शेष माइनर की खुदाई अब तक क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आजमगढ़ में रसूलाबाद माईनर की स्वीकृत लम्बाई 9.2 कि० मी० है ।

वर्ष 1984-85 से पूर्व ही हेड से 4.9 कि० मी० तक नहर निर्मित की गयी थी । इस नहर में पानी 4.9 कि० मी० तक चलता है । उसके पश्चात् फालतू पानी नाले से होता हुआ उगरी ड्रेन में चला जाता है । स्वीकृत शेष माइनर 4.9 से 6.2 कि० मी० तक की खुदाई भूमि अधिगृहीत न होने के कारण नहीं कराई जा सकी है । कि० मी० 6.2 से 9.2 तक की खुदाई कर नहर निर्मित की जा चुकी है ।

जनपद हरदोई की बक्शीपुर ड्रेन, चठिया, बिछुहिया ड्रेनों तथा शारदा नहर की हरदोई ब्रांच एवं हरदोई रजबहा की वर्ष 1990-91 में सफाई के मद में खर्च की गयी धनराशि का विवरण

40–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की बक्शीपुर ड्रेन चठिया ड्रेन, बिछुहिया ड्रेनों तथा शारदा नहर की हरदोई ब्रांच एवं हरदोई रजबहा की सफाई मद में वर्ष 1990-91 में क्रमशः कितने रुपयों के भुगतान किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त ड्रेनों नहर एवं रजबहा पर बिना सफाई कार्य कराये ही फर्जी भुगतान दिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मामलों की जांच कराने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हरदोई जनपद में निहित ड्रेनों व नहरों की वर्ष 1990-91 में सफाई की स्थिति निम्नानुसार है :–

1–बक्शीपुर ड्रेन में वर्ष 1990-91 में सफाई के मद में कोई कार्य नहीं कराया गया ।

2–चठिया ड्रेन में वर्ष 1990-91 में ठेकों व बन्धों की सफाई में रु० 9982.00 का व्यय हुआ है ।

3–बिछुहिया ड्रेन नहीं है, अपितु छुहिया ड्रेन है जिसमें वर्ष 90-91 में बन्धों को हटाने एवं जंगल की सफाई में रु० 1.38 लाख व्यय हुआ ।

4–शारदा नहर हरदोई ब्रांच की सफाई पर उक्त वर्ष में कोई व्यय नहीं किया गया ।

5–हरदोई रजबहा के हेड से 2 मील तक की सफाई कार्य में वर्ष 1990-91 में रु० 34622.00 का व्यय किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम में 87-88 में दिवाली ड्रेन के कार्य को पूरा न करने की जांच की मांग

41–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक बिलग्राम में 87-88 में दिवाली ड्रेन के कार्य को अधूरा छोड़कर अधिकारियों द्वारा पूरा पैसा निकाल लिया गया है ? क्या इसकी जांच कराकर कार्य को पूरा कराने एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर की श्रीमती मंजू कटियार का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1991 के दूसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती मंजू कटियार निवासिनी कानपुर का एक प्रार्थना-पत्र मुकदमा नं० 2562/91 सरकार बनाम रमेश चन्द्र न्यायालय सी० जी० एम०, बस्ती सरकार द्वारा वापस न लिये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

श्रीमती मंजू कटियार का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-9-91 को शासन को प्राप्त हुआ है, किन्तु उस पर मा० विधायक की संस्तुति नहीं है ।

वापस नहीं लिया गया है ।

मामला विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई की हथौड़ा ड्रेन की सफाई न कराये जाने की जानकारी तथा फर्जी भुगतान की जांच की मांग

43–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की हथौड़ा ड्रेन की सफाई विगत तीन वर्षों से न कराये जाने के क्या कारण है ? क्या यह सही है कि विगत वर्षों में इसकी सफाई अभिलेखों में दिखाकर फर्जी भुगतान भी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका संडीला में कार्यरत सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण की मांग

44–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग में किसी एक सहायक अभियन्ता की तैनाती एक स्थान पर कितने समय तक की जायं, इस संबंध में शासन की क्या नीति है ? नगर पालिका संडीला, जनपद हरदोई में विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता कितने समय से नियुक्त हैं ? क्या शासन की नीति के अन्तर्गत तत्काल उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक सहायक अभियन्ता एक पद पर सामान्यतः तीन से चार वर्ष तक तथा एक ही जनपद में पांच वर्ष तक तैनात रह सकता है ।

नगर पालिका संडीला, जनपद हरदोई में वर्तमान सहायक अभियन्ता दि० 3-7-92 से तैनात हैं ।

वर्तमान में तैनात सहायक अभि० की तैनाती अवधि को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण सामान्य परिस्थितियों में वांछित नहीं है ।

जनपद हरदोई के कस्बा माधवगंज में मण्डीस्थल बन जाने के बावजूद भी मण्डी को स्थानान्तरित न किये जाने के कारण की जानकारी

45–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा माधवगंज में मण्डी स्थल बन जाने के बाद भी मण्डी को स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त मण्डी कब तक स्थानान्तरित कर दी जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

विद्युत कनेक्शन मिलने में बिलम्ब होने के कारण पानी व प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसके अभाव में व्यापार स्थानान्तरित नहीं कराया जा सका है ।

यथाशीघ्र ।

जनपद हरदोई के मण्डी परिषद् से ऋण लेकर माधवगंज मण्डी समिति द्वारा सहिजना, कुरसठ वाया गौतरा मार्ग के निर्माण की जानकारी

46–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1988-89 में तत्कालीन कृषि मंत्री द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक के अनुरोध पर यह आदेश पारित किये गये थे कि मण्डी परिषद् से ऋण लेकर हरदोई की माधवगंज मण्डी, समिति द्वारा सहिजना, कुरसठ वाया गौतरा के 11 किलोमीटर लम्बे मार्ग का निर्माण करा दिया जाये । यदि हां, तो निदेशक मण्डी परिषद् द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

मण्डी परिषद् द्वारा संबंधित मंडी समिति से ऋण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत किया जाता है । परन्तु सभापति, मण्डी समिति, माधवगंज ने अपने पत्र दिनांक 13-10-92 द्वारा सूचित किया है कि सहिजना से कुरसठ मार्ग पर स्थित ग्रामों से मण्डी समिति की आय नहीं के बराबर है तथा समिति का कोई लाइसेन्सधारी भी नहीं है ।

विद्युत परिषद् द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति/परिषदाध्यक्ष के पदों के सृजन में हुई घोर अनियमितता की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न 119 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत प्रदेय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्मित रेगुलेशन आफ बिजनेस एण्ड प्रोसीजर्स आफ द बोर्ड के नियम 13(1) व (11) में उल्लिखित विनियम के विपरीत अधीक्षण अभियन्ता और इसके ऊपर के पदों के सृजन के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि परिषद् द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति/परिषदाध्यक्ष को पदों के सृजन जैसे वित्तीय मामलों में कोई अधिकार है ? यदि हां, तो वह कौन है ? क्या 187 उच्च पदों पर करोड़ों रुपये का जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है, उसकी रिकवरी दोषी अधिकारियों से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या इस संबंध में परिषद् के तत्कालीन सदस्य (तापीय) के नोट सं० 3941/पी० एस० एम० जी०/ए० पी० एस०/विधि दिनांक 16-10-87 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदुआगंज के तापीय विद्युत गृह जनपद अलीगढ़ हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के विस्थापित परिवारों को सेवा में न लिये जाने के कारण श्री एच० बी० सिंह उपसचिव का निलम्बन

48–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषद् के किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि निलम्बित करने में दो वर्ष से अधिक समय लिया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? इन दो वर्षों में तत्कालीन उपसचिव ने माहवार कुल कितना रुपया वेतन व अन्य सुविधाओं के रूप में प्राप्त किया ? क्या इसकी रिकवरी जांच अधिकारी के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जांच परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा की गयी । जांच आख्या के अनुसार श्री एच० बी० सिंह, उप सचिव, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, अलीगढ़ के ऐश डम्प यार्ड के लिये अधिग्रहीत भूमि के विस्थापित परिवारों के सदस्यों की परिषदीय सेवा में नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में मात्र लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं परिषदीय नियमों की अवहेलना के दोषी पाये गये ।

जी नहीं । श्री एच० बी० सिंह को निलम्बित करने के आदेश शासन के पत्र संख्या-882-पी०-2/92-165-ए० क्यू०/92, दिनांक 10-2-92 द्वारा परिषद् को दिये गये थे जिसके अनुपालन में परिषदीय पत्र संख्या–292- अनु० का० एवं सत/राविप-दिनांक 25-2-1992 द्वारा श्री एच० बी० सिंह को निलम्बित कर दिया गया इससे पूर्व उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न इसलिये नहीं उठा क्योंकि उन्हें निलम्बित करने की संस्तुति नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49-50–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

51–श्री छेदी लाल–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद गोण्डा के राजकीय कृषि बीज भण्डार मनकापुर के परिसर में किये गये अवैध निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

52–श्री छेदी लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-8-91 को राजकीय कृषि बीज भण्डार मनकापुर जनपद गोण्डा के परिसर में अवैध निर्माण के संबंध में कोई शिकायती-पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र दिनांक 1-8-91 राजस्व मंत्री कार्यालय से पत्रांक वी० आई० पी० 1003 रा० मं० का०/91, दिनांक 6-8-91 को जिलाधिकारी, गोण्डा को मूलरूप में कार्यवाही हेतु भेजा गया था । जिलाधिकारी, गोण्डा के कार्यालय में उक्त शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है । शिकायती-पत्र उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । इस संबंध में जिला अधिकारी, गोण्डा से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

जनपद आगरा में खारी नदी पर ग्राम राम नगर पिपानी सिकन्दरपुर नगला के बीच और भवनपुरा में प्रस्तावित बांधों के निर्माण की मांग

53–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में खारी नदी पर ग्राम राम नगर पिपानी सिकन्दरपुर नगला बीच और भवनपुरा पर प्रस्तावित जल भराव बांधों के निर्माण का कार्य अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खारी नदी पर ग्राम सिकन्दरपुर, पिपानी, नगलाबीच एवं भवनपुर के समीप वियर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है । पेयजल सुविधा प्रदान करने का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा किया जाता है।अतः उक्त रिपोर्ट पर नगर विकास विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इस मामले में आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

54-55–श्री तेज भान सिंह–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

56–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

सिंचाई खण्ड उन्नाव के अधीन मौरावां डी० वाई० व उसके रजबहों माइनरों की सिल्ट सफाई में वर्ष 1991-92 में की गयी अनियमितता की जांच

57–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड उन्नाव के अधीन मौरावां डी० वाई० व उसके रजबहों माइनरों की सिल्ट सफाई में वर्ष 1991-92 में भारी अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या सरकार इस अनियमितताओं की जांच सफाई में तैयार कागजों मजदूरों की फर्जी सूची व कराये गये काम के आधार पर टेक्निकल आडिट सेल से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

कार्य निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुसार कार्यादेश द्वारा ठेकेदारों एवं श्रमिक मुखियाओं से कराया गया है । संबंधित अधीक्षण अभियंता को जांच करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद बाराबंकी के इन्दिरा नहर पर वर्ष 1989 में हैदरगढ़ ब्रांच, लखनऊ में हुए लाइनिंग कार्य का सभी ठेकेदारों का भुगतान कराये जाने की मांग

59–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा नहर पर वर्ष 1989 में हैदरगढ़ ब्रांच, लखनऊ में हुए लाइनिंग के कार्य का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हैदरगढ़ ब्रांच पर वर्ष 1989 में हुए लाइनिंग के कार्य के विपरीत 7 ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है । केवल एक ठेकेदार को तीन अनुबन्धों का भुगतान मृत्यु होने तथा उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण शेष है ।

मृतक ठेकेदार के परिवारजनों द्वारा नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत पाठा क्षेत्र में जल संस्थान के द्वारा बाई का डेरा, बरसई एकड्डी आदि स्थानों पर ट्यूबवेल के लिये छिद्रण कराया जाना

60–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत पाठा क्षेत्र में जल संस्थान के द्वारा बाई का डेरा, बरसई एकड्डी आदि स्थानों में छिद्रण (बोर) कराया गया है जिनमें राजकीय ट्यूबवेल के मानक के हिसाब से जल की उपलब्धता पाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिंग बोर मशीनें जनपद बांदा के लघु सिंचाई विभाग राजकीय नलकूप को उपलब्ध कराकर उक्त क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में विस्तार किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जल संस्थान विभाग द्वारा जो प्रसंगगत नलकूपों का छिद्रण कराया गया है, वे अभी निर्माणाधीन है ।

जल संस्थान तथा लघु सिंचाई विभाग से मांग प्राप्त होने पर ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय रजबहों पर संबंधित अवर अभियन्ताओं द्वारा काटे गये शीशमों की जांच की मांग

61–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के चन्दोख, शाहजहांपुर जलालाबाद, शाहाबाद, कोरोकुइयां आदि राजबहों पर संबंधित अवर अभियन्ताओं की सांठगांठ से कीमती शीशमों की कटान विगत 6 महीनों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में श्री बी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण द्वारा गर्म वर्दी का क्रय

62–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि वर्ष 1990-91 में श्री बी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर द्वारा अपने मण्डल के अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु वार्षिक देय गर्म वर्दी का प्रबन्ध परिषदीय नियमों के विरुद्ध स्थानीय वस्त्र विक्रेता से लगभग 6.00 लाख मूल्य का कपड़ा क्रय करके किया गया है जो कि मान्यता प्राप्त विक्रेता नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह वर्दी नियमानुसार लाल इमली अथवा एलगिन मिल से क्रय की जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त गर्म वर्दी घटिया किस्म की होने के कारण कर्मचारियों द्वारा नहीं ली गयी ? क्या उक्त वर्दी अब भी अवितरित पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने श्री अग्रवाल के विरुद्ध परिषदीय नियमों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता हेतु कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

श्री वी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर ने परिषदीय आदेशों के अनुपालन में गर्म वर्दी हेतु कपड़े को क्रय किया है जिसका मूल्य रु० 4,51,978.70 मात्र है । यह क्रय नियमानुकूल है ।

गर्म वर्दी के कपड़े को क्रय किये जाने विषयक परिषदादेशों में किसी मिल, विशेष से कपड़ा क्रय करने का निदेश नहीं है ।

जी नहीं । विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर मण्डल के सभी कर्मचारियों ने वर्दी का कपड़ा स्वीकार कर लिया है ।

चूंकि श्री अग्रवाल ने गर्म वर्दी के कपड़े का क्रय परिषदाज्ञाओं के अनुसार किया है अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत मण्डल, जनपद सीतापुर के श्री बी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध पांच विभागीय ट्रकों की नीलामी का मामला

63–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि विद्युत मंडल सीतापुर में श्री वी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विभागीय वित्तीय नियमों के विरुद्ध पांच विभागीय ट्रकों की नीलामी माह दिसम्बर, 1991 में कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे परिषद् को लाखों रुपयों की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

64–श्री चरन सिंह तथा श्री महेन्द्र जैन–

[पहले शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में कुकरैल बांध की मरम्मत हेतु वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में आवंटित धन के व्यय का विवरण

65–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 तथा 90-91 के दौरान लखनऊ स्थित कुकरैल बांध तथा कुकरैल बांध विस्तार (बांया किनारा) के वार्षिक मरम्मत मद में कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ? उक्त मरम्मत कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? आवंटन के अनुसार व्यय न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुकरैल बांध की मरम्मत हेतु प्रश्नगत अवधि में निर्माणाधीन होने के कारण मरम्मत मद में आवंटन नहीं किया गया ।

कुकरैल बांध (बांया किनारा) के निर्माण मद के अन्तर्गत परियोजना प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में क्रमशः 0.14 लाख तथा 1.41 लाख रुपया मरम्मत पर व्यय हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० एस० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अधीन उपखण्डों में मिट्टी मरम्मत आदि कार्यों में हुई अनियमितता की जांच की मांग

66–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "भ्रष्टाचार निरोधक जनहितकारी कल्याण परिषद्" लखनऊ की शिकायत पर वर्ष 1989-90 के मध्य श्री बी० एस० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता द्वारा सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अधीन उपखंडों में मिट्टी के मरम्मत कार्यों की जांच की गयी थी ? क्या जांच में कार्यों का फर्जी होना पाया गया था ? यदि नहीं, तो माप-पुस्तिकाओं में ट्रान्सपोर्टेड मिट्टी के स्टेक मात्र की पैमाइश पर मिट्टी के कार्यों का भुगतान किस आधार पर सही पाया गया है, जबकि माप पुस्तिकाओं में मिट्टी के स्टेकों की पैमाइश में कार्य-स्थल भी अंकित नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मिट्टी के कार्यों का भुगतान मात्र स्टेक की पैमाइश पर नहीं किया गया । मिट्टी के स्टेकों का माप के उपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि इस मिट्टी का उपयोग खड्डे भरने पर किया गया है, भुगतान किया गया है । माप पुस्तिका में मिट्टी के स्टेकों को रीच का अंकन कार्यादेश में अंकित रीच ही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा समाचार-पत्रों के विज्ञापन बिलों के भुगतान में बरती जा रही प्रक्रिया का मामला

67–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा समाचार पत्रों के विज्ञापन बिलों के भुगतान में दो तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या लघु एवं मध्यम अखबारों का लाखों रुपया परिषद् की विभिन्न इकाइयों में भुगतान के लिये बकाया है ? यदि हां, तो क्या भुगतान मुख्यालय स्तर पर ही केन्द्रित करने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रथमः केन्द्रीयकृत-जिनके बीजकों का सत्यापन एवं भुगतान परिषद् मुख्यालय द्वारा किया जाता है तथा द्वितीयः अकेन्द्रीयकृत, जिनके बीजकों का सत्यापन परिषद् मुख्यालय द्वारा एवं भुगतान क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा किया जाता है ।

जी हां । ऐसी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन एवं उनके बीजकों का भुगतान एक अनवरत प्रक्रिया है ।

जी नहीं ।

क्योंकि ऐसा करने से किसी विशेष प्रयोजनों अथवा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल,लखनऊ द्वारा क्रय की गयी मोटर बोट्स के रख-रखाव आदि की जानकारी

68–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत क्रय की गयी मोटर बोट्स किन-किन नदियों पर रखी गयी है ? क्या इनको चलाने के लिये नाविक की व्यवस्था है ? इन पर मरम्मत/रिपेयर कराने के लिये अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? इस प्रकरण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच मुख्य लेखाधिकारी सिंचाई विभाग (जो कि शासन स्तर के अधिकारी हैं) के माध्यम से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल,लखनऊ के अन्तर्गत क्रय की गयी मोटर बोट्स गोमती एवं घाघरा नदी पर रखी गयी हैं ।

जी नहीं ।

इनकी मरम्मत/रिपेयर पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की गोमती नदी के हार्डिंग पुल के बायें बन्धे के रख-रखाव आदि कार्यों में वित्तीय वर्ष 1988 से 1992 तक व्यय धनराशि एवं वार्षिक मरम्मत आदि में आवंटित धन के व्यय का विवरण

69–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के हार्डिंग पुल के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव कार्यों में वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अक्टूबर 91 तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि व्यय की गयी धनराशि वार्षिक मरम्मत मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के अनुसार तथा बाढ़ सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में वर्षवार मरम्मत मद का आवंटन तथा प्रति किलोमीटर व्यय हेतु मानदण्ड की धनराशि क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गोमती नदी के हार्डिंग पुल के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव कार्यों में निम्नलिखित धनराशि वित्तीय वर्षों में व्यय हुई :–

वर्ष	व्यय की धनराशि
1988-89	शून्य
1989-90	1.57 लाख
1990-91	1.31 लाख
1991-92	2.02 लाख

(माह अक्टूबर, 91 तक)

जी हां ।

वर्षवार मरम्मत हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वांछित धनराशि आवंटन एवं व्यय प्रति कि०मी० निम्नानुसार है :–

वर्ष	आवंटन लाख रुपये में कैपिटल/ अनु०	वार्षिक मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रति कि०मी० मापदण्ड की धनराशि लाख रुपये में		व्यय प्रति कि०मी० लाख रुपये में
1	2	3	4	5
88-89	–	–	–	–
89-90	88+6 (पूरे कार्यों हेतु)	–	–	0.45
90-91	63.5 (पूरे कार्यों हेतु)	–	–	0.37
91-92	–	2.69	0.77	0.58

निर्माण काल में पूर्ण हुए कार्य का अनुरक्षण परियोजना के अन्तर्गत कैपिटल मद में ही किया जाता है।

जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत परिसर विद्यालय का शिक्षा सत्र चालू किये जाने तथा अध्यापकों की नियुक्ति, पुनरीक्षित वेतन आदि की विसंगति का मामला

70–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत परिसर विद्यालय किस शिक्षा सत्र में खुला तथा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को कब से पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया ? क्या यह सत्य है कि अध्यापकों की नियुक्ति 1982 के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में की गयी थी जिससे शासनादेश की अवहेलना की गयी ? क्या इससे किसी अध्यापक को (11) ग्यारह वेतनवृद्धि का लाभ हुआ और अन्य वरिष्ठ प्रध्यापकों को यह लाभ नहीं मिल पाया ? क्या इसमें वित्त संहिता के 22वें खण्ड का उल्लंघन किया गया ? क्या सरकार इस वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1990-91 में नहर के रजबहा व माइनरों पर सफाई व कटिंग पर किये गये कार्य की जानकारी

71–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 137 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री चेनेज तथा सही व्यय के बारे में मुख्य प्राविधिक परीक्षक उ० प्र० शासन से जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1990-91 में मिट्टी के कार्य की जांच अब प्राविधिक प्रकोष्ठ से कराना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में संडीला विद्युत विभाग के अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की नीति तथा उनके स्थानान्तरण की मांग

72–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक स्थान पर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति कितने समय तक की जाती है इस संबंध में शासन की क्या नीति है ? संडीला, जनपद हरदोई में विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता कितने वर्षों से नियुक्त हैं ? क्या शासकीय नीति के अन्तर्गत सरकार तुरन्त उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विद्युत परिषद में सामान्यतः एक पद/स्थान पर लगातार 5 वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर लगातार 7 वर्ष तक तैनात किये जाने की नीति है।

स्थानान्तरण के लिये कार्यकाल की गणना हेतु प्रत्येक वर्ष में 31 मई की तिथि मान्य होती है।

संडीला जनपद हरदोई में 6 अवर अभियन्ता तैनात हैं जिनके विवरण निम्नवत हैं :–

(1) श्री के० सी० मिश्रा–1-9-84 से

(2) श्री एच० आर० गुप्ता–29-7-87 से

(3) श्री एस० डी० मिश्रा–28-5-88 से

(4) श्री ए० डब्लू० सिद्दीकी–9/88 से

(5) श्री बी० के० सक्सेना–1-2-92 से

(6) श्री आर० एल० वर्मा–6/1989 से

राज्य विद्युत परिषद् में लागू स्थानान्तरण निर्देशों के अनुसार अवर अभियन्ता श्री के० सी० मिश्रा का संडीला जनपद हरदोई से स्थानान्तरण कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

रामे अवध व घसीटे की पर्ची गायब होने से रोके गये भुगतान से संबंधित जिला गन्ना अधिकारी,सुल्तानपुर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

73–श्री तेज भान सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी सुल्तानपुर को रामे अवध व घसीटे निवासी क्रमशः ग्राम साल्हापुर रामपुर चौधरी एवं ग्राम नेदियावां जिला सुल्तानपुर का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्ची गायब कर दिये जाने तथा पेमेन्ट रोके जाने विषयक दिनांकित 16-4-92 का कोई पत्र मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कृषकों को पैसा दिया गया अथवा नहीं ? क्या प्रार्थना-पत्र में आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अथवा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन कौडार नहर में हुई अनियमितता की जांच तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी

74–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन कौडार नहर में हुई अनियमितताओं की जांच सिंचाई विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी० ए० सी०) से करायी गयी हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? क्या टी० ए० सी० की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी अभियंताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन कौडार नहर नहीं बल्कि पोडार नहर के संबंध में प्रश्नकर्ता के अपेक्षानुसार टी० ए० सी० ने दिनांक 17-12-91 को निरीक्षण किया जिसके दौरान प्रश्नकर्ता ने अपने प्रतिनिधि श्री मुरारी चमोली, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, टिहरी को भेजा था । टी० ए० सी० की रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गयी है जिसमें टी० ए० सी० ने यह कहा कि निरीक्षण के समय स्थल पर किसी स्थान पर कोई कार्य प्रगति पर नहीं था लेकिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्य न कराये जाने

का कोई ठोस औचित्य नहीं दिया गया । इस नहर के निर्माण में जितना भी विलम्ब होगा उससे लागत की वृद्धि के साथ पूर्ण किये गये कार्यों में भी क्षति होती रहेगी । अतः विभाग द्वारा हर संभव प्रयास कर नहर को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाये जिससे एक तरफ तो शासन द्वारा अब तक किये गये व्यय का जनता को लाभ मिलेगा तथा दूसरी ओर क्षति की संभावना भी कम होगी । अतः शासन विभाग को कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित करना चाहें ।

इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता/संबंधित मुख्य अभियन्ता को लिखा गया । मुख्य अभियन्ता (उत्तर) को दिनांक 1-7-92 को प्राप्त अनुपालन आख्या में यह अवगत कराया गया है यह नहर अब निर्माणाधीन अवस्था में है । इसका निरीक्षण उनके द्वारा किया जा चुका है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि इस नहर को हेड की ओर से पूर्ण करते हुए चला जाय तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि अगले वर्ष खरीफ में इस नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

क्योंकि कार्य की गुणवत्ता के बारे में टी० ए० सी० ने कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं दिये हैं, इसलिये किसी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद फैजाबाद में सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु जलालपुर तहसील में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने का मामला

75–श्री राम लखन––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या फैजाबाद जनपद के जलालपुर तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के औचित्य को सरकार सिद्धान्तः स्वीकार करती है ? यदि हां, तो वहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है तथा जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

फैजाबाद जनपद की जलालपुर तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत बिलों में हो रही धांधली को रोके जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

76–श्री राम लखन–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत बिलों की धांधली किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का 11 मार्च, 1992 का पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पत्र के मूल बिन्दु क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता (पश्चिम नहर) के संगठन में स्थित खण्डीय तथा उप खण्डीय स्तर के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशियों का कार्य सम्पन्न कराने का प्रकरण

77–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (पश्चिम नहर) के संगठन में स्थित खण्डीय स्तर के तथा उपखण्डीय स्तर के कितने अधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशियों का कार्य सम्पन्न करा दिया गया है ? इस कारण उक्त संगठन में कितनी धनराशि लायबिलिटी के रूप में पड़ी है ? इस अनियमितता के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ लिपिकों के कार्य व दायित्व

78–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ लिपिकों के कार्य एवं दायित्व समान हैं ? यदि हां, तो वरिष्ठ लिपिकों को भी वरिष्ठ सहायकों के समान वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? विभागीय स्टैंडिंग आर्डर्स शासन के आदेशों के अनुसार वरिष्ठ लिपिकों का कार्य एवं दायित्व क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय आदेशों के अनुसार संदर्भ लिपिक (सम्प्रति वरिष्ठ लिपिक) को पत्रावली में संदर्भ प्रस्तुत करके वरिष्ठ सहायकों को स्तरीय टिप्पणी एवं आलेखन हेतु प्रस्तुत करना है ।

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के गठन होने के उपरान्त सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में की गयी नियुक्तियों की जानकारी

79–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश" के गठन होने के उपरान्त सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कितने ऐसे पदों पर नियुक्तियां की गयीं हैं, जोकि उक्त बोर्ड के माध्यम से भरे जाने थे ? इसके लिए दोषी अधिकारी कौन हैं तथा संबंधित अवैध नियुक्तियों को कब तक रद्द कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि सचिव शाखा सचिवालय में कार्यरत जमादार/चपरासी की वर्ष 1972 व 1978 तथा 1986 के वेतन निर्धारण की जानकारी

80–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सचिव शाखा सचिवालय में कार्यरत कितने जमादार/चपरासी ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 1972 व 1978 तथा 1986 के वेतन निर्धारण में नियमानुसार 1979 से उच्च वेतनमान का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है ? क्या यह सही है कि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण का निस्तारण अभी भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को होने वाली आर्थिक हानि का उत्तरदायी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान उन्हें कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

एक जमादार ।

जी हां ।

उक्त प्रकरण संबंधित जमादार की पिछली तैनाती की विभिन्न शाखाओं द्वारा सेवा-पुस्तिका पूर्ण न करने के कारण तथा उनके द्वारा पिछले वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार नये वेतनमान में वेतन निर्धारित न किये जाने के कारण ही उसे मिलने वाला लाभ नहीं दिया जा सका है । अब सेवा-पुस्तिका पूर्ण करायी जा रही है । विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

इनकी तैनाती की पूर्व शाखाओं से इनकी सेवा-पुस्तिका पूर्ण करायी जा रही है । सेवा-पुस्तिका पूर्ण होने पर ही इस संबंध में अग्रेतर एवं अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद उन्नाव के एडवोकेट श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री आशा चरन त्रिवेदी के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत किसी अनियमितता का न पाया जाना

81–श्री लालजी वर्मा–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट तथा श्री आशा चरन त्रिवेदी, एडवोकेट से क्रमशः ए० डी० जी० सी० एवं डी० जी० सी० पद का कार्य लिये जाने के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-9-90 तथा अन्तरिम आदेश दिनांक 7-5-91 के बावजूद उनसे अभी तक उक्त पद पर कार्य न लिए जाने का औचित्य क्या है, क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशानुसार उपरोक्त एडवोकेट से डी० जी० सी० एवं ए० डी० जी० सी० के पद का कार्य लेने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

जी नहीं । उक्त डी० जी० सी० के पद पर श्री आशा चरण त्रिवेदी वर्तमान में भी कार्यरत हैं, परन्तु श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर शासनादेश संख्या डी-2785/सात-न्याय-3-91, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 द्वारा कार्यमुक्त किया गया । मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई कार्य नहीं किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत केराकत, बाबतपुर एवं चोलापुर रजबहों के अतिरिक्त ग्राम त्रिलोचन, महादेव, उदयचन्दपुर, असवारी आदि ग्रामों में नहरों से सीपेज का पाया जाना

82–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केराकत रजबहा व बाबतपुर रजबहा चोलापुर माइनर, सिंचाई खण्ड, जौनपुर में सीपेज से सैकड़ों एकड़ किसानों की जमीन को जलमग्न होने से बचाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार त्रिलोचन, महादेव, उदयचन्दपुर एवं असवारी, हमीरापुर कुवार बराई बरही नेवादा तथा जाठी, गरखारा आदि ग्रामों में सीपेज की समस्या की जांच कराकर उक्त सीपेज को रोकने हेतु उन क्षेत्रों में नहरों को पक्का बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केराकत, बाबतपुर एवं चोलापुर रजबहों से सीपेज की समस्या नगण्य है ।

ग्राम त्रिलोचन, महादेव, उदयचन्दपुर, असवारी, हमीरापुर कुवार, बराई , बरही नेवादा तथा जाठी, गरखारा आदि ग्रामों में नहरों से सामान्यतः सीपेज की समस्या न होने के कारण नहरों को पक्का कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बांदा, तहसील कर्वी के अन्तर्गत गुन्टा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

83–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत गुन्टा बांध का निर्माण कार्य बीस वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित है तथा इस बीच दस गुना लागत बढ़ चुकी है ? यदि हां, तो कितना निर्माण शेष है ? क्या उक्त बांध का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गुन्टा नाला परियोजना सुखान्मुख कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ कराई गई थी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वांछित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना को अब राजकोष से पूर्ण कराया जा रहा है । परियोजना का कार्य अष्टम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग में कार्यरत श्री अजय सिंह,रेजीडेण्ट इन्जीनियर के विरुद्ध सतर्कता जांच होने के कारण स्थानान्तरण की मांग

84–श्री नेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय सिंह रेजीडेंट इंजीनियर, लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग, लखनऊ के खिलाफ राज्य सतर्कता निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों में जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान जांच के दौरान उनका स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री सिंह को लखनऊ से बाहर असंवेदनशील पद पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को दे दिये गये हैं ।

85–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के कार्यों का भ्रष्टाचार निरोधक जनहितकारी कल्याण परिषद् उ० प्र० की शिकायत पर निरीक्षण तथा रिपोर्ट

86–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक जनहितकारी कल्याण परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 11-5-91 व 19-5-91 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गण्डक) की जानकारी में यह तथ्य लाया गया था कि उनके अधीनस्थ ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा लगभग दो करोड़ रुपये के कार्यों में अनियमितता बरती गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्राप्ति की

तिथि के उपरान्त उस पर किन-किन तिथियों में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसकी जांच टेक्निकल आडिट सेल द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । दिनांक 13-5-91 एवं दिनांक 14-5-91 को मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर के कार्यों का निरीक्षण एवं उसका लखनापार एवं अतरी बांध पर हुए मिट्टी के कार्यों की कुछ चेकिंग की गयी थी । दिनांक 14-5-91 को शिकायतकर्ता के साथ भी कुछ कार्यों का निरीक्षण किया गया था । ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर के वर्ष 89-90 एवं 90-91 में हुए कार्यों एवं अभिलेखों का अवलोकन प्राविधिक परीक्षक, टेक्निकल आडिट सेल द्वारा दिनांक 2-7-91 से दिनांक 5-7-91 तक किया गया है । टी० ए० सी० द्वारा शासन में प्राप्त रिपोर्ट में यह संस्तुति की गयी है कि मुख्य अभियन्ता (गण्डक) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5-4-91 द्वारा खण्ड के कार्यों की जांच हेतु, जांच समिति गठित कर उनकी विस्तृत आख्या प्राप्त करके कार्यवाही की जाय । तद्नुसार मुख्य अभियन्ता (गण्डक) की रिपोर्ट पर संबंधित अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ताओं तथा संबंधित लिपिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का तथा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया । अन्तर्ग्रस्त खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से कराने का निर्णय लिया जा चुका है ।

जनपद लखनऊ के सिंचाई खण्ड तथा खण्ड शारदा नहर द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 में बन्धों तथा फीडर नहर पर मिट्टी आदि के मरम्मत आदि कार्यों की जानकारी

87–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित सिंचाई खण्ड तथा लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 में बन्धों तथा फीडर नहर पर मिट्टी के मरम्मत के कार्यों जैसे वर्षा से क्षति/सौक्शन के रेस्टारेशन आदि पर ट्रांसपोर्टेड मिट्टी का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कार्यों की माप की विधि सेक्शनल पैमाइश वाली थी या खन्ती पैमाइश वाली ? जहां सेक्शनल पैमाइश हुई है वहां मिट्टी के "बारों" की दूरी कैसे सुनिश्चित की गयी ? यदि खन्ती पैमाइश से भुगतान किया गया है तो इससे शासन को कितनी क्षति हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सिंचाई खण्ड लखनऊ द्वारा बैंकों के मिट्टी से मरम्मत के कार्यों की पैमाइश बैंक पर मिट्टी के स्टेक मेजरमेंट द्वारा एवं रेस्टोरेशन के कार्यों की सेक्शन मेजरमेन्ट द्वारा किया गया है ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा बन्धों की क्षति की मरम्मत के कार्यों की माप ट्रान्सपोर्टेड मिट्टी के चट्टे लगाकर की गयी है ।

सिंचाई खण्ड लखनऊ द्वारा सेक्शन पैमाइश में मिट्टी के बौरा क्षेत्र की दूरी अनुबन्ध पत्र में निहित प्राविधानों के अनुरूप की गयी ।

उक्त दोनों खण्डों द्वारा खन्ती पैमाइश से भुगतान नहीं किया गया है । अतः शासन को क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल कालोनी में निर्मित कम्युनिटी हाल तथा आफिसर्स क्लब में 1-1-88 से 31-12-91 तक हुए कार्यक्रमों की जानकारी

88–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की "कैनाल कालोनी" में निर्मित कम्युनिटी हाल तथा आफिसर्स क्लब में 1-1-88 से 31-12-91 के मध्य किन व्यक्तियों को किस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गयी ? क्या उक्त सामुदायिक केन्द्र रिहायशी क्षेत्र में निर्मित हैं ? यदि हां, तो उक्त रिहायशी क्षेत्र का उत्तरदायी प्रभारी किस स्तर का अधिकारी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कैनाल कालोनी, लखनऊ में निर्मित "कम्युनिटी हाल" एवं "आफिसर्स क्लब" 1-1-88 से 31-12-91 के मध्य विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न आयोजनों के उद्देश्य से आवंटित किया गया । (आवंटन संबंधी सूची माननीय राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा० सदस्य अवलोकित कर सकते हैं) ।

आफिसर्स क्लब में कार्यक्रम करने की अनुमति आफिसर्स क्लब के सदस्य अधिकारियों निर्वाचित सचिव एवं नामित प्रतिनिधि द्वारा दी जाती है तथा कम्युनिटी हाल की अनुमति लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के सहायक अभियन्ता चतुर्थ/नामित अधिकारी द्वारा दी जाती है ।

जी हां ।

उक्त रिहायशी क्षेत्र का उत्तरदायी प्रभारी राजपत्रित स्तर का है ।

89–श्री सतीश भाटिया–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

पनकी परियोजना में अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच व आख्या

90–श्री राम लखन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पनकी परियोजना में अनुसूचित जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्पीड़न संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 92 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां ।

मा० सदस्य के पत्र के साथ उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी कल्याण समिति के पत्र दिनांक 24-3-92 में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी और जांचोपरान्त कथित आरोप निराधार पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम भिंतर तथा उसके आस-पास के ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने की मांग

91–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के ग्राम भिंतर तथा उसके आस-पास के ग्रामों के अन्तर्गत स्थित कृषि क्षेत्र में सिंचाई की कोई सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में फसलें उत्पादित नहीं हो पाती हैं ? यदि हां, तो क्या कृषकों को वर्षा पर ही आधारित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या ग्राम भिंतर में राजकीय नलकूप लगाने के लिए भूगर्भ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् से कराने हेतु सिंचाई विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो इस दिशा में उपलब्धि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, ग्राम भिंतर व उसके आस-पास के ग्रामों के अन्तर्गत स्थित कृषि क्षेत्र में सिंचाई आंशिक रूप से नहर व राजकीय नलकूप से की जा रही है ।

उपरोक्त तारतम्य में प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् से अन्वेषणात्मक छिद्रण कराने हेतु पत्र व्यवहार किया गया है एवं संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया गया है ।

केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् द्वारा छिद्रण हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम अभी सूचित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

92–श्री लीला राम शर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में भूमि संरक्षण अधिकारी के कुल पदों की संख्या एवं उनके कार्यों की जानकारी

93–श्री लीला राम शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में भूमि संरक्षण अधिकारी के कितने पद विद्यमान हैं ? क्या इन भूमि संरक्षण अधिकारियों का कार्य क्षेत्र अलग-अलग है ? यदि हां, तो प्रत्येक का कार्य क्षेत्र क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जनपद अल्मोड़ा में भूमि संरक्षण अधिकारी के 4 पद तथा जनपद पिथौरागढ़ में भूमि संरक्षण अधिकारी के 2 पद विद्यमान हैं ।

जी हां ।

दोनों जनपदों में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :–

भूमि संरक्षण इकाई का नाम	विकास खण्ड का नाम
जनपद अल्मोड़ा	
1–अल्मोड़ा	1–हवालबाग
	2–धौलादेवी
	3–मैसियाछाना
	4–लमगड़ा
2–रानीखेत	1–द्वाराहाट
	2–भिकियासेण
3–बागेश्वर	1–बागेश्वर
	2–ताकुला
	3–गरुड़ बैजनाथ
	4–कपकोट
4–ताड़ीखेत	1–स्याल्टे
	2–ताड़ीखेत
जनपद पिथौरागढ़	
1–पिथौरागढ़	1–विण
	2–बाराकोट
	3–मनाकोट
	4–पाटी
	5–लोहाघाट
	6–चम्पावत
2–डीडीहाट	1–डीडीहाट
	2–गंगोलीहाट
	3–मनस्यारी
	4–कैनालीछीना
	5–धारचला
	6–बेरीनाग

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जनपद टिहरी गढ़वाल में जलकूर नदी से बौसाड़ी गांव तक निर्माणाधीन नहर में की गयी अनियमितता तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

94–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रताप नगर के अन्तर्गत जलकूर नदी से बौसाड़ी गांव तक निर्माणाधीन 5.50 कि०मी० लम्बी सिंचाई नहर में भारी गड़बड़ी की गयी है ? क्या यह सत्य है कि सम्पूर्ण लागत राशि खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य अत्यन्त घटिया किस्म का हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में गैर (नगुण) सिंचाई नहर में खर्च की गयी धनराशि एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच की मांग

95–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में गैर (नगुण) सिंचाई नहर पर किस वर्ष कार्य आरम्भ हुआ ? अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या नहर से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि विभागीय अभियन्ताओं ने नहर निर्माण के नाम पर भारी अनियमिततायें की हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96–श्री लाखी राम जोशी–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

97–श्री लाखी राम जोशी–

[पहले सोमवार में अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश स्तर पर निष्क्रिय नहरों के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की सरकारी योजना की जानकारी

98–श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन नहरों/रजबहों/माइनरों में 5 साल से भी पानी नहीं गया है या पूरे वर्ष में कभी-कभी एक बार पहुंच सका है, उन्हें नहर कमाण्ड एरिया से हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रदेश में गत 5 साल या उससे अधिक समय से पानी न पाने वाले रजबहों की पहचान क्या सरकार ने कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार के असिंचित मगर नहर के कमाण्ड में आने वाले क्षेत्रों को पानी देने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

99–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

100–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[दिनांक 22-4-92 को अता० प्र० सं० 26 द्वारा उत्तरित]

101–102–श्री तेजभान सिंह–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

103–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र की जांच आख्या

104–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–142 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराये गये शिकायती-पत्र पर क्या जांच आख्या अब तक शासन को प्राप्त हो गयी है ? क्या उसके अनुसार पूरे प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है ? यदि हां, तो जांच का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो प्रकरण की जांच पूर्ण किये जाने के बारे में शासन स्तर से क्या कार्यवाही करायी जा रही है और जांच आख्या कब तक मिल जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 14-8-91 प्राप्त हुआ था जिसे पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को परिषदीय सतर्कता जांच हेतु भेजा गया है और अभी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

अभी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

परिषदीय पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) को स्मरण कराया गया है कि प्रश्नगत मामले में प्राथमिकता के आधार पर वांछित जांच आख्या उपलब्ध करायें ।

पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता से पूछा जा रहा है ।

विद्युत वितरण खण्ड, जनपद वाराणसी के सहायक अभियन्ता श्री राम मिलन वर्मा पर टेलीफोन के बिल में कोई अनियमितता न पाया जाना

105-श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, सब-विद्युत स्टेशन, पिण्डरा, अनेई व हरदुआ, जिला वाराणसी के सहायक अभियन्ता श्री वर्मा ने विभाग के टेलीफोन से सन् 91-92 में

80 हजार रु० का टेलीफोन देश व विदेश में किया गया है जो विभाग के ऊपर बकाया हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर टेलीफोन का बकाया उनके वेतन से काट कर जमा करायेगी और विभागीय टेलीफोन का दुरुपयोग करने के संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

इस प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र से करायी गयी थी । जांच से विदित हुआ कि दूर संचार विभाग, वाराणसी द्वारा श्री राम मिलन वर्मा, उप खण्ड अधिकारी के आवास पर लगे परिषदीय दूरभाष सं० 310907 का बिल दिनांक 1-11-91 रु० 75616.00 जिसकी उपयोग की अवधि दिनांक 16-8-91 से 15-10-91 तक थी, गलत निर्गत किया गया था । अतः दूर संचार विभाग ने इस बिल को संशोधित कर रु० 2500 का बिल भेजा । इस धनराशि में श्री वर्मा द्वारा की गयी निजी कालों की धनराशि रु० 961.35 को विभाग में दिनांक 27-5-92 को जमा कर दिया है ।

उपर्युक्त दूरभाष का दुरुपयोग नहीं हुआ और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

106–107–श्री ऊदल–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद गाजीपुर तथा बलिया के गंगा व घाघरा की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को बचाने की योजना की जानकारी

108–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बलिया जनपदों के विगत तीन वर्षों से गंगा तथा घाघरा की बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए शासन द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गंगा जैसी विशाल नदी पर बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए तटबन्धों का निर्माण व्यवहारिक कठिनाइयों एवं अड़चनों के कारण प्रभावी नहीं हो पाती है, क्योंकि बाढ़ के जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए तटबन्धों के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि नदी के किनारे अवस्थित बहुत सी आबादियां तटबन्धों एवं नदी के मुख्य धारा के बीच में आ जाती है और इन्हें अन्यत्र विस्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिसका सामान्यतया प्रबल विरोध होता है । अतः गाजीपुर जनपद में गंगा की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है ।

जहां तक जनपद बलिया में गंगा तथा घाघरा नदियों की बाढ़ से सुरक्षा का प्रश्न है, इस जनपद में विगत तीन वर्षों में जिन योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1–गंगा नदी की योजनायें :–

1–रैपुरा रिंग बांध का निर्माण ।

2–बलिया-बेरिया बांध के कि०मी० 24.500 से 24.750 के सम्मुख चार स्टड का निर्माण ।

3–जय प्रकाश नगर रिंग बांध तथा कटाव निरोधक का निर्माण ।

4–इन्दरपुर थम्मनपुर बांध की सुरक्षा हेतु दो अदद पारगम्य स्परों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण ।

5–बहुआरा-शीवनुर-कपूरदीयर रिंग बांध का निर्माण ।

2–घाघरा नदी की योजनायें :–

1–बकुल्हा-संसार टोला बांध पर स्लोप प्रोटेक्शन का निर्माण कार्य ।

109–श्री लीला राम शर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जिला पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

110–श्री लीला राम शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हेतु कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है ? उक्त ट्रांसफार्मर कब तक वहां पर उपलब्ध होंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

15 सितम्बर, 1992 तक जिला पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हेतु 41 नग 25 के०वी० ए० ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है जिनके अगले महीने के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

जनपद बांदा में कृषकों को पानी न उपलब्ध होने से उचित कार्यवाही की जांच

111–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद बांदा में सिंचाई साधनों के होते हुए भी कृषकों को पानी उपलब्ध न कराने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के बबेरू क्षेत्र में केन कैनाल के टेल भाग तक पानी न पहुंचने के कारण राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

112–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बबेरू क्षेत्र में केन कैनाल के टेल में ऊंचाई होने के कारण पानी न पहुंचने पर प्रति वर्ष सूखे की स्थिति से निपटने के लिए स्थान-स्थान पर राजकीय नलकूप स्थापित करके समस्या का समाधान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो परिश्रमी कृषकों के हित में और दूसरे क्या उपाय किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बबेरू क्षेत्र में केन कैनाल के टेल भाग में पानी न पहुंचने के कारण राजकीय नलकूप स्थापित करने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय नलकूपों व डाल नहर योजना का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बांदा की औगासी पम्प कैनाल की विद्युत लाइन ठीक किये जाने की मांग

113–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्षों से औगासी पम्प कैनाल की विद्युत लाइन को दुरुस्त करने संबंधी व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में एन० आर० डी० के रूप में धनराशि की कटौती तथा उसका प्रयोजन

114–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य से एन० आर० डी० के रूप में धनराशि काटी जा रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1983 से 1991-92 तक कितना रुपया काटा जा चुका है ? उक्त धन का कहां उपयाग किया जाएगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1983 से 30.6.1992 तक रुपया 1,00,73,611.15 की कटौती की जा चुकी है, जिसका उपयोग वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण एवं उस पर देय ब्याज की अदायगी हेतु किया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, टांडा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच की मांग

115–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से श्री कन्हैया प्रसाद से संबंधित अभिलेख मंगाकर, विभागीय एम० बी० तथा कैश बुक के अनुसार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ? इस तरह जांच कराने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच की जा रही है । अतः किसी माध्यम से जांच कराना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र एवं मण्डल गोरखपुर, लखनऊ, बांदा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की शासन की नीति की जानकारी

116–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र एवं मण्डल गोरखपुर, लखनऊ, बांदा में कितने अवर अभियन्ता पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से एक डिवीजन पर कार्यरत हैं ? स्थानान्तरण की समयावधि संबंधी नीति क्या है ? निर्धारित समयावधि से अधिक समय से कितने अवर अभियन्ता वहां कार्य कर रहे हैं ? क्या उनमें से कुछ के स्थानान्तरण किये गये हैं तथा वे रिलीव अब तक नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसका क्या औचित्य है ? क्या स्थानान्तरण नीति के पालन में अब इनके स्थानान्तरण किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को विद्युत चोरी रोकने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं की गयी कार्यवाही

117–श्री अनिल कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो उनके कार्यालय के पत्र संख्या-1649/वी० आई० पी०/ई० एम०/91, दिनांक 12-11-91 द्वारा अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश को बिजली की चोरी रोकने के संबंध में भेजी गयी है ? क्या पत्र में संदर्भित उपभोक्ता विभाग द्वारा स्वीकृत हार्स पावर से अधिक की विद्युत मोटर का उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्नगत उपभोक्ता एच० बी० 2 दर सूची के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त कर रहा है । इस दर सूची के प्राविधान के अनुसार उपभोक्ता परिसर में लगे हुए विद्युत उपकरण/विद्युत मोटर अनुबंधित भार से अधिक हो सकता है, जो कोई अनियमितता नहीं है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में निदेशक (प्रशासन) के सृजित पद पर पी० सी० एस० अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी

118–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में निदेशक (प्रशासन) का सृजित पद काफी अर्से से रिक्त है और उक्त पद पर पी० सी० एस० अधिकारी की ही नियुक्ति होनी है ऐसी स्थिति में जब तक शासन उक्त पद पर नियमित रूप से किसी पी० सी० एस० अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता है तब तक क्या शासन उक्त पद का कार्य भार विश्वविद्यालय में ही कार्यरत किसी पी० सी० एस० अधिकारी को सौपेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्वविद्यालय में कोई और पी० सी० एस० अधिकारी नियुक्ति नहीं है अतः उक्त पद का कार्यभार किसी और पी० सी० एस० अधिकारी को सौंपे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत लैब असिस्टेन्ट के पुनरीक्षित वेतनमान तथा एग्रोनामी विभाग में कार्यरत आशुलिपिक को वरिष्ठ लिपिक बनाये जाने का प्रकरण

119–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्यरत लैब असिस्टेन्ट के वेतनमान को विश्वविद्यालय प्रबन्ध परिषद् द्वारा दिनांक 1-1-86 से रु० 975-1660 से बढ़ा कर रु० 1200-2040 कर दिया है ? यदि हां,तो बिना वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये प्रबन्ध परिषद् वेतनमान संशोधित करने के लिये अधिकृत है ? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिये कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है किन्तु परम्परा के अनुसार वित्तीय उपाशय से संबंधित प्रकरण में पूर्वानुमोदन आवश्यक है । प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में एग्रोनामी विभाग में कार्यरत किसी आशुलिपिक को फरवरी, 1989 में वरिष्ठ लिपिक बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी की मौलिक नियुक्ति किस पद पर प्रथम बार की गयी और कब ? यह परिवर्तन करने के लिये कुलपति/विश्वविद्यालय प्रबन्ध परिषद्/शासन में कौन अधिकृत है ? क्या पद परिवर्तन के समय आशुलिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान एवं अर्हता एक ही थी तथा क्या यह परिवर्तन नियमानुसार है ? क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जांच शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121–122–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया ग्राम सभा बेलासदा दोमुहवा में राजकीय नलकूप लगाने हेतु विधायक का पत्र तथा कृत कार्यवाही

123–श्री रमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री अरुण प्रताप सिंह के पत्र दिनांक 6-8-91 के साथ संलग्नक पत्र श्री इन्द्रजीत वर्मा, संयुक्त सचिव के अर्द्ध० शा० पत्र संख्या-217 एम० एल० ए०/90-27 सिंचाई–5, उ० प्र० शासन, दिनांक 31 मई, 90 ग्राम सभा बेलासदा, ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या राजकीय नलकूप लगाया जा चुका है ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने वाले दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत ग्राम में नलकूप निर्माण की उपयुक्तता नहीं पाई गई ।

124–श्री रमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेलासदा, ब्लाक भदैया (दोमुहवा), जनपद सुल्तानपुर में जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा वर्ष 1991-92 को दी गई थी ? यदि हां, तो क्या राजकीय नलकूप को चालू करा कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कार्य में विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी को सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो राजकीय नलकूप लगाये जाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में दीवानी न्यायालय में कार्यरत आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता दिये जाने की मांग

125–श्री तेजभान सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी न्यायालय, बहराइच में कार्यरत आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ता अनुमन्य है ? यदि हां, तो द्विभाषी भत्ते हेतु जनपद न्यायधीश द्वारा कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुमति शासन/माननीय उच्च न्यायालय से मांगी थी ? यदि हां, तो उक्त अनुमति कब मांगी गई थी

तथा कब दी गई ? यदि द्विभाषी भत्ता देने के सम्बन्ध में अनुमति दी गई तो कब ? लम्बी अवधि तक अनुमति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126–श्री तेजभान सिंह–

[माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

127–श्री बच्ची सिंह रावत–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद आगरा के विद्युत विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का मामला

128–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग में स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या आगरा में ही दस वर्ष और उससे भी अधिक वर्षों से कार्य करने वाले कुछ अभियन्ताओं को विशेष सुविधा के तहत आगरा में नियुक्ति कर रखा गया था ? क्या उन्हें जून, 1992 के बाद वहां से अन्यत्र हटाया गया ? यदि हटाया गया है, तो उन अभियन्ताओं के नाम व पद क्या हैं ? यदि नहीं हटाया गया है, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों तथा परिषदीय हित में कार्य की आवश्यकता के आधार पर ही अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

जी नहीं । दस वर्षों से अधिक समय से आगरा में तैनात अभियन्ताओं के जो मामले संज्ञान में आये हैं उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, गन्ना आयुक्त कार्यालय, जनपद लखनऊ के अपर मुख्य अभियन्ता द्वारा कराये गये भवनों के निर्माण की जानकारी

129–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिव पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता, गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ वर्तमान पद पर शाखा में कब से तैनात हैं ? अब तक इनके द्वारा कितने भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है तथा कितना निर्माण कार्य विचाराधीन है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त कार्यालय परिसर के अन्दर पीछे भाग में निर्माणाधीन भवन कब से निर्माणाधीन है ? अब तक भवन तैयार न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिये मुख्य अभियन्ता को जिम्मेदार मान कर दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

गन्ना आयुक्त कार्यालय में मुख्य अभियन्ता का कोई पद नहीं है ।

भवनों का निर्माण कार्य अपर मुख्य अभियन्ता द्वारा कराया गया है । अब तक 272 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 61 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

गन्ना आयुक्त कार्यालय परिसर में दिनांक 15-3-89 से भवन निर्माणाधीन है ।

अब तक निर्माण कार्यों पर रु० 14.61 लाख व्यय हुआ है । अपेक्षित धनराशि समयानुसार न उपलब्ध होने तथा ठेकेदार द्वारा कुछ कार्यों को विलम्ब से करने के कारण भवन पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है । दोषी ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी है । अन्य शेष कार्य माह दिसम्बर, 1992 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप-पत्र

130–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार/अनियमितता से संबंधित कुल कितने पत्र विभागाध्यक्ष कार्यालय, सिंचाई विभाग में विगत दो कैलेण्डर वर्षों में प्रस्तुत किये गये ? इन पर किन-किन तिथियों में क्या निर्णय किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । विगत दो कैलेण्डर वर्ष 1990 तथा 1991 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार/अनियमितता से संबंधित पत्र प्रस्तुत नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ में उपलब्ध ट्रैक्टर के कार्यों की जानकारी

131–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ में उपलब्ध ट्रैक्टर से क्या कार्य कराया जाता है ? इसे कब और कहां से लिया गया ? इसकी मरम्मत पर गत वर्षों में कितना व्यय किया गया तथा शासन को व्यय के अनुपात में क्या लाभ प्राप्त हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खण्ड में उपलब्ध ट्रैक्टर से खण्ड के अन्तर्गत स्थित 9 गेज डिस्चार्ज स्थलों पर भण्डार/उपकरणों एवं संयंत्र तथा मिट्टी की ढुलाई का कार्य कराया जाता है ।

ट्रैक्टर को दिनांक 10-4-90 को सिंचाई खण्ड, लखनऊ (महमूदाबाद) जनपद सीतापुर से स्थानान्तरण पर प्राप्त किया गया है ।

ट्रैक्टर के मरम्मत पर वर्ष 90-91 में रु० 8050 तथा वर्ष 91-92 में रु० 1144 कुल व्यय रु० 8050+1144= रु० 9194 किया गया है ।

छोटे-छोटे निर्माण कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादन हेतु सामग्री आदि की ढुलाई में ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है । इसी कार्य को अन्य साधनों द्वारा कराया जाता तो उस पर अधिक व्यय भार वहन करना पड़ता तथा कार्यों को समय से पूर्ण करने में व्यवधान होगा ।

जनपद लखनऊ के सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ में डी० आर० बी० कम-फाल निर्माण में किये गये अनुबन्धों में हुई अनियमितता की जांच

132–श्री लालजी वर्मा तथा श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–16, सुल्तानपुर के अन्तर्गत खोकेपुर स्केप से किलोमीटर 4-200 पर डी० आर० बी० कम-फाल के निर्माण कार्य पर सेवानिवृत्त श्री उमाशंकर लखटकिया, मुख्य अभियन्ता द्वारा सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ में

अधीक्षण अभियन्ता के कार्यकाल 6-7-81 से 7-7-84 के मध्य अनुबन्ध संख्या-अधीक्षण अभियन्ता 2/81-82 के कार्य संचालन में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा सरकारी कार्यों में अत्यधिक उदासीनता के कारण शासन को रुपया 4,03,672 (3,73,544+30,128) का अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ा था ? यदि हां, तो क्या ? इस संबंध में आडिट द्वारा भी आपत्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिनांक 2-2-90 को भ्रष्टाचार निरोधक जन हितकारी कल्याण परिषद्, उ० प्र० (लखनऊ) का शिकायती- पत्र भी प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन को हुई क्षति 4,03,672/- की वसूली किसके नाम सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लोकेपुर स्केप के कि० मी० 4.20 पर डी० आर० बी० कम-फाल के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या-2/81-82 अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किया गया । कार्य की अनुबंधित लागत 5.98 लाख रुपये थी । कार्य प्रारम्भ करने की संशोधित तिथि 9-12-81 एवं कार्य पूर्ण करने की संशोधित तिथि 8-4-82 थी । इस अनुबंध के अन्तर्गत केवल मिट्टी का आंशिक कार्य ही किया गया । तत्पश्चात् डी० आर० बी० कम-फाल के स्थगन पर केवल डी० आर० बी० के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसके लिये अनुबंध सं०-2/86-87 अधिशासी अभियन्ता स्तर पर किया गया । कार्य की अनुबंधित लागत 7.61 लाख रु० थी । कार्य की लागत में मुख्यतः वृद्धि वर्ष 1981-82 में किये गये अनुबंध एवं वर्ष 86-87 में किये गये अनुबंध के अन्तराल में निर्माण सामग्री एवं लेबर की दरों में वृद्धि के कारण हुई ।

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिं० वि० द्वारा महालेखाकार को उत्तर दिया गया है जिस पर निर्णय अपेक्षित है ।

जी हां ।

इस मामले की जांच मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा कराई जा रही है ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखनऊ एवं बस्ती में स्थापित अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्डों के अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं में क्रय किये गये उपकरणों तथा किये गये कार्यों की जानकारी

133–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ तथा बस्ती जनपदों में स्थित अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्डों के अन्तर्गत प्रयोगशाला लैब स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं में अब तक क्या-क्या कार्य कराये गये ? उक्त प्रयोगशालाओं के लिये कितनी धनराशि के उपकरण क्रय किये गये तथा उनकी उपयोगिता अब तक क्या रही है ? उक्त प्रयोगशालाओं/लैब पर गत दो वर्षों में कितना धन व्यय हुआ है तथा व्यय की गयी धनराशि की उपयोगिता अब तक क्या रही ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अन्तर्गत एक प्रयोगशाला स्थापित है ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, बस्ती में प्रयोगशाला स्थापित नहीं है ।

जल गुणवत्ता हेतु भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण कार्य कराये गये ।

1.08 लाख रुपये धनराशि के उपकरण क्रय किये गये । इन उपकरणों का उपयोग जलगुणवत्ता परीक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है ।

वर्ष 90-91 में 46,598.89 रुपया तथा वर्ष 1991-92 में 22367.80 रुपया व्यय किया गया । जलगुणवत्ता परीक्षण कार्य हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु जल के आंकलन के लिये उपरोक्त धनराशि का व्यय किया गया ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत श्री एम० एस० द्विवेदी, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रेषित रिपोर्ट शासन स्तर पर विचाराधीन

134–श्री लालजी वर्मा तथा श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक जन-हितकारी कल्याण परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ का शिकायती-पत्र संख्या 17/2-90/सिं०, दिनांक 20-2-90 शासन को दिनांक 26-2-90 को प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या 65 लाख से भी अधिक राशि के भ्रष्टाचार के इस मामले में, जिसकी प्रारम्भिक जांच आख्या अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर के अ० शा० पत्र संख्या-4033/सी-5, दिनांक 10-7-89 द्वारा भेजी गयी थी, के उपरान्त अंतिम जांचोपरान्त प्राप्त जांच आख्या में श्री एम० एस० द्विवेदी, अधिशासी अभियन्ता दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच कराई जा चुकी है । उक्त पत्र में जो शिकायतें की गयी हैं वह पूर्व में ही श्री रूप किशोर गंगवार, निवासी एमनजई, जलालनगर, शाहजहांपुर के शिकायती-पत्र द्वारा प्राप्त हो गयी थी । उस पर जांच आख्या अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, सीतापुर के अ० शा० प० सं०–4033/सिं० का० मं०/एरो-5 दिनांक 10-7-89 द्वारा मुख्य अभियन्ता (शारदा) को प्रेषित की गयी थी जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता (शारदा) की अंतिम जांच आख्या उनके पत्र सं०-सी-666/शा० अनु० दि० 16-3-92 के माध्यम से शासन को प्राप्त हो गयी है, जो कि शासन के विचाराधीन है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के उप निदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् को कायल क्षेत्र, इलाहाबाद मण्डी समिति द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

135–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, इलाहाबाद द्वारा उप निदेशक (निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, इलाहाबाद संभाग को पत्रांक क्षे० का० प्र० (निर्माण)/91-828, दिनांक 30 अगस्त, 1991 द्वारा कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या विवरण के आधार पर संबंधित अधिकारी ने सूचना प्रेषित की है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

पत्र द्वारा संभागीय उप निदेशक (प्र०), इलाहाबाद ने उप निदेशक (निर्माण) से मा० विधायक श्री दिनेश चन्द्र सोनकर के पत्र दिनांक 29-8-91 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र चायल (इलाहाबाद) के अन्तर्गत मण्डी समिति, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 90-91 एवं 91-92 में कराये गये एवं चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी चाही थी ।

जी हां ।

उप निदेशक (नि०), इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 1-10-91 द्वारा विधान सभा चायल के क्षेत्रान्तर्गत परिषद् द्वारा कराये जा रहे तथा पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की सूचना मा० विधायक को प्रेषित की थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

136–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

भूमि संरक्षण इकाई, जनपद बांदा में वर्ष 1989-90 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किये गए धन के मानक की जांच

137–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई, बांदा को वर्ष 1989-90 में किन-किन योजनाओं में धन प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार कार्य न कराकर परियोजनाओं के कार्य में धांधली की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या जो कार्य वर्ष 1989-90 में कराये गये हैं उन्हीं कार्यों को कितने गांवों में वर्ष 1990-91 में एवं वर्ष 1991-92 में पुनः कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसमें धांधली की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

वर्ष 89-90 में डी० पी० ए० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० (सेक्टोरल) तथा सामान्य एवं जवाहर रोजगार योजनाओं में धन प्राप्त हुआ ।

प्राप्त सूचनानुसार कार्य मानक के अनुसार कराया गया है । धांधली का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया । जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जो कार्य वर्ष 1989-90 में कराये गये हैं उन्हीं कार्यों को वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में पुनः कराने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के भूमि संरक्षण इकाई द्वारा की गयी मेड़बन्दी एवं सिंचाई हेतु बनाये गये तालाबों में हुई अनियमितता की जानकारी हेतु जांच समिति का गठन तथा उसकी रिपोर्ट

138–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में किन-किन गांवों में मेड़बन्दी एवं सिंचाई हेतु तालाबों का निर्माण भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा कराया गया है ? क्या भ्रष्टाचार के आरोप होने पर दिनांक 2-11-91 को जांच समिति बनी थी ? यदि हां, तो उसमें

किन-किन बिन्दुओं पर भूमि संरक्षण अधिकारी को दोषी पाया गया ? क्या टी०ए० सी० से कराये कार्यों की पुनः जांच का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में संलग्न सूची के अनुसार 29 ग्रामों में मेड़बन्दी का कार्य तथा 7 ग्रामों में तालाबों का निर्माण कार्य भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा कराया गया ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा की बैठक दिनांक 2-11-91 में माननीय विधायक श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के अनुरोध पर एक जांच समिति बनी थी । जांच समिति की रिपोर्ट में राजकीय धन के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

कृषि निदेशालय के प्राविधिक सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा गठित टोली द्वारा भी दिनांक 4-6 मई, 1992 को जांच की जा चुकी है । पुनः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 110 पर)

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा वर्ष 1991-92 में जल भराव, बांध आदि योजनाओं हेतु प्राप्त धन के खर्च का विवरण

139–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में विभिन्न योजनाओं द्वारा विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम परमपुरवा लुकतरा में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या उस धनराशि से समोच्चरेखीय बांध, जल भराव बांध, संचय बांध, गली अवरोध बांध आदि कार्य व स्वीकृत जल समेट के अन्तर्गत कार्य उक्त ग्राम में कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पुरानी बन्धी के ऊपर मिट्टी छिड़क कर सरकार को क्षति पहुंचायी गयी है ? क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा वर्ष 1991-92 में ग्राम परमपुरवा, लुकतरा में 1.88 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई ।

उपलब्ध धनराशि से जल भराव बांध, गली अवरोध बांध एवं जल संचय बंधी का कार्य कराया गया ।

जी नहीं । नये निर्माण कार्य कराये गये । भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा वर्ष 91-92 में किये गये कार्यों का तकनीकी सम्प्रेक्षण किया जा चुका है । किसी अन्य जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

140–श्री तीरथ राज–

[पहले मंगल में अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी की रामसनेही घाट तहसील में श्री राम प्यारे सिंह द्वारा अवैध रूप से स्टाक की गयी उर्वरक को पकड़ने हेतु पारित जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

141–श्री तीरथ राज–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमेन्द्र कुमार सिंह एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम बहरेलाडीह, परगना सूरजपुर, तहसील राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी के 3-8-91 के प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन प्रभारी जिला अधिकारी, (अतिरिक्त जिला अधिकारी, परियोजना) श्री मुकेश मित्तल ने

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी को श्री राम प्यारे सिंह निवासी ग्राम बहरेलाडीह, तहसील राम सनेहीघाट, जनपद बाराबंकी के अवैध उर्वरक स्टाक को पकड़ने के संबंध में निर्देश दिया था जिसे उसी दिन प्रार्थना-पत्र दाताओं ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से रिसीव करा दिया था ? यदि हां, तो क्या जिला कृषि अधिकारी ने जिला अधिकारी, बाराबंकी के आदेशों का अनुपालन करके जिला अधिकारी को कृत कार्यवाही के संबंध में कोई आख्या भेजी है ? किन परिस्थितियों में जिला कृषि अधिकारी ने जिला अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरती ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने अपर जिला कृषि अधिकारी (मुख्यालय) एवं अपर जिला कृषि अधिकारी, तहसील राम सनेहीघाट, उर्वरक निरीक्षक को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश दिया परन्तु जांच में पाया गया कि खंड विकास अधिकारी, बनींकोडर/उर्वरक निरीक्षक को पूर्व में ही शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 8-8-91 को सम्बन्धित विक्रेता का स्टाक सत्यापित किया गया जिसमें विक्रेता के घर पर 490 बोरी यूरिया, गोदाम के अतिरिक्त पाई जिसे स्टाक रजिस्टर पर अंकित करा दिया गया और इस प्रकार पाये गये स्टाक को उनके द्वारा परमिट के आधार पर कृषकों में वितरित करा दिया गया । जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या जिला अधिकारी को नहीं भेजी गयी, क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये थे ।

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने जिला अधिकारी, बाराबंकी के आदेशों के अनुपालन में कोई शिथिलता नहीं बरती, जिला कृषि अधिकारी ने उसी दिन दिनांक 3-8-91 के पत्र पर कार्यवाही करने हेतु अपर जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित कर दिया था, परन्तु अपर जिला कृषि अधिकारी ने प्रश्नगत प्रकरण की जांच में अनावश्यक विलम्ब किया जिसके लिये उनकी चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित कर दी गयी तथा जिला कृषि अधिकारी को कठोर चेतावनी दे दी गयी है । खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर, जनपद बाराबंकी को अवैध उर्वरक स्टाक पाये जाने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के संबंध में संबंधित विभाग को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है ।

जनपद हरदोई के शारदा नहर विभाग में कार्यरत स्व० शराफत हुसैन को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा सेवा के अयोग्य घोषित किये जाने के उपरान्त आश्रित को नौकरी में न लिया जाना तथा विधवा पेंशन में हुई गड़बड़ी की जांच

142–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के शारदा नहर विभाग में 1970 से पूर्व कार्यरत मृतकों के आश्रित अवधेश कुमार मेठ तथा अखिलेश कुमार सींचपाल की नियुक्ति आश्रित कोटे में की गयी ? यदि हां, तो स्व० शराफत हुसैन, पतरौल, गौरी खालसा, पो० सुभान खेड़ा, जि० हरदोई के आश्रित शहजाद हुसैन को सेवा में क्यों नहीं लिया गया ? स्व० शराफत हुसैन, पतरौल की विधवा असगरी बेगम की स्वीकृति पारिवारिक पेंशन पिछले 3 वर्षों से क्यों रोक दी गयी ? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? उक्त दोनों कार्यवाहियां कब तक होंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री अवधेश कुमार, मेट तथा श्री अखिलेश कुमार, सींचपाल की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में नहीं की गयी थी ।

स्व० शराफत हुसैन, पतरौल, गौरी खालसा, पो० सुभान खेड़ा, जिला हरदोई को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सेवा करने के योग्य न होने के कारण दिनांक 12-7-67 को इनवैल्डि सेवानिवृत्त कर दिया गया था । सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 24-9-67 को श्री शराफत हुसैन की मृत्यु हो गयी थी अतः मृतक आश्रित के रूप में श्री शहजाद हुसैन को सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक की विधवा असगरी बेगम को पारिवारिक पेंशन स्वीकृति की जा चुकी थी, किन्तु स्वीकृत पेंशन में अधिक भुगतान होने का प्रकरण प्रकाश में आने पर भुगतान की जा रही पेंशन कोषाधिकारी हरदोई द्वारा रोक दी गयी है ।

प्रकरण की जांच की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड शारदा नहर, जनपद लखनऊ के नियंत्रणाधीन जीपों, एम्बेसडर कारों तथा ट्रक-ट्रैक्टरों की संख्या तथा उनकी मरम्मत आदि में व्यय का विवरण

143–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन जीपों, एम्बेसडर व अन्य कारों तथा ट्रक-ट्रैक्टरों की संख्या कितनी हैं ? क्या इन वाहनों पर मरम्मत मद पर नियमों में प्राविधानिक व्यय से अधिक धनराशि व्यय की जा रही है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में प्रत्येक वाहन पर मरम्मत पर किये गये मासिक व्यय के विवरण क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन वाहनों की संख्या निम्न अनुसार है :–

वाहन	संख्या
कार	23
जीप	18
ट्रक	2
ट्रैक्टर	6
	49

जी नहीं ।

व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 111–116 पर)

खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत बाढ़ व सुरक्षा की दृष्टि से हार्डिंग पुल से ऊपर गोमती नदी के बायें किनारे पर निर्माणाधीन बांध की प्रगति की जानकारी

144–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के नियंत्रण में बाढ़ सुरक्षा कार्यो के अन्तर्गत हार्डिंग पुल से ऊपर गोमती नदी के बायें किनारे का बांध निर्माण कार्य किस वर्ष की किस तिथि को समाप्त हो गया है ? क्या नियमानुसार इस निर्माण कार्य की कम्पलीशन रिपोर्ट बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत बांध का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जुलाई, 1989 से जुलाई, 1991 तक प्रति माह बाउचर्स/हैण्ड रिसीप्ट्स कन्वेयेन्स आदि के रूप में स्वयं के नाम पर प्राप्त किये गये धन का मामला

145-श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विगत दो वर्ष (जुलाई, 89 से जुलाई, 91 तक) में प्रतिमाह कितनी धनराशि के बाउचर्स/हैण्ड रिसीप्ट्स कन्वेयेन्स चार्जेज के रूप में स्वयं अपने नाम से पारित किये गये हैं ? इस वित्तीय अनियमितता की जांच मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग के माध्यम से करवा कर दोषी व्यक्ति को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विगत दो वर्ष (जुलाई, 1989 से 1991 तक) में अपने नाम से कोई वाउचर्स/हैण्ड रिसीप्ट्स कन्वेयेन्स चार्जेज के रूप में स्वयं अपने नाम से पारित नहीं किये गये हैं ।

कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है । अतः जांच की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में क्रय की गयी मोटर बोट के उद्देश्य तथा उसके उपयोग में हुए व्यय की जानकारी

146–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत कितनी मोटर बोट विगत 3 वर्षों के अन्दर क्रय की गयीं ? उन्हें क्रय करने का उद्देश्य क्या था तथा किसके आदेशों से एवं किस फर्म से इन्हें क्रय किया गया ? उक्त मोटर बोट अब तक कितने घन्टे चलायी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के अन्दर दो अदद मोटर बोट क्रय की गयीं ।

मानसून अवधि में नदियों का प्रवाह तीव्र होने से, गेज प्रवाह मापन साधारण नाव द्वारा सम्भव नहीं हो पाता है। अतः इस उद्देश्य से इन्हें क्रय किया गया। मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश के अन्तर्गत द मेसर्स वेस्टर्न प्रसीजम इन्स्ट्रूमेन्ट इम्पोरियम, रुड़की से क्रॅय किया गया।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अन्तर्गत मोटर बोट 63.10 घन्टे एवं अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, बस्ती के अन्तर्गत 12 घन्टे चलायी गयीं।

खण्ड गंगानहर, अलीगढ़ से नलकूप खण्ड प्रथम में स्थानान्तरित श्री ख्यालीराम शर्मा एवं श्री चोखे सिंह, आशुलिपिक के स्थानान्तरण अवधि में हुए विलम्ब की विस्तृत जानकारी

147–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 5421/27-1-3-7/91, दिनांक 10-7-91 में दिये गये निर्देशानुसार संयोजक क्षेत्रीय स्थानान्तरण समिति कार्यालय मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम), सिंचाई विभाग, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 77772/मु० अ० न० प०/सामान्य/स्था०, दिनांक 30-7-91 द्वारा खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ से नलकूप खण्ड प्रथम, अलीगढ़ को स्थानान्तरित श्री ख्यालीराम शर्मा एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित श्री चोखे सिंह, आशुलिपिकों को आदेशों में दी गई अवधि के अन्दर कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया ? उक्त कर्मचारियों के कार्यमुक्त न होने पर शासनादेश के प्रस्तर–11 व 12 की अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? शासनादेश की नीति के विपरीत कार्यालय ज्ञाप संख्या-7772/मु० अ०न०प० सामान्य/स्था०, दिनांक 30-7-91 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31-3-92 तक स्थगित क्यों किये गये ? दिनांक 31-3-92 के बाद उक्त आदेशों द्वारा स्थानान्तरित कर्मचारियों को अभी तक कार्यमुक्त किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री ख्याली राम शर्मा एवं श्री चोखे सिंह, आशुलिपिकों के स्थानान्तरण आदेश कार्यहित में दिनांक 31-3-92 तक स्थगित कर दिये गये थे।

कार्यहित में आशुलिपिकों के स्थानान्तरण दिनांक 31-3-92 तक स्थगित किये गये थे, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री चोखे सिंह एवं ख्याली राम शर्मा, आशुलिपिकों को क्रमशः दिनांक 4-4-92 व 6-4-92 को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

जनपद मेरठ के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मवाना एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे शोषण, उत्पीड़न, अन्याय के विरुद्ध उ० प्र० दलित वर्ग गन्ना सेवा संघ का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

148–श्री चरन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० दलित वर्ग गन्ना सेवा संघ, मेरठ ने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मवाना एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा शोषण उत्पीड़न अन्याय के विरुद्ध उप गन्ना आयुक्त मेरठ का दिनांक 4 फरवरी, 1992 से क्रमिक अनशन, घेराव एवं प्रदर्शन करने के लिये मांग पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मांग पत्र में वर्णित मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

मांगों पर विचारोपरान्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, मवाना को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्थापित की गयी है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश गन्ना आयुक्त को दे दिये गये हैं ।

149–श्री बच्चा पाठक–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति की विस्तृत जानकारी

150–डा० बृजभान यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? तथा क्या अभी मई-जून में किये गये स्थानान्तरण उन नियमों के अनुकूल हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 1992-93 हेतु वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण नीति शासनादेश 1844/27-1-92-3/92, दिनांक 21-5-92 द्वारा निर्धारित की गयी है । इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैं । †

कार्य की महत्ता एवं अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सामान्यतया स्थानान्तरण नीति का अनुपालन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

151–श्री ऊदल–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद पिथौरागढ़ तहसील मनुस्यारी की अधूरी लीलम सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

152–श्री लीला राम शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लीलम सिंचाई नहर, तहसील मनुस्यारी, जिला पिथौरागढ़ सन् 1989 में स्वीकृत हुयी थी ? क्या उक्त नहर निर्माण को कार्यान्वित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग ने पाईप खरीद कर उसका ढुलान मनुस्यारी, लीलम वोगडियार तक कराया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाईप आज तक उन स्थानों में लावारिस पड़े हैं ? उक्त योजना अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं की गयी ? यह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में कृषि विकास के विशेष अध्ययन हेतु एक पृथक कृषि, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाये जाने की मांग

153–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ व उसके आसपास के जनपदों की कानपुर पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालयों से दूरी अधिक होने तथा इन विश्वविद्यालयों की जलवायु, भूमि संरचना में अलीगढ़ से भिन्नता होने के कारण अलीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्र में कृषि विकास के विशेष अध्ययन हेतु एक पृथक कृषि, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है ? इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलीगढ़ जनपद के कलाई शोध केन्द्र अथवा सघन जिला कृषि विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र, क्वारसी, अलीगढ़ को क्षेत्रीय शोध संस्थान (आर० आर० आई०) का स्तर प्रदान कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

इस क्षेत्र की जलवायु, भूमि संरचना तथा कृषि वायुवीय परिस्थितियों, कृषि शोध एवं शोध प्रसार हेतु आवश्यक केन्द्र की स्थापना माधुरी कुण्ड, जनपद मथुरा में की जा चुकी हैं । अलीगढ़ में कलाई प्रक्षेत्र पर इसका उपकेन्द्र स्थापित है । इस केन्द्र पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र आधुनिक कृषि पद्धतियों पर आधारित सिंचाई शोध तथा कृषकों के खेतों पर शोध परीक्षण परियोजना भी संचालित है ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत वितरण मण्डल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी तथा उनको नियमित किये जाने की मांग

154–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-10-80 में विद्युत वितरण मण्डल आजमगढ़ में मण्डल स्तर पर जो वरिष्ठता सूची बनायी गयी थी, उसमें कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे ? क्या वे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अभी कार्यरत हैं ? क्या इसके बाद कोई दूसरी वरिष्ठता सूची मण्डल स्तर पर बनायी गयी ? यदि हां, तो इन दोनों सूचियों के आधार पर कितने वरिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? क्या यह सही है कि इन दोनों सूचियों में जो नाम थे, उसमें कनिष्ठ कर्मियों को वरिष्ठ कर्मियों से पहले नियमित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विद्युत वितरण मण्डल, आजमगढ़ में मण्डल स्तर पर कुल 224 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची प्रकाशित की गई थी ।

उक्त प्रकाशित सूची में से वर्तमान में कुल 155 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक गोरखपुर जोन के विभिन्न खण्डों में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

मण्डल स्तर पर उक्त प्रकाशित सूची में से 26 श्रमिकों को नियमित किया जा चुका है ।

उक्त नियमितीकरण में वरिष्ठ श्रमिकों को छोड़कर कनिष्ठ श्रमिकों को नियमित किया गया है । संबंधित अधिकारियों जिनके द्वारा नियमितीकरण अवैध किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है, जो प्रगति पर है ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा वर्ष 1990-91 व 1991-92 में अभियन्ताओं के कार्याधिक्य होने पर भी किसी तदर्थ नियुक्ति का न किया जाना

155–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91, 1991-92 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा अनेक अभियन्ताओं को कार्य की अधिकता को देखते हुए तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त अवधि में ही श्री विनोद गौतम, डिप्लोमा (विद्युत) का कोई प्रार्थना-पत्र निदेशक को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक नियुक्ति न प्रदान किये जाने के मूल कारण क्या हैं ? इन्हें कब तक नियुक्ति पत्र निर्गत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा कार्य की अधिकता को देखते हुए वर्ष 1990-91, 1991-92 में अभियन्ता के पद पर कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है । श्री विनोद गौतम पुत्र श्री दत्त प्रसाद गौतम का अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र विद्युत सुरक्षा निदेशालय में दिनांक 10-3-92 को प्राप्त हुआ था, परन्तु विद्युत अवर अभियन्ताओं के पद पर चयन की कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा की जाती है । अतः श्री गौतम को निदेशालय स्तर पर अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० में वर्ष 1989–93 के बीच कार्यरत एवं रिक्त अवर अभियन्ता के पदों की स्थिति

156–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० में वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में कुल कितने अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद, सेवा निवृत्ति एवं विभाग छोड़ने के कारण रिक्त हुए हैं ? वर्तमान में विभाग में कुल कितने अवर अभियन्ता (विद्युत) कार्यरत हैं ? कितने अवर अभियन्ता (विद्युत) की वर्तमान में आवश्यकता है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० में सेवा निवृत्त से विद्युत अवर अभियन्ता का कोई पद रिक्त नहीं हुआ है, परन्तु वर्ष 1991-92 में केवल एक विद्युत अवर अभियन्ता जिनकी नियुक्ति दूसरे विभाग में उच्च पद पर हो गयी है, को इस विभाग के कार्यभार से अवमुक्त किये जाने के कारण एक पद रिक्त हुआ है । वर्तमान समय में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में कुल 95 विद्युत अवर अभियन्ता कार्यरत हैं तथा स्वीकृत पदों के अनुसार 11 अवर

अभियन्ताओं की आवश्यकता है । 11 पदों में से 4 पदों पर आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जुलाई, 92 में जारी किये गये हैं, जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने की प्रतीक्षा की जा रही है । इसके अतिरिक्त शेष सात पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन कराया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि कुछ अवर अभियन्ता सहायक निदेशक के पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं और सहायक निदेशक के पद पर लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करा दिये जाने तथा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक निदेशकों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करना होगा ।

157–श्री राम चन्द्र चौधरी–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

158-159–श्री स्वामी नाथ यादव–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद देवरिया में गण्डक नहर के किनारे से नलकूपों को उखाड़ कर असिंचित क्षेत्र में लगाये जाने का प्रस्ताव

160–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में गण्डक नहर के किनारे से नलकूपों को उखाड़कर अन्यत्र वही नलकूप लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

गण्डक नहर के किनारे के अनुपयोगी संवर्धन नलकूपों को उखाड़कर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां लगाया जाना प्रस्तावित है । इससे 200 है० प्रति नलकूप अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी ।

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम बहवा स्थित पुल निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं जांच

161–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा तहसील के ग्राम बहवा स्थित पुल के निर्माण में सिंचाई खण्ड, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के मा० मंत्री जी को प्रेषित पत्र माह जून, 92 की जांच किस एजेन्सी ने की ? क्या जांचकर्ताओं ने ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय विधायक से भी भेंट की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच निष्कर्ष क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 जून, 1992 प्राप्त हुआ था जिसके संदर्भ में दिनांक 27-8-1992 के पत्र द्वारा प्रश्नकर्ता को यह अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत पुल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री मानक के अनुसार उपयोग में लायी गयी हैं अतः किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता

प्रतीत नहीं होती । फिर भी यदि इस प्रकरण के संबंध में कोई अन्य विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो उसकी जांच कराने के संबंध में विचार किया जायेगा ।

162–श्री श्याम नारायण तिवारी–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील के गांव सभा समोगरा एवं कुसमी में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

163–श्री श्याम नारायण तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी तहसील सिद्धार्थनगर के दो गांव सभा समोगरा एवं कुसमी के निवासियों का रजिस्ट्री महजरनामा 27-12-91 का जो सिंचाई साधन से संबंधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रारभिक सर्वेक्षण कराया गया । सर्वेक्षण के उपरान्त केवल ग्राम सभा समोगरा एवं कुसमी के क्षेत्र को मिलाकर एक राजकीय नलकूप लगाया जाना उपयुक्त पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल, नानपारा, बहराइच में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकीय कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला

164–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल, नानपारा, बहराइच में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकीय कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उनका नियमितीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

ऐसे सभी प्रकरण सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित किये गये थे, जिनके द्वारा उ० प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ के कारपोरेट प्लान की मांग की गयी है । कारपोरेट प्लान प्राप्त होने पर मामले में अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

165-166–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

167–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

168–170–श्री तीरथ राज–

[मा० उपाध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित]

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम रेहुटा खप्टिहा कला, अमलोर में क्रियान्वित योजना एवं उनका विवरण

171–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1990-91 में तथा 1991-92 में भूमि संरक्षण इकाई, बांदा द्वारा ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम रेहुटा, खप्टिहा कला, अमलोर में किस-किस योजना के अन्तर्गत किन-किन परियोजनाओं में कार्य कराया गया था तथा कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी ? क्या यह सत्य है कि कार्य ट्रैक्टर से कराकर फर्जी मस्टररोल बनाकर मानव श्रम से कार्य दिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां, वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में ग्राम रेहुटा, खप्टिहा कला एवं अमलोर ग्रामों में डी० पी० ए० पी०, जवाहर रोजगार योजना, सूखा राहत, ग्रा० भू० रो० गा० योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कराया गया है तथा रु० 20.70 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के खर्च में की गयी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायत

172–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में भूमि संरक्षण इकाई, बांदा को डी० पी० ए० पी० तथा जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कुंआ योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है तथा इस धन से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? किन-किन परियोजनाओं में धन व्यय किया गया है ? क्या परियोजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि नहीं, तो मानव श्रम दिवस से कार्य न कराकर खप्टिहा कला तथा चमरहा ग्राम में तालाब का कार्य ट्रैक्टर से क्यों कराया गया है ? क्या मानव श्रम द्वारा भुगतान दिखाया गया है ? यदि हां, तो जांच कराकर दोषी कर्मचारी व अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, बांदा को डी० पी० ए० पी०, जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कुल रु० 55.55 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है । इस धन से समोच्चरेखीय बांध, जल भराव बांध, जल संचय बांध, गली अवरोध बांध तथा तालाबों का निर्माण कराया गया ।

संलग्न सूची के अनुसार 44 परियोजनाओं में कार्य कराया गया ।

निष्पादित कार्य में भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । कार्य मजदूरों से कराया गया है । केवल तालाब बांधों के कम्पेशन का कार्य ट्रैक्टर से कराया गया है और उसका भुगतान मानव श्रम से नहीं दिखाया गया है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 117 पर)

सिंचाई विभाग में श्रेष्ठता के आधार पर अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत एवं विनियमितीकरण किये जाने की जानकारी

173–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में दिनांक 1-1-85 से पूर्व तदर्थ आधार पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण करने हेतु बनाई गयी नियमावली वर्ष 1988 अधिसूचना संख्या 15/9386-(1)-कार्मिक-1, दिनांक 3-11-88 में चयन का आधार उपयुक्तता के बावजूद शासनादेश संख्या 3148/दो-89-23-सिं०-2/806/78-79, दिनांक 15-7-89, शासनादेश संख्या 3731/दो-89-23-सिं 2/4/89, दिनांक 7-8-89 तथा शासनादेश संख्या 2134/दो-92-27सिं 2/4/89, दिनांक 8-5-92 द्वारा किया गया चयन उपयुक्तता के आधार पर न करके श्रेष्ठता के आधार पर क्यों किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 1-1-85 से पूर्व ऐसे तदर्थ आधार पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की संख्या क्या थी ? उनमें से कितने के विरुद्ध प्रतिकूल मंतव्य नहीं थे तथा कितनों का विनियमितीकरण हो गया और शेष का विनियमितीकरण कब तक किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अवर अभियन्ता के पद से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए अधिसूचना संख्या 345/दो–88/23सिं 2-26-85, दिनांक 5-2-88 द्वारा प्रख्यापित "उ० प्र० सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास–2 एरीगेशन ब्रान्च (संशोधन) नियमावली, 1988 में "श्रेष्ठता" के आधार पर प्रोन्नति किये जाने का मापदण्ड निर्धारित है । तद्नुसार प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 3-11-88 द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत चयन का आधार नियमानुसार श्रेष्ठता ही रखा गया ।

211

181

118

पात्रता सूची में न आने के कारण तथा उपयुक्त न पाये जने के कारण अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों एवं उन पर हुए खर्च का विवरण

174–श्री राम कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा 1986-87 से वर्ष 1991-92 तक किस-किस जिले में, कितने मार्ग पक्के व कच्चे बनाये गये हैं ? मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश में कितना धन इस मद में शेष है ?

श्री गंगा भक्त सिंह

मंडी परिषद् द्वारा वर्ष 1986-87 से वर्ष 1991-92 तक कुल 70 कच्चे तथा 763 पक्के मार्गों का निर्माण कराया गया है जिनकी जनपदवार सूची संलग्न हैं ।

मण्डी परिषद् स्तर पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अलग से धन आवंटन का कोई मद नहीं है । मण्डी समितियों द्वारा जिलाधिकारी स्तर से चयनित मार्गों को पक्का कराये जाने हेतु मण्डी परिषद् को राज्य विकास निधि से धन उपलब्ध कराये जाने पर यह कार्य परिषद् के निर्माण खण्डों द्वारा कराया जाता है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 118-119 पर)

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा में मण्डी परिषद् द्वारा मार्ग बनाने हेतु पूर्व कृषि मंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की जानकारी

175–श्री राम कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा में पूर्व कृषि मंत्री डा० कृष्णवीर सिंह कौशल ने मण्डी परिषद् द्वारा कितने कि०मी० पक्का मार्ग बनाने की घोषणा की थी ? क्या यह भी बतायेंगे कि घोषणा के अनुसार मछरेहटा विधान सभा में कितने कि०मी० मार्ग पक्का बनाया गया है ? क्या निदेशक, मण्डी परिषद्, उ० प्र० द्वारा 4-9-90 में स्वीकृत मार्ग पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि हां, तो स्वीकृत मार्गों पर धन आवंटित करके कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

25 कि०मी० ।

किसी भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा सका है ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

जनपद अलीगढ़ के हसायन विकास खण्ड के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की जल प्लावन व जल भराव की समस्या के निराकरण का मामला

176–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के हसायन विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कोहरा, बकायन, हैदलपुर, छीतूपुर, हसायन की जल प्लावन व जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाने वाला कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या उक्त जल निकासी के कार्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अलीगढ़ जनपद के हसायन विकास खण्ड के अन्तर्गत कथित ग्रामों की जल प्लावन व जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कराया जाने वाला कार्य प्रगति पर है । कार्य को दिसम्बर, 1992 तक पूर्ण किया जाना है ।

बकायन नाले के पुनरोद्धार का कार्य कराने के लिए रु० 13.2 लाख की एक परियोजना तैयार की गयी है जिसके विरुद्ध रु० 4.05 लाख की धनराशि उपलब्ध हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा नहर प्रणाली, मिश्रिख को आवंटित धन एवं उसके खर्चे का विवरण

180–श्री राम कृष्ण–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा नहर प्रणाली, मिश्रिख, सीतापुर द्वारा वर्ष 1989-1990, 90-91 व 1991-92 में कितना धन आवंटित किया गया है ? उसमें से कितना धन कहां-कहां किस-किस काम पर खर्च किया गया ? क्या इन निर्माण कार्यों की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि विभाग में श्री राम बाबू शर्मा को पद स्थापित करने हेतु निदेशक को आदेश

181–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या-स०अ०/अनु०-2-250/79, दिनांक 20-2-92 के सन्दर्भ में निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ० प्र० लखनऊ को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-1992 में क्या निर्णय हुआ है ? क्या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की क्रिमिनल अपील संख्या 440 आफ 1984 राम बाबू शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय आदेश दिनांक 3-12-1990 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गयी है ? यदि हां, तो अपील नम्बर व वर्ष क्या है ? क्या कृषि सचिव/निदेशक को अपील न किये जाने की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

संबंधित कर्मचारी की सेवा में पद स्थापित करने के आदेश कृषि निदेशक को दे दिये गये हैं ।

निलम्बन अवधि के वेतन भत्तों के भुगतान आदि का म्रामला विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में चम्बा मंसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लाटों का उपयोग व पत्थर खनन योजना में हो रही अनियमितता की जानकारी

182–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में चम्बा मंसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लाटों का उपयोग पट्टेदार द्वारा पत्थर खनन करने में किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो फल पट्टी, पट्टी योजना के प्लाट संख्या 14 स्थान पोखाल जो कि श्रीमती समादेवी धर्म पत्नी श्री अनार सिंह, ग्राम गुड़िया, गांव टिहरी गढ़वाल के नाम पर आवंटित है में जिला अधिकारी द्वारा किस आधार पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया ? क्या जिला उद्यान अधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी जिला अधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो संबंधित पट्टेदार तथा जिला अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आवंटित प्रश्नगत प्लाट में बड़ी मात्रा में पत्थर होने के कारण उस पर फलोद्यान लगाया जाना सम्भव नहीं था । जिला अधिकारी को उप खनिज वाली शासकीय अथवा व्यक्तिगत भूमि को उपखनिज के खनन एवं निकासी हेतु सार्वजनिक नीलामी प्रणाली द्वारा एक वर्ष अथवा 3 वर्ष के लिए पट्टे स्वीकृत करने का अधिकार है । अतः जिलाधिकारी द्वारा उपखनिज के

चुगान एवं निकासी हेतु नीलामी के आधार पर पट्टा स्वीकृत किया गया । उपखनिज चुगान हेतु नीलामी से फल पट्टी हेतु दिये गये पट्टे का निरस्तीकरण नहीं हुआ है ।

उत्खनन के लिए नीलामी किये जाने पर जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी से स्थिति ज्ञात की गयी थी ।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

विधान सभा के सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री हरनारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आज बड़े गहरे दुख का विषय है जब मैं इस सदन में दो माननीय वर्तमान सदस्यों, 19 भूतपूर्व माननीय सदस्यों और 3 विशिष्ट महानुभावों के निधन के संबंध में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने खड़ा हुआ हूं । जो अपने माननीय वर्तमान दो सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी भाटी और श्री हरनारायण सिंह नहीं रहे । श्री महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या 13 सितम्बर, 1992 को गाजियाबाद में कर दी गयी ? उनका जन्म 1 जनवरी, 1943 को जनपद गाजियाबाद में हुआ था । वह इस सदन में 1985, 1989 और 1991 में सदस्य निर्वाचित होकर आये थे । वे बहुत ही उच्च कोटि के वकील थे और अनेक सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े थे । उनकी "आर्थिक आजादी के नये आयाम" एक बहुत ही विचारोत्तेजक पुस्तक है । आपकी अध्ययन और अध्यापन में विशेष रुचि थी । हमने यह भी देखा कि इस सदन में स्व० माननीय भाटी जी ने सदैव सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठाये और विशेष रूप से जो निर्धन वर्ग हैं उसके हितों के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहे । उनके चले जाने के बाद जो रिक्तिता पैदा हुई है वह आसानी से नहीं भरी जा सकती । इस अवसर पर मैं दो शब्द यह भी कहना चाहूंगा कि आज राजनीति में हिंसा बढ़ गयी है । राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह सभी लोकतंत्र प्रेमियों के लिए गहरी चिन्ता का विषय है । माननीय भाटी जी की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई और मामला उलझा हुआ लगा, इसीलिए मा० नेता विरोधी दल ने भी मिलकर स्वयं इस बात के लिए तर्क के साथ जोर देकर कहा, मा० नरेन्द्र सिंह भाटी, विधायक भी मुझसे मिले थे और कहा था कि इस पूरे हत्या काण्ड की जांच सी० बी० आई० से करा ली जानी चाहिए । मैं प्रसंगवश केवल यह सूचना दे रहा हूं कि हमने इसको गम्भीरता से लिया है और सी० बी० आई० से जांच के लिए भारत सरकार को पत्र लिख दिया है और वहां से उनकी स्वीकृति आयेगी तब आगे कार्यवाही होगी । श्री महेन्द्र सिंह भाटी के निधन से मैं और मेरा दल बहुत दुखी है । मैं उनके प्रति अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

दूसरे वर्तमान माननीय सदस्य श्री हर नारायण सिंह जी जिनका निधन 24 अक्टूबर, 1992 को हो गया है, उनका जन्म 19 मई, 1929 को कानपुर में हुआ था, वह 1985, 1989 और 1991 को रायबरेली से निर्वाचित हुए थे । 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में वह देश की आजादी की लड़ाई में जेल गये थे । वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे और बहुत कुशल समाज सेवी एवं शिक्षा जगत के साथ उनका विशेष लगाव था और इसीलिए वह शिक्षा संस्थाओं के साथ हमेशा जुड़े रहे । उनके निधन से केवल रायबरेली को ही क्षति नहीं हुई है अपितु प्रदेश ने एक अच्छा समाज सेवी खो दिया है । श्रीमन्, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्री हर नारायण सिंह के प्रति बड़े सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मुझे आज अपार दुख है कि एक हमारे प्रिय साथी महेन्द्र सिंह भाटी जो हमारे दल के उप नेता भी थे और हमारी बगल की सीट में यहां बैठा करते थे वह आज हमारे बीच में नहीं हैं और जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गयी मैं सरकार के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता हूं लेकिन कदाचित थोड़ी सी सतर्कता बरती गयी होती तो वह होनहार साथी हमसे न बिछुड़ता। मान्यवर, एक बार नहीं अनेक बार हमसे ही नहीं बल्कि सम्मानित मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह किया था.....

[11 बजकर 10 मिनट]

कि उनके जीवन को लगातार खतरा है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और चुस्त की जाय लेकिन मान्यवर, सम्भवतः किन्हीं कारणों से यह हो नहीं पाया और हमारा एक होनहार साथी जो इस प्रदेश के लिये, हम सभी के लिये बड़े ही अमूल्य थे, आज हमसे बिछड़ गया। मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी का जन्म 1 जनवरी, 1943 को मकोड़ा, जनपद गाजियाबाद में हुआ था। वह एम० ए०, एल-एल० बी० थे। सेन्ट जान्स कालेज, आगरा से उन्होंने अंग्रेजी में एम० ए० किया था और वहीं से गोल्ड मैडलिस्ट थे। एक प्रख्यात वकील के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में उन्होंने गाजियाबाद जिले के प्रतिष्ठित वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। इसी के साथ-साथ वह सामान्य लोगों के दुःख दर्द में भी भाग लेते रहे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। 1985, 1989 और 1991 में वह तीन बार इस सदन के सम्मानित सदस्य चुने गये। 1991 में वह 66 हजार वोटों से जीतकर इस विधान सभा में आये थे। मान्यवर, मैंने सारे रिकार्ड्स देखे नहीं हैं लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर आने वालों में एक नाम उनका भी था। उनकी आम जनता में क्या छवि थी, क्या पहचान थी इसी से साबित होता है ? मान्यवर, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने गाजियाबाद में हीं नहीं सामाजिक जीवन के कार्यों में कई जगहों पर उपलब्धि हासिल की थी लेकिन मुझे अफसोस है कि आज नियति के क्रूर हाथों से कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि मान्यवर, गाजियाबाद के दादरी में 6.00 बजे शाम को उनकी हत्या हुई और एक घन्टे तक वहां पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच सका जबकि वहां से थाना मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है। आज डेढ़-दो महीने बीत गये हैं, मुझे इस सदन में यह कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि आज तक उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। मान्यवर, मैं उन्हीं के शब्द जो उन्होंने पिछले सत्र में स्वयं कहे थे, उनका उद्धरण देना चाहता हूं– "मान्यवर, हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, पता नहीं कब तक जिन्दा हैं ? एक दिन जब गुजर जाता है तो वह एक साल के बराबर लगता है।" चाहे गोपाल सिंह की, सी० राठी की, चाहे राजवीर की या कुशलपाल की हत्या हो, यह सारी हत्यायें आटोमेटिक वैपन से हुई हैं परन्तु आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। मान्यवर, उन्होंने फिर आगे कहा था "जिन परिस्थितियों में श्री सुखवीर, श्री हरेन्द्र मलिक और मैं स्वयं जिन्दा हूं। पता नहीं कब तक जिन्दा रहते हैं।" मान्यवर, यह जो बात उन्होंने कही एकदम सत्य साबित हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्हेंने सी० बी० आई० से इसकी जांच कराने के लिये भारत सरकार को संस्तुति की है। लेकिन मान्यवर, एक सवाल जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज राजनीति में काम करने वालों के लिये इतनी मुश्किल होती जा रही है हिंसा आज इतनी बढ़ रही है कि जो राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करने वाले हैं उनके लिये काम करना निरन्तर, दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। मैं आज मुख्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि आज तमाम हमारे चाहे इधर के बैठे साथी हों चाहे

उधर के बैठे साथी हों दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस बात का दायित्व उन्हें लेना चाहिये कि भविष्य में इस तरह की घटनायें न हों । हम जानते हैं कि शासन को कठिनाई होती है लेकिन ऐसी क्या कठिनाई है कि जितने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं उनका एक शैडो एक गनर या दो गनर विशेष परिस्थितियों में शासन वहन न कर सके ? शासन खर्चा न उठा सके, यह उचित नहीं लगता है । मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से और सम्मानित नेताओं से कि इस पर विचार करें इस बात पर कृत संकल्प हों कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।

भाटी जी के परिवार के प्रति जो उद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आग्रह करूंगा कि उनका पूरा परिवार उजड़ गया है, उनके छोटे भाई की हत्या दो साल पहले हुई, उनकी भी हत्या हो गई, उनका परिवार सशंकित और भयातुर है । मैं दो बार उनके घर गया था माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि महेन्द्र सिंह भाटी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व सरकार को लेना चाहिए, जिससे उनका परिवार सुरक्षित रह सके । जिन्दा रह सके और भविष्य में अपना योगदान जिस क्षेत्र में देना चाहे जिन्दा रह कर दे सके । मान्यवर, तमाम ऐसी हत्यायें हुई हैं माननीय मुख्य मंत्री जी फाइल निकलवाकर देखने का कष्ट करें आज तक कोई इन हत्याओं में पकड़ा नहीं जा सका । पुलिस क्या कर रही है शासन क्या कर रहा है यह नहीं बता पाऊंगा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले को गम्भीरता से लें । यह न सोचें कि एक आदमी चला गया बात खत्म हो गई । यह सिलसिला खत्म होता दिखाई नहीं पड़ रहा है इसको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है ।

हरनारायण सिंह जी का निधन 24 अक्टूबर, 1992 को हो गया । वह 63 वर्ष के थे । मान्यवर, 1980 में, 1985 में और फिर 1989, 1991 में वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए । वह रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र से चुने जाते रहे । उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक और इस तरह की तमाम संस्थाओं के द्वारा उस क्षेत्र के उत्थान के लिये, रायबरेली जनपद को आगे बढ़ाने के लिये, उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया । उनके निधन से आज पूरे प्रदेश को क्षति हुई है । हम सभी लोग उनके निधन से दुखी हैं । मैं आपसे आग्रह करता हूं उनके दुखी परिवारजनों को हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय सदस्यों के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, इससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, आज कुछ सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं, जिनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं । मुझे वह क्षण याद है कि यहां पर मेरे बगल में बैठकर इसी स्थान से महेन्द्र सिंह भाटी जी ने उप नेता जनता दल की हैसियत से बड़े ही दृढ़ता, साहस परन्तु भयावता के साथ यह बात यहां पर स्पष्ट शब्दों में कही थी कि उनके जीवन को खतरा है । मान्यवर, आज भी उनके कहे हुए वे शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं । शासन की ओर से आश्वासन भी दिलाया गया था । परन्तु, मान्यवर मुझे यह कहने में रंचमात्र का भी संकोच नहीं है कि स्व० महेन्द्र सिंह भाटी जी इस सरकार के भयमुक्त समाज के खोखले नारे के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिकार हो गये ! शासन के आश्वासन के बावजूद, एक वरिष्ठ सदस्य जो जनता दल के उप नेता भी थे, उन्हें यह सरकार सुरक्षा प्रदान न कर सकी । इसलिये इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उनका हल हमें खोजना पड़ेगा । अगर ऐसी ही स्थिति विद्यमान रहती है तो हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्भयतापूर्वक कैसे कर सकते हैं ? मान्यवर, स्व० महेन्द्र सिंह भाटी जी एक जिन्दा दिल, मिलनसार और बहुत ही लोकप्रिय सदस्य थे और हम लोगों के साथ सदैव कर्मठता और कर्तव्यपरायणता से परिपूर्ण रहते थे । मान्यवर, विश्वास नहीं होता कि काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे इस तरह से छीन लिया । मान्यवर, स्व० महेन्द्र सिंह भाटी जी का परिवार असुरक्षित है । मान्यवर, निवेदन है कि आप स्वयं इसको देखें ताकि उनके परिवारजन को पूर्ण सुरक्षा मिल सके । कुछ ही दिन पूर्व उनके परिवार ने अपना एक बेटा इसी तरह से खोया था, अब उस परिवार में महेन्द्र सिंह भाटी जी भी नहीं रहे । उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा आप दिला सकें, इसकी अपेक्षा मैं आपसे आज के दिन करता हूं । मान्यवर, स्व० भाटी जी लोकप्रिय मजदूर नेता के रूप में विख्यात थे । मान्यवर, उनके निधन से जहां जनपद गाजियाबाद ने एक योग्य और जुझारू नेता को खो दिया और वहीं हमने अपना एक व्यक्तिगत मित्र खो दिया । मैं उनके प्रति अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवारजन को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

मान्यवर, स्व० हरनारायण सिंह जी के निधन से जनपद रायबरेली ने ही नहीं वरन् प्रदेश ने एक प्रभावशाली नेता को खो दिया । उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जनता के बीच अत्यन्त ही लोकप्रिय थे, एक बार जब सन् 1980 में जनता ने उनको विश्वास दे दिया और फिर वे चार बार जनता की कसौटी पर कसे गये चाहे परिस्थितियां सामान्य रही हों चाहे विपरीत रही हों, डलमऊ क्षेत्र की जनता ने उन पर सदैव विश्वास अपना बनाये रखा यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है उनकी लोकप्रियता का, कर्तव्यपरायणता और विधायक के रूप में अपने दायित्वों को निभाने का । मान्यवर, स्व० हरनारायण जी का जन्म 19 मई, 1929 को झींझक, कानपुर में हुआ था जो बाद में आकर रायबरेली में बस गये । यद्यपि वे ताल्लुकेदार परिवार से थे, पर उनका रहन-सहन और जीवन साधारण व्यक्तियों के प्रति समर्पित था । उनके जीवन पर नजर डालें तो 2-3 बातें उभर कर सामने आती हैं जब वे राजनीति में नहीं थे उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा और श्रमदान में अर्पित किया । आज भी डलमऊ में कई ऐसे बांध हैं, मार्ग हैं जो स्वर्गीय हरनारायण जी ने अपना श्रमदान करके बनवाये थे । श्रम के दान को वह एक महान दान मानते थे और समाजसेवा के लिये सदैव वह तत्पर रहते थे । गरीबों और दलितों के मसीहा के रूप में वह उभर कर सामने आये थे । 1980 में जब वह यहां पर बैठते थे और हम लोग उनसे बात करते थे तो वाद विवाद में एक बात वह ज़िम्मेदारी के साथ कहते थे –"व्हयेर देयर इज विल, देयर इज वे ।" जहां इच्छा शक्ति है वहां रास्ता निकल आता है । इस सिद्धान्त को उन्होंने अपने जीवन में माना और अपनाया और अंतिम क्षण तक पूर्ण करते रहे । कुछ दिन पहले जब मैं उन्हें देखने गया था, वह अस्वस्थ थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के संबंध में मतदान करने आये थे, वह काफी चिंतित थे प्रदेश की स्थिति से । उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं इस बार विधान सभा के सत्र में अवश्य आऊंगा । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि काल ने उन्हें हमसे अलग कर दिया । कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन जो उनके कार्य हैं वह सदा सर्वदा जीवित रहते हैं, कुंवर हरनारायण जी उसी पीढ़ी के व्यक्ति थे । भौतिक रूप से वह हमारे बीच से चले गये हैं लेकिन डलमऊ विधान सभा क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये कार्य उनको सदा सर्वदा जीवित रखेंगे । शिक्षण संस्थायें जो उन्होंने चलायी हैं, जहां मां सरस्वती की प्रतिदिन आराधना होती है, वहां उनको सदैव श्रद्धांजलि मिलती रहेगी । उनका एक जबर्दस्त जेहाद रहा है रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ने का ।

रूढ़िवादिता के वह सख्त विरोधी थे और जीवन भर उससे लड़ते रहे । उनको सबसे ज्यादा विश्वास भारतीय संस्कृति पर था । अपने राष्ट्र के गौरव को वह दुनियां में सर्वोच्च मानते थे । उनका कहना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर हर भारतवासी गर्व कर सकता है । ऐसे देश प्रेमी को मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी और हमारे दल की शोकसंवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, दो वर्तमान विधान सभा के सदस्यों, 19 भूतपूर्व सदस्यों और 3 विशिष्ट महानुभावों के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस (आई०) ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी एक बड़े जुझारू नेता थे । पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं में वह अग्रणी थे । उनका सारा जीवन संघर्ष से परिपूर्ण था । 49 वर्ष की आयु में जो इस संसार से विदा हो जाय मैं समझता हूं कि यह बड़ी दुखद घटना है । महेन्द्र सिंह भाटी जी ने अपना जीवन वकालत से प्रारम्भ किया था और वह आगे बढ़ते गये । उन्होंने दबे हुए, कुचले, शोषित और पीड़ित समाज में एक नये जागरण की शुरुआत की थी । मुझे दुख है इस सदन में जब भाटी जी बोलने के लिये खड़े हुए तो अन्य माननीय विधायकों ने उनके समर्थन में बात कही थी। मैं भी यहीं उपस्थित था । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदन में भाषण के दौरान यह बात सामने आयी, उन्होंने कहा कि शायद मैं आज यहां बोल रहा हूं और इस सदन का दूसरा सत्र देख न सकूं । मैं समझता हूं कि दूसरे सदन का सत्र वह देख नहीं सके, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ?

आज के दिन हम शोकाकुल हैं लेकिन इस बात पर हमें बैठकर विचार करना चाहिये कि जो राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं उनसे परे सरकार या और भी उसके लोग अपनी भागीदारी से बच नहीं सकते हैं यह सरकार का प्रथम और पुनीत कर्तव्य था कि हत्यारों को पकड़ा जाय । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर कुछ ऐसी हत्यायें हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो इस समाज के लिये एक अभिशाप बन गये हैं, यह हम लोगों के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात हो गयी है । हमारे दल के श्री हरेन्द्र मलिक और श्री वीरेन्द्र सिंह, मैं नाम इसलिये ले रहा हूं कि इन दोनों विधायकों ने सदन में अपनी बात कही है। उन पर कठिनाइयां आ रही हैं । आशंका व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घट जाय । मैं माननीय नेता सदन से कहूंगा कि एक राजनीतिक हत्या की गुत्थी सुलझ न सकी और कहीं ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन न आये कि दूसरी हत्याओं का दौर शुरू हो जाय और हम भाषण में उलझे रहें । और कोई कारण कार्यवाही न कर सके । मान्यवर, महेन्द्र सिंह भाटी का इतनी अल्प आयु में चला जाना यह हम लोगों ने नहीं सोचा था । उनके निधन से दादरी, जिला गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि पूरा जनपद उनका नाम लेकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं । महेन्द्र सिंह भाटी के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो विधायक स्वयं खड़ा होकर अपनी बात कहे, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन जो अधिकारी वहां पर पोस्ट किये जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें भी कड़ा निर्देश दें । एक माननीय विधायक जो कई बार यहां पर विधायक रह चुके हैं और जो सबसे बड़े दल के उप नेता हों, उनकी रक्षा के लिये कोई चिन्ता न की जाय, तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी ।

मान्यवर, 25 अक्टूबर को दीपावली थी, और 24 अक्टूबर को माननीय हरनारायण सिंह के जीवन का दीप बुझ गया । माननीय हरनारायण सिंह के बारे में जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है, ऐसे लोग जिनके कार्यों से, कृत्यों से हम प्रेरणा लेते हैं, धीरे-धीरे उस पीढ़ी की समाप्ति हो रही है । श्री हरनारायण सिंह जब चुनाव में विजयी हुए, भारी मतों से विजयी हुए । विधायक होने के बाद जो उनके कार्य रहे हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है । 1942 में जब भारत छोड़ो आन्दोलन चल रहा था, तो वह तीन दिन इटावा जेल में बंदी रहे । वे कई संस्थाओं से संबंधित थे । मैं अपने इन वर्तमान विधायकों के प्रति अपने और अपने दल की ओर से शोक-श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से शोक-संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मान्यवर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक दिन तो सबको बिछुड़ना है, लेकिन अपने प्रियजनों की अकाल मृत्यु से ज्यादा दुःख होता है । मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी इस सदन में तीन बार सदस्य रह चुके थे और हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध था, इसलिये उनकी मौत चिन्ता का विषय और भी हो जाती है कि उन्होंने इसी सदन में अपनी मृत्यु की आशंका आपके समक्ष जाहिर की थी । हम कोई सरकार का दोष नहीं देते हैं, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि अगर मंत्री या मुख्य मंत्री के कोई स्पष्ट निर्देश न भी हों, जो हम लोग यहां पर बात कहते हैं, खासतौर से कोई कानून-व्यवस्था के बारे में गम्भीर बात, तो उनको अपनी तरफ से कार्यवाही करनी चाहिये । मान्यवर, फैशन बना हुआ है, श्रीमन् सुरक्षा गार्डों का, जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, तमाम को मैं बता सकता हूं जिसके पास दो-दो, तीन-तीन गनर और शैडो भी हैं, जिन लोगों को मारना था, उन्होंने प्लान कर लिया था, जो हमारे सुरक्षा गार्डों के पास हथियार होता है, वह बचा न पाता, लेकिन कम से कम सरकार को उनकी सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिये था । उन्होंने इसी सदन में अपने जीवन के खतरे के बारे में आशंका व्यक्त किया था । उनके पास एक सुरक्षा गार्ड था । श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी बहुत ही कम उम्र में हम लोगों के बीच से चले गये और आज हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अच्छे राजनेता को खो दिया । श्रीमन्, हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध था । वह एक अच्छे पढ़े लिखे, हम लोगों में से एक जानकार विधायकों में से थे । उनकी बातचीत से ऐसा लगता था कि उनको समाज की कुछ चिन्ता है । कुछ वहां इस समय आपराधिक इतिहास है गाजियाबाद का, कि जाने या अनजाने में वह घिर जरूर गये थे, लेकिन विचारों से वह इस समाज की अच्छी तस्वीर बनाने की इच्छा रखते थे । श्रीमन्, उनके न रहने से जहां एक व्यक्तिगत मित्र खोया है, वहीं इस सदन ने एक बुद्धिमान सदस्य खोया है, गाजियाबाद जिले ने और उत्तर प्रदेश ने एक अच्छा राजनेता खोया है और वह हम लोगों के बीच से चले गये । मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री हर नारायण सिंह जी रायबरेली जिले की डलमऊ विधान सभा क्षेत्र से सदस्य थे । वह तीन बार सदस्य निर्वाचित हुए थे, आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, हम लोगों को प्रेरणा देने वाले नहीं रहे, जिनमें आजादी की तस्वीर देखते हैं, उनमें से वह एक थे । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल यात्रायें कीं । शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवायें हैं, उनके न रहने से हमने एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक विख्यात राजनेता खो दिया है। उनके निधन से हम और हमारा दल दुखी है और मेरा अनुरोध है कि इन दोनों महान आत्माओं के परिवारजनों को हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस दल (आई०), नेता जनता दल, नेता समाजवादी पार्टी ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् स्वर्गीय महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या वास्तव में एक गहरे दुख की बात है और राजनैतिक लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा जो हमले हुए हैं, यह खतरनाक है। मैं बधाई देना चाहता हूं नेता सदन को जिन्होंने इस बात को गम्भीरता से लिया और सी० बी० आई० से इन्क्वायरी के लिये केन्द्र को लिखा है लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केवल पत्र लिखना ही काफी नहीं है, जोर देकर सी० बी० आई० इन्क्वायरी करा दें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असामाजिक लोगों के राजनैतिक लोगों पर हमले होते रहे हैं। गाजियाबाद हम लोग भी गये थे और वहां पर सभी दल के नेता थे चाहे वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, जनता पार्टी के हों, सभी लोग एक राय के थे कि इस बात की सी० बी० आई० इन्क्वायरी होनी चाहिये, कि इस हत्या में कौन-कौन लोग थे और उनमें कौन-कौन लोग दोषी हैं ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक व्यक्तियों ने कहा है कि हम लोगों की जान का खतरा है, तो इससे साफ जाहिर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह गतिविधियां तेज हो रही हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इनको राजनैतिक रंग देते हैं, इसलिये इसकी सी० बी० आई० इन्क्वायरी कराना नितान्त आवश्यक है और माननीय नेता सदन इसको करें। भाटी जी कुशल राजनीतिज्ञ थे, वकालत से शुरुआत की थी और समाज सेवा में अच्छी पकड़ थी, वह गरीबों के मसीहा थे, वह मृदुभाषी थे और आज वह लोगों के बीच नहीं रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं के बारे में आप भी अपने माध्यम से नेता सदन को निर्देश देंगे कि ऐसी घटनाओं पर उनको गम्भीर रुख अपनाना चाहिये, सत्तारूढ़ दल को बिना भेदभाव के जो भी माननीय सदस्य अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगावें, या सुरक्षा की मांग करें, उनको बिना भेदभाव के उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। मौत तो जिसकी होगी उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन वर्तमान शासन इस जवाबदेही से बच सकता है और कह सकता है कि मैंने सुरक्षा का प्रबन्ध किया था। आये दिन सुरक्षा के प्रबन्ध के अभाव में जो हत्यायें हो रही हैं वह एक गहरे दुख की बात है।

मान्यवर, दूसरी जो हर नारायण जी की मृत्यु हुई है उससे भी हमको और हमारे दल को काफी कष्ट हुआ है। हर नारायण जी एक कुशल रानीतिज्ञ थे, समाजसेवी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से उठ जाना समाज के लिये बहुत ही दुखदायी बात है। श्रीमन् इससे हमें अपार कष्ट हुआ है। हम और हमारा दल घोर दुख में है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे और हमारे दल की तरफ से मृत व्यक्तियों के शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि सुमन भेजने का कष्ट करें।

श्री राम लखन–

श्रीमन् जिन वर्तमान स्वर्गीय सदस्यों के निधन पर माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता जनता दल "अ", माननीय नेता समाजवादी पार्टी और माननीय नेता जनता पार्टी ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। जब भी सम्मानित सदन चलता है, हमको अपने साथियों के प्रति शोकसंवेदनायें देनी पड़ती हैं और इसके अलावा हम इस सम्मानित सदन में कर ही क्या सकते हैं ? श्रीमन् हमारा मौजूदा

सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है लेकिन इतना जरूर कहना है कि जब हमारे सम्मानित सदस्य अपनी जान की रक्षा की गुहार सम्मानित सदन में माननीय नेता सदन के सामने या माननीय इस सम्मानित पीठ के समक्ष करते हैं उसके बाद भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है और घटनायें घट जाती हैं उसके लिये हमारी वर्तमान सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये । श्रीमन्, स्वर्गीय भाटी जी इस सदन में अपनी जान की गुहार लगाये थे और कहा था कि हो सकता है कि अगला सदन मैं न देख सकूं, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज वह हमारे बीच में नहीं है । मेरा यह कहना है कि जब हम अपनी जान की सुरक्षा के लिये इस सदन में, माननीय मुख्य मंत्री जी से या सम्मानित सदन से मांग करते हैं तो जो ऐसे सदस्य हैं, मेरा अनुरोध है मुख्य मंत्री जी से और आपकी पीठ से कि उनको अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था दे दी जाय तो मेरी समझ में कोई हर्ज नहीं है । यह तो जरूर है कि मरने जीने का फिक्स टाइम है सुरक्षा करने के बाद भी जिसको मरना है मर ही जाता है लेकिन यह जरूरी है कि इससे आत्म विश्वास हो जाता है और हमारी सरकार को जवाब देने में आसानी होती है कि हमने व्यवस्था की थी, अगर दुर्घटना घट गयी तो सरकार की कोई गलती नहीं आती । श्रीमन् सम्मानित सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी हमारे साथ इस सम्मानित पिछले सदन में साथ बैठते थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं । मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें । श्रीमन्, इसी तारतम्य में स्व० श्री हरनारायण सिंह, जो वर्तमान में इस सदन के सम्मानित सदस्य थे, आज वह भी हमारे बीच में नहीं रहे । जो शोकोद्गार विभिन्न पार्टी के नेतागणों ने उनके प्रति व्यक्त किये हैं, मैं भी अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से आपसे यह अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के दो सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री हरनारायण सिंह के प्रति, माननीय नेता, सदन, माननीय नेता, विरोधी दल, माननीय नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता, जनता दल (अ), माननीय नेता, समाजवादी पार्टी, माननीय नेता, बहुजन पार्टी ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी जिनकी हत्या अभी चन्द दिनों पहले गोली मार कर की गयी, आज भी उनकी याद आती है, उनके मृदु व्यवहार को हम लोग आज भी याद करते हैं । वे कुशल नेता थे, जनता दल के । हमें आश्चर्य है कि उनके इस इशारे के बाद कि उनकी जान को खतरा है, हत्या कर दी गयी है और हम लोग कुछ नहीं कर सके । शासन का जो दायित्व था, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वह उसे पूरी तरह से निभा नहीं पाया । अगर यह सिलसिला रुका नहीं और राजनीति में हिन्सा बढ़ती रही तो आये दिन इस तरह की घटनायें होती रहेंगी और हमारे एक-एक साथी की जान जाती रहेगी । कई माननीय सदस्यों ने इससे पूर्व सदन में अपनी जान की गुहार लगायी है ।

मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अफजाल अंसारी का जिक्र करूंगा, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, परन्तु वह बच गये थे लेकिन उसमें तीन व्यक्ति मारे गये जो किसी तरह से बच गये थे आज भी उनकी जान को खतरा है । इसी तरह से बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा बना हुआ है तो हमें इसको रोकना पड़ेगा । माननीय महेन्द्र सिंह भाटी जी, जैसा कि बतलाया गया कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने अपना जीवन वकालत से शुरू किया और इसके साथ-साथ राजनैतिक आन्दोलन में भी वह कूद पड़े थे। वे कई बार इस कारण कारागार में भी बन्दी रहे। वे वर्ष 1989 में विधान सभा की प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति व कई समितियों के सदस्य भी रहे। आज भी उनकी याद हमारे जेहनों में छायी हुई है। मैं अपनी तरफ से व अपने दल की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री हरनारायण सिंह जी का निधन 24 अक्टूबर, 1992 को हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। वे एक कुशल राजनीतिक व अच्छे समाज सेवी भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी। कई शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े रहे। इनके निधन से जनपद रायबरेली ने एक कुशल राजनीतिक खो दिया है। रायबरेली ने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने इन दोनों नेताओं के निधन से एक अच्छा नेता खो दिया है। इससे पूरे प्रदेश को एक महान क्षति हुई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री दीनानाथ सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री महेन्द्र सिंह भाटी और श्री हर नारायण सिंह, माननीय सदस्य हमारे इस सदन में पिछले सत्र तक रहे, ये अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके निधन के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेतागणों ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने दल को और अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मृत्यु तो सबकी होती है, निधन तो सबका होता है और दुख भी होता है, मगर जब असामयिक मृत्यु होती है, खासतौर से युवाकाल में, तो विशेष दुख का कारण बनती है। हमारे माननीय महेन्द्र सिंह भाटी मात्र 48-49 साल के थे और 3-3 बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे और ऐसे समय में उनकी हत्या की गयी। हम लोग यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो महीना बीत गया, उनके हत्यारों का पता तक नहीं चल पाया। मैं मान्यवर, खासतौर से आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे सूबे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और इस सदन के सम्मानित वर्तमान सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों की हत्याओं का एक सिलसिला कुछ वर्षों से शुरू हुआ है और यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि इन हत्याओं में शामिल लोगों का पता नहीं चल रहा है। कई माननीय सदस्यों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माननीय नेता विरोधी दल ने नाम गिनाये हैं, जिनकी हत्यायें हो गयीं, सालों-साल बीत रहे हैं, लेकिन हत्यारों का पता नहीं चल रहा है, यह सबसे चिन्ताजनक बात है। यह देखकर, सुनकर कभी-कभी हम लोगों का दिल धड़कने लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जायेगा ? हम बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। आज यहां माननीय सदस्य बैठे हैं, इसमें एक माननीय अफजाल अंसारी का ही मामला नहीं है, कई और माननीय सदस्य हैं, जिनकी जान के लिये खतरा बना हुआ है। ऐसी घटनाओं को जब हम देखते हैं, तो और डर लगता है क्योंकि प्रशासन की ढीलढाल की वजह से इस तरह की हत्याओं में शामिल असामाजिक तत्वों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसलिये मान्यवर, मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा गम्भीरता से खुद आप विचार कर कोई रास्ता निकालने का काम करें, जिससे कम से कम हम लोग निर्द्वन्द होकर, निडर होकर माननीय सदन के सदस्य होने के नाते, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वहन कर सकें। मान्यवर, मैं सही कह रहा हूं कि असामाजिक तत्व कब क्या कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देंगे और प्रशासन हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर पायेगा । माननीय भाटी जी जिस दल से सम्बद्ध थे, उस दल से हमारे दल का भी रिश्ता है और कभी-कभी संयुक्त बैठकों में मुझे उनके विचारों को सुनने का मौका मिलता था, इसलिये मेरा उनसे थोड़ा व्यक्तिगत लगाव हो गया था, इसलिये उनके निधन से मुझे विशेष दुख है । मैं माननीय महेन्द्र सिंह भाटी के निधन पर अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं हमारे दल की ओर से शोक संवेदना के जो भाव व्यक्त किये गये हैं, उन्हें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें । दूसरे माननीय सदस्य श्री हर नारायण सिंह जी हैं । मेरी यह व्यक्तिगत समझ है कि आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया था, उन्हीं के त्याग की वजह से और बलिदान की वजह से हम सभी लोगों को इस आदरणीय सदन में बैठने का मौका मिला है और इस आजाद हिन्दुस्तान में सांस लेने का मौका मिला है । मैं ऐसे लोगों की विशेष कद्र करता हूं । जिन लोगों ने हमें आजाद हिन्दुस्तान में सांस लेने का मौका दिया और जो हम लोगों के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं, समय के साथ धीरे-धीरे करके वे हमारे बीच से चलते जा रहे हैं । श्री हरनारायण सिंह जी के निधन के प्रति मैं और मेरा दल शोक-संवेदना प्रकट करता है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये शोक-संवेदना के भाव उनके परिवार जनों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दो वर्तमान माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी, जिनकी हत्या हो गयी और श्री हर नारायण सिंह जी जिनका आकस्मिक निधन हो गया, आज हमारे बीच नहीं रहे । इन दोनों के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । इन दोनों माननीय सदस्यों के निधन के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना के ये भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री पवन कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस पार्टी एवं अन्य दलों के माननीय नेताओं ने दिवंगत आत्माओं के प्रति जो संवेदना के भाव प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । दो वर्तमान माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री हर नारायण सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे, इन दोनों के प्रति बड़े दुख के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इसी के साथ ही हमारे 19 भूतपूर्व सदस्य व तीन विशिष्ट महानुभाव, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हमारे वर्तमान सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी, अपने जीवन की रक्षा के लिये यहां पर गुहार करते रहे, परन्तु इसके बावजूद भी प्रशासन उनकी रक्षा नहीं कर पाया । हमारे आज भी तमाम ऐसे साथी हैं, जो अपने जान की रक्षा की गुहार यहां पर करते रहे हैं और कर भी रहे हैं । मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं परन्तु पता नहीं क्या कारण है कि विरोध पक्ष के जब कुछ माननीय सदस्यगण अपनी सुरक्षा हेतु प्रशासन से मांग करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है । आज हमें दुख तब हो रहा है जब महेन्द्र सिंह भाटी जी के गुहार करने के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई और असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई । इसी प्रकार तमाम ऐसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्य हैं जो अपनी सुरक्षा हेतु यहां पर गुहार करते आ रहे हैं, इसलिये मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी अनुरोध है साथ ही सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे माननीय सदस्यों को जिन्हें अपने जान की असुरक्षा है और उन्होंने मांग की है, ऐसे लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । माननीय श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री हर नारायण सिंह के परिवार जनों तक हमारे संवेदना के भाव पहुंचाने का कष्ट करें.। इसके साथ ही 19 भूतपूर्व सदस्य व तीन विशिष्ट महानुभाव जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति भी हमारे ये शोक संवेदना के भाव पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई निर्दलीय माननीय सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं । इस विधान सभा का सत्र जब अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ था तो हमने यह कल्पना नहीं की थी कि हमारे दो वर्तमान सदस्य हमारे साथ नहीं रहेंगे । श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी की स्मृतियां आज भी हम सब के पटल पर बहुत स्पष्ट हैं, वे हिंसा के शिकार हुए । विधान सभा सदस्य के रूप में मेरा श्री भाटी से वर्ष 1989 में परिचय हुआ था और तब से ही मैंने उन्हें विधायक के रूप में एक गम्भीर व्यक्ति समझा और जाना । जनता दल (ब) के उपनेता के रूप में मैंने इस सदन की कार्यवाही के संचालन में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग पाया । कभी-कभी सदन से संबंधित समस्याओं के संबंध में जब अपने कक्ष में बात होती तो मैंने उन्हें पाया कि उनमें पैनी दृष्टि है, नियमों के निर्वाचन के संबंध में, सदन की कार्यवाही के संबंध में और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संबंध में उनके अपने ठोस रचनात्मक विचार हैं । श्री महेन्द्र सिंह भाटी की 49 वर्ष की आयु में मृत्यु हम सब के लिये दुख का विषय है । विधायक के रूप में हमें उनसे बहुत अपेक्षायें थीं और एक दल के नेता के रूप में, जब वह और अधिक विकसित हो रहे थे, उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन देखने का अवसर मिल रहा था तो वह हमारा साथ छोड़कर चले गये यह हमारे लिये दुख की बात है । अधिवक्ता के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ कर किस तरह से राजनीतिक लोकप्रियता प्राप्त कर इस सदन के वह सदस्य हुए यह किसी से छिपा नहीं है ।

उनकी पुस्तक ''आर्थिक आजादी के नये आयाम'' उनके आर्थिक विचारों का संग्रह है जो हम सब के लिये उपयोगी सिद्ध होगा । उनके निधन से इस सदन की जो क्षति हुई है, उनके जनपद की जो क्षति हुई है वह अपूरणीय है हमने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है । हमारी ईश्वर से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस हानि को वहन करने की शक्ति दे ।

श्री हरनारायण सिंह जी इस सदन के सक्रिय सदस्यों में से रहे हैं वे तीन बार इस सदन के सदस्य के रूप में चुन कर आये और उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा । शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेष अभिरुचि थी । मैं इलाहाबाद से जब लखनऊ आता हूं तो मार्ग में उनके क्षेत्र के नागरिक उनकी चर्चा किया करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं । श्री हर नारायण सिंह के निधन से भविष्य में सदन उनके बहुमूल्य राय से वंचित रहेगा । हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस हानि को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे सभी दिवंगत नेताओं के परिवारजनों को सूचित करूंगा । हम सब दो मिनट मौन खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री शीतलादीन द्विवेदी, प्रताप बहादुर सिंह, राम दुलारे मिश्र, राम सूरत सिंह, इन्द्र पाल सिंह, महावीर सिंह, ओबेदुर्रहमान खान शेरवानी, सुगन चन्द्र मजदूर, राम रूप सिंह, उमाकान्त बाजपेई, रघुराज सिंह, अनिल कुमार भारद्वाज, मकबूल अहमद, चौधरी नौनिहाल सिंह, श्रीमती विद्यावती राठौर, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री जियाउर्रहमान अंसारी, श्री राम अनन्त पाण्डेय तथा श्री काजी कलीमुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आज यह भी हमारे लिये बड़े दुख का विषय है कि एक बड़ी लम्बी सूची निधन के प्रस्तावों से संबंधित है और ऐसे हमारे 19 भूतपूर्व मा० सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वे हैं –

श्री शीतलादीन द्विवेदी, इलाहाबाद, श्री प्रताप बहादुर सिंह–बहराइच, श्री राम दुलारे मिश्र-कानपुर (देहात), श्री राम सूरत सिंह–गाजीपुर, श्री इन्द्रपाल सिंह–अलीगढ़, श्री महाबीर सिंह-बुलन्दशहर, श्री ओबेदुर्रहमान खान शेरवानी-अलीगढ़, श्री सुगन चन्द्र मजदूर-मुजफ्फरनगर, श्री राम रूप सिंह-पीलीभीत, श्री उमाकान्त बाजपेयी-फतेहपुर, श्री रघुराज सिंह-देवरिया, श्री अनिल कुमार भारद्वाज-रामपुर, श्री मकबूल अहमद-रामपुर, चौ० नौनिहाल सिंह-इलाहाबाद, श्रीमती विद्यावती राठौर-इटावा, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी- गढ़वाल, श्री जियाउर्रहमान अंसारी-उन्नाव, श्री राम अनन्त पाण्डेय-बलिया, श्री काजी कलीमुर्रहमान-आजमगढ़ । इन सभी महानुभावों ने सदन के अन्दर और बाहर रहकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनुकरणीय सेवायें की हैं । इनमें से कई ऐसे सम्मानित सदस्य रहे हैं जो इस सदन के ही नहीं अपितु अनेक बार जिन्होंने लोक सभा के भी सदस्य निर्वाचित होकर देश की सेवा की है । अपने-अपने क्षेत्र के अपने-अपने जनपदों के ही नहीं अपितु एक प्रकार से पूरे देश और प्रदेश के वे नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजनीति को स्वच्छता और स्वस्थ्यता प्रदान की । यह वह पीढ़ी है कि जिसके उठ जाने से जो समाज में रिक्तिता पैदा होती जा रही है उसको भर पाना कठिन कार्य है । उस समय की इस पीढ़ी ने सदैव राजनीति में उच्च आदर्शों का सहारा लिया और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति का पक्ष लिया । आज दुर्भाग्य से सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में ऐसे महानुभावों का बने रहना समाज की, प्रदेश की और देश की दृष्टि से बहुत आवश्यक था । (समय 12 बजकर 10 मिनट) हम उनके द्वारा जो नैतिक मूल्य बताये गये हैं, उसी पथ का अनुसरण करते हुए सामाजिक क्षेत्र में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े यही हमारी उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी । मैं और मेरा दल इन सभी भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन से बहुत दुःखी है । मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं । परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा सद्गति प्राप्त हो । ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे । श्रीमन्, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन सभी के शोक संतप्त परिवारों तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, नेता सदन ने जो 19 भूतपूर्व सम्मानित सदस्यों के बारे में अपनी सम्वेदना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री शीतलादीन द्विवेदी, आप देखें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनका 8 सितम्बर, 1974 को निधन हो गया और हम आज 18-19 साल बाद यहां पर संवेदनायें व्यक्त कर रहे हैं । मान्यवर, बार-बार यह सवाल इस सदन में आता है और मुझे इस बात का दुःख है कि आप अपनी पीठ से निर्देश भी देते हैं लेकिन कदाचित् प्रशासन क्या करता है कि 18-19 साल के बाद जिला प्रशासन जागता है और तब हम माननीय सदस्यों के प्रति संवेदनायें यहां व्यक्त कर पाते हैं । मान्यवर, इस बारे में मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी तय की जाय और अगर समय से हमें सूचना न भेजी जाय तो इसके लिये उनके प्रति कठोर कार्यवाही की जाय । मान्यवर, श्री शीतलादीन द्विवेदी जी मेरे ही जिले इलाहाबाद के उसी क्षेत्र से जिससे मैं आज विधायक हूं, वहीं से 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे । वे एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति और एक समाज-सेवी थे । मान्यवर, उन्होंने इलाहाबाद में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था । वह कई शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे । वे डायरेक्टर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामनगर, सदस्य, जिला बोर्ड इलाहाबाद, चेयरमैन, शिक्षा समिति इलाहाबाद, भारत सेवक समाज के जिला चेयरमैन, अध्यक्ष, महाराणा प्रताप विद्यालय, अध्यक्ष, सूखा सहायता समिति इलाहाबाद रहे । इसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं के भी अध्यक्ष पद को सुशोभित किया । उन्होंने कई लेख भी लिखे । ''हिन्द के हीरे'' का प्रकाशन भी किया । संगीत में भी उनकी अभिरुचि थी । उनसे मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध था आज ही नहीं पिछले 50 वर्षों से हमारा उनका पारिवारिक संबंध रहा । वह एक मृदुभाषी, हसमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति थे । सामाजिक क्षेत्र में उनकी काफी अभिरुचि रही । इस विधान सभा के भी वह सदस्य चुने गये । मान्यवर, उनके दिवंगत होने से इलाहाबाद जनपद के राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो रिक्तता आयी है, वह आसानी से भरी नहीं जा सकेगी । मैं आग्रह करूंगा कि उनके परिवार को हालांकि एक तरह से परिहास होगा कि 18-19 साल के बाद विधान सभा उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेज रही है फिर भी औपचारिकता के नाते मैं आग्रह करूंगा कि उनके परिवार जनों को हमारी और हमारे दल की तरफ से शोक-संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, प्रताप बहादुर सिंह का निधन मई, 1976 में हो गया वह 69 वर्ष के थे । सन् 1976 का आज हम पढ़ रहे हैं । प्रताप बहादुर सिंह का जन्म हरिहरपुर, बहराइच में हुआ था । उन्होंने काल्विन ताल्लुकेदार कालेज, लखनऊ तथा डी० ए० वी० कालेज में शिक्षा ग्रहण की थी । 1957 में निर्वाचन क्षेत्र फखरपुर, बहराइच से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । जिला बोर्ड बहराइच, के भी सदस्य रहे । बाद में उन्होंने उससे इस्तीफा देकर भारत छोड़ो आन्दोलन में, जिसको इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चलाया था उसमें भाग लिया वह जेल भी गये । कुछ समय लंका में भी उन्होंने प्रवास किया था और संगीत अध्ययन और पर्यटन में भी उनकी रुचि थी । मान्यवर, प्रताप बहादुर सिंह जी के निधन से बहराइच ने एक कुशल राजनीतिज्ञ स्वंतत्रता सेनानी एवं समाज सेवी खो दिया है । मान्यवर, कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी संवेदनायें और हमारे दल की संवेदनायें भेजने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से राम दुलारे मिश्र का निधन 11 मई, 1979 को हुआ । प्रशासन ने बड़ी कृपा की कि सन् 1979 के दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस विधान सभा को भेजा कि हम उनके शोक संतप्त परिवार के बारे में संवेदना व्यक्त कर सकें । राम दुलारे मिश्र एक कर्मठ व्यक्ति थे । 1952 में सर्वप्रथम विधान सभा में सामान्य चुनाव में वह निर्वाचित होकर आये थे । 1972 में उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र राजपुर, जिला कानपुर से चुनकर मान्यवर, वह इस विधान सभा के सदस्य बने थे । श्री राम दुलारे मिश्र कांग्रेस पार्टी के थे वह सचरित्र, ईमानदार एवं सक्रिय सदस्य थे । उन्होंने अपना योगदान कांग्रेस कमेटी, कानपुर में अध्यक्ष के रूप में और महामंत्री के रूप में दिया । वह उस समय के तत्कालीन विधान सभा

में कई समितियों के सदस्य चुने गये थे और मान्यवर, वह कानपुर डेवलपमेन्ट बोर्ड के सदस्य एवं अध्यक्ष भी रह चुके थे । उन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवाह्न पर जेल जाकर अपना पूरा भरपूर योगदान दिया । वह "सजग प्रहरी" व "नभ केशरी" नामक समाचार पत्रों के सम्पादक भी रहे । मान्यवर, उनके निधन से कानपुर जनपद में जो रिक्तता आई है, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उसे आसानी से भरा नहीं जा सकेगा । उनके शोक संतप्त परिवार को कृपया मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री राम सूरत सिंह का निधन 11 दिसम्बर, 1985 को हो गया वे लगभग 80 वर्ष के थे मान्यवर, जिला गाजीपुर में उनका जन्म हुआ था उन्होंने सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में अपना योगदान किया था । वर्ष 1969 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर से कांग्रेस के टिकट पर वे विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये थे । 1958 में विधान परिषद् के लिये निर्वाचित हुए एवं 1964 तक सदस्य रहे । इस तरह से उन्होंने विधान सभा एवं विधान परिषद् दोनों में अपना योगदान दिया था । मान्यवर, उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवाह्न पर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेकर किया । आप 6 बार जेल गये थे वे रूरल डेवलपमेन्ट एसोसियेशन गाजीपुर के चेयरमैन एवं विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एवं अध्यक्ष रह कर उन्होंने सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया । उनके निधन से गाजीपुर जनपद में जो सामाजिक एवं राजनैतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में रिक्तता आई है, उसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो पायेगी । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी एवं हमारे दल की ओर से संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

इन्द्र पाल सिंह जी का निधन 9 नवम्बर, 1990 को हो गया वे 67 वर्ष के थे । उनका जन्म जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था । इन्द्रपाल सिंह जी सर्वप्रथम 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित होकर अलीगढ़ से जनसंघ के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् 1974 के सामान्य निर्वाचन में वे दुबारा निर्वाचित होकर इस विधान सभा के सदस्य बने । मान्यवर, इन्द्रपाल सिंह जी आरम्भ काल में ही नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की तिरुपति कांग्रेस जबलपुर यूनिट के पदाधिकारी रहे । मान्यवर, उन्होंने नेता जी से प्रेरणा लेकर अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया एवं कई मजदूर संगठनों एवं अनेक संस्थाओं में उन्होंने अपना योगदान अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में किया । मान्यवर, वे समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिये प्रयत्न करते रहे और अपना योगदान देते रहे । उनके निधन से जनपद अलीगढ़ का एक कुशल राजनेता एवं समाजवादी हमने खो दिया है । कृपया उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, महाबीर सिंह जी का निधन 20 जनवरी, 1991 को हुआ । वे 89 वर्ष के थे । मान्यवर, उनका जन्म बुलन्दशहर में हुआ था उन्होंने एल-एल० बी० की शिक्षा प्राप्त की थी अलीगढ़ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी । महाबीर सिंह जी सर्वप्रथम सन् 62 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विधान सभा सदस्य पद ग्रहण किया था । महाबीर सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम किये हैं । मान्यवर, वे कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर भी सुशोभित रहे हैं । सन् 1986 तक आप सेठ पन्नी जी सुगर मिल के लीगल एडवाइजर रहे । पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटन में आपकी विशेष अभिरुचि थी । उनके निधन से जनपद बुलन्दशहर का एक राजनैतिक और सामाजिक आयाम का व्यक्तित्व हमने खो दिया है । कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, ओबैदुर्रहमान खां शेरवानी का निधन 5 मई, 1992 को अलीगढ़ में हो गया । वे 95 वर्ष के थे । उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा एम० ओ० कालेज, अलीगढ़ से प्राप्त की थी । वह 1937 तथा 1946 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । इसके पूर्व वे लम्बे समय तक कौंसिल के सदस्य निर्वाचित होते रहे । दोनों सदनों में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया था । वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोर्ट एवं एक्जूक्यूटिव कमेटी के मेम्बर, आनरेरी खजांची तथा वाइस चांसलर के पद पर रहे थे । वे विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य भी रहे । मान्यवर, उनके निधन से अलीगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के राजनैतिक क्षेत्र में जो रिक्ति आई है, उससे हम सभी लोग दुखी हैं । मान्यवर, मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, सुगन चन्द्र मजदूर का निधन 10 जून, 1992 को हो गया । वे लगभग 73 वर्ष के थे । उनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था । उन्होंने विशारद तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वह सर्वप्रथम 1962 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र भीकरहेरी, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे 1967 के सामान्य निर्वाचन में पुनः चुने गये । श्री मजदूर स्वतंत्रता आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिसके फलस्वरूप वे साढ़े चार वर्ष जेल में रहे । उनके द्वारा गरीबों के उत्थान हेतु शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी । उनके निधन से मुजफ्फरनगर का एक राजनेता हमने खो दिया है, जो खासतौर से दलितों के बीच में काम करके उनके उत्थान के लिए भरपूर योगदान दिया था । मान्यवर, उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, राम स्वरूप सिंह का निधन 17 जून, 1992 को हो गया । वे लगभग 91 वर्ष के थे । वे सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत, जनपद पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त एल० एच० शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत में जनरल मैनेजर के पद पर भी कार्य कर चुके थे । वे बरेली क्लब के सदस्य तथा वोट हाउस क्लब, नैनीताल के सदस्य थे । अध्ययन तथा धार्मिक विषयों में आपकी रुचि थी तथा टेनिस खेलना पसन्द था । उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल प्रशासक, राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया । मान्यवर, हमारी और हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री उमाकान्त बाजपेई का निधन 25 जून, 1992 फतेहपुर में हो गया । वे लगभग 62 वर्ष के थे । मैं श्री बाजपेयी को व्यक्तिगत रूप से जानता था । उन्होंने फतेहपुर में काफी लम्बे अर्से तक राजनैतिक और सामाजिक रूप से कार्य किया । वर्ष 1969 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर से जनसंघ पार्टी के टिकट पर सर्वप्रथम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में जनता पार्टी व 1989 के सामान्य निर्वाचन में निर्दलीय सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे । बाजपेयी जी एक सम्मानित परिवार से आते थे और उन्होंने फतेहपुर में कोआपरेटिव बैंक में और अन्य संस्थाओं में योगदान दिया । मान्यवर, उनके निधन से फतेहपुर में एक रिक्तता आयी है । कृपया हमारे और हमारे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री रघुराज सिंह जी का निधन 25 जून, 1992 को वाराणसी में हो गया, वे 67 वर्ष के थे । श्री रघुराज सिंह, ग्राम व पोस्ट लहियारी बघेल, थाना भाटपाररानी, जनपद देवरिया के मूल निवासी

थे । श्री रघुराज सिंह जी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल० टी० की शिक्षा ग्रहण की थी । वे 1974 के सामान्य निर्वाचन में भाटपाररानी, जिला देवरिया से चुनकर इस विधान सभा के सदस्य बने थे, वह समाजसेवी और कर्मठ नेता थे । वे मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपाररानी में अध्यापक रहे और बाद में इसी कालेज के प्रबन्धक पद पर आसीन हुए उन्होंने हर तरह से अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था । मान्यवर, उनके निधन से देवरिया जनपद को अपूर्णनीय क्षति हुई है । कृपया उनके शोक संतप्त परिवार को शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री अनिल कुमार भारद्वाज का निधन 26/27-6-92 की रात्रि को एक सड़क दुर्घटना में हो गया वह अल्पायु मात्र 39 वर्ष के थे । मान्यवर, मैं श्री अनिल कुमार भारद्वाज जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं पिछली विधान सभा में वह यहां के सदस्य के रूप में चुनकर आये थे, एक नौजवान आदमी थे, उनका व्यक्तित्व बहुत ही जुझारू था । वह रामपुर जनपद के निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर से निर्दलीय के रूप में चुनकर आये थे और 1989 की विधान सभा में बहुत तरह से अपना योगदान दिया था । मान्यवर, अभी उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल था लेकिन अल्पायु में ही सड़क दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गयी उससे जो आघात उनके परिवार को लगा है उसे सहज ही भूलना बहुत मुश्किल है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी शोक संवेदना आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं कृपया शोक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री मकबूल अहमद का निधन 14 जुलाई, 1992 को हो गया । वह 1977 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र स्वार टाण्डा, जिला रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे, आजादी की लड़ाई में वह जेल गये थे और मान्यवर, 1952 से ही उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना योगदान विभिन्न रूपों में देना प्रारम्भ कर दिया था, गन्ना समिति के चेयरमैन के रूप में या क्षेत्र समिति के प्रमुख के रूप में एवं अनेक ऐसी संस्थाओं के उपाध्यक्ष रह चुके थे । श्री मकबूल अहमद जी के निधन से एक कुशल राजनीतिक एवं स्वतंत्रता सेनानी हमने खो दिया । कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, चौधरी नौनिहाल सिंह जी जिनका निधन 18 अगस्त, 1992 को इलाहाबाद में हो गया वह 69 वर्ष के थे । मान्यवर, चौधरी साहब समाजवादी आन्दोलन से प्रेरित थे और प्रारम्भ से ही जब वह राजनीति में आये, समाजवादी पार्टी के माध्यम से वह इस विधान सभा के सदस्य सर्वप्रथम 1962 में चुने गये थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर और फिर 1967, 1979 और 1980 में भी इस विधान सभा में चुनकर आये थे ।

मान्यवर, चौधरी साहब ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भी सक्रिय भूमिका निभायी थी । वे कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद के अवैतनिक प्रधानमंत्री एवं विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष एवं चेयरमैन रहे थे । मान्यवर, उन्होंने इस सदन में व इस प्रदेश में शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था । मान्यवर, आज उनके निधन से शैक्षणिक और सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जो रिक्तता आयी है वह आसानी से नहीं भरी जा सकेगी । कृपया हमारी ओर से हमारे दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्रीमती विद्यावती राठौर जी का निधन 31/1-8-92 की रात्रि में इटावा में हो गया । श्रीमती राठौर जी एक कर्मठ महिला थीं । उनका योगदान इटावा, एटा और अगल-बगल के सभी जिलों में रहा था । इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था । वे 1946, 1952, 1962, 1967 तथा 1969 के निर्वाचन में विधान सभा की सदस्या चुनी गयी थीं । उन्होंने शुरू से ही भारत छोड़ो आन्दोलन में स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था वे सात बार जेल गयीं थीं और यातनायें सही थीं । उनके निधन से न केवल इटावा बल्कि पूरे प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी को खो दिया है ।

कृपया इनके शोक-संतप्त परिवारजन को हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी का निधन 6 अक्तूबर, 1992 को नई दिल्ली में हो गया वे लगभग 67 वर्ष के थे । श्री अंसारी वर्ष 1962 एवं 1967 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर सदस्य विधान सभा चुने गये थे । वर्ष 1971, 1980, 1985 तथा 1989 में वे लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । मान्यवर, उन्होंने अपना योगदान इस विधान सभा में एवं लोक सभा में तथा विभिन्न पदों पर रह कर विभिन्न रूप से दिया था । वे उद्योग और पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री 1973 से 1977 के बीच में तथा 1980 में वे केन्द्रीय राज्य मंत्री बने । उन्होंने वाणिज्य, सिंचाई तथा जहाजरानी जैसे विभाग संभाले । 1985 में उन्होंने पर्यावरण विभाग संभाला । मान्यवर, उन्होंने पूरे देश में और इस प्रदेश में और खासतौर से उन्नाव में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया था । जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है । कृपया उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान की 25 अक्तूबर, 1992 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी वे 42 वर्ष के थे । मुझे याद है कि वे हम लोगों के साथ ही इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और मान्यवर, उन्होंने आजमगढ़ से यहां आकर के 1985 के सामान्य निर्वाचन में अपना भरपूर योगदान दिया था । वे हंसमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति थे । यहां विधान सभा में हम लोगों के साथ रहकर अनेक रूप से उन्होंने योगदान दिया था उनका जिन हालात में निधन हुआ है उससे हम और हमारा दल सभी दुखी हैं । कृपया हमारी ओर से हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री शीतला दीन द्विवेदी जी के निधन से एक प्रकार से इलाहाबाद जनपद के प्रतीक के रूप में थे । उनके निधन से एक प्रकार से सहकारिता जगत का, शिक्षा जगत का, सहित्य जगत का युग समाप्त हो गया है ।

मान्यवर, श्री प्रताप बहादुर सिंह जी के निधन से भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने वाले एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो गया । उनके न रहने से जनपद बहराइच ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया है । श्री राम दुलारे मिश्र कांग्रेस पार्टी के एक सच्चरित्र, ईमानदार तथा सक्रिय सदस्य थे । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था । कानपुर जनपद उनकी सेवाओं को सदैव याद रखेगा । श्री राम सूरत सिंह गाजीपुर में कांग्रेस के एक कर्मठ व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अकथनीय सेवायें कीं और ऐसे समाज सेवी की सेवायें हमेशा याद रहेंगी । वे रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गाजीपुर, जिला परिषद्, गाजीपुर तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे । धार्मिक व राजनैतिक अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी । उनके निधन से जो भी रिक्तता गाजीपुर में आयी है वह कभी पूरी नहीं हो पायेगी । श्री इन्द्रपाल सिंह के निधन से हमने बेरोजगार व गरीबों से लड़ने वाले नेता को खो दिया है । उनके निधन से जो रिक्तता आयी है वह आसानी से भर नहीं पायेगी ।

श्री महाबीर सिंह जी के निधन से जनपद बुलन्दशहर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । वे एक अच्छे वकील थे । वे मण्डल कांग्रेस कमेटी, खुर्जा के प्रधान, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा जिल बोर्ड बुलन्दशहर के उपाध्यक्ष भी रहे थे । उनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है । श्री ओबेदुर्रहमान खान शेरवानी के निधन से अलीगढ़ जनपद ने एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व खो दिया है । उनमें देश के प्रति लगाव था । जब स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन चला तो अंग्रेजों ने उन्हें 1929 में खान बहादुर की उपाधि दी तो उसे उन्होंने लौटा दिया और स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन को मजबूत किया । श्री सुगन चन्द्र मजदूर के निधन से बाल्मीकि समाज को विशेष रूप से क्षति हुई है, उन्होंने अपना एक नेता खो दिया है । श्री मजदूर स्वतंत्रता आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे । उनके द्वारा गरीबों के उत्थान हेतु शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी । उनके निधन से इस प्रदेश को विशेष रूप से बाल्मीकि समाज को क्षति हुई है । श्री राम रूप सिंह जी का निधन 17 जून, 1992 को हो गया ।

श्री राम रूप सिंह वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त एल० एच० शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत में जनरल मैनेजर के पद पर कार्य किया । जहां से उन्होंने मजदूरों के हित एवं किसानों का हित किया । उसके बाद वे इस सम्मानित सदन के सदस्य हुए और यहां उनकी आवाज को उठाया । श्री उमाकान्त बाजपेयी के निधन से फतेहपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ व समाज सेवी खो दिया । श्री रघुराज सिंह के निधन से देवरिया जनपद के लोगों ने एक कुशल राजनीतिज्ञ व समाजसेवी खो दिया । श्री रघुराज सिंह एक समाजसेवी थे और कांग्रेस के एक कर्मठ नेता थे । शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और जीवन पर्यन्त शिक्षा के लिए समर्पित रहे ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज का निधन 26/27 की रात्रि को रामपुर के निकट एक सड़क दुर्घटना में हो गया । वे 39 वर्ष के थे । वे वर्ष 1983 से 1988 तक क्षेत्र समिति विकास खण्ड मिलक के ब्लाक प्रमुख के पद पर रहे तथा वर्ष 1988 से जीवनपर्यन्त नगर पालिका, मिलक के अध्यक्ष रहे । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी सेवा की और उनकी सेवायें सदैव याद की जायेंगी । श्री मकबूल अहमद के निधन से रामपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया । वे अध्यक्ष बाल एवं समाज कल्याण समिति, चमरौआ, अध्यक्ष, जिला प्रमुख संघ, अध्यक्ष, जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, अध्यक्ष, कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, रामपुर भी रहे और उनकी यह सेवायें सदैव याद की जायेंगी । चौधरी नौनिहाल सिंह के निधन से उन सभी को आघात पहुंचा होगा जो उन्हें जानते थे । वे एक ऐसे इन्सान थे जिसमें अपनापन भरा था । वह सदैव जब दूसरों से मिलते थे, तो उनकी सहजता, सरलता दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती थी । माननीय नौनिहाल सिंह जी ने एक समाजसेवी के रूप में अपना जीवन शुरू किया था । सबसे पहले वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर आये थे, बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गये और 1967, 1979 तथा 1980 के निर्वाचनों में उन क्षेत्रों से चुनकर आये, जो इलाहाबाद शहर के अन्तर्गत आते थे । मान्यवर, हम लोगों ने उनको काम करते हुए इस सदन में गृह मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में तथा वन मंत्री के रूप में देखा । इसके अलावा इलाहाबाद के सामाजिक जीवन में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रह गया हो, जो चौधरी नौनिहाल सिंह जी से अछूता रह गया हो । कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद, प्रयाग संगीत समिति में उनकी सेवायें इलाहाबाद के लिए निःसन्देह अविस्मरणीय हैं ही, इस प्रदेश के लिए भी संगीत के उत्थान, शिक्षा के उत्थान के लिए जो कार्य उन्होंने किये हैं, वह सदैव स्मरण किये जाते रहेंगे । उनके निधन से जहां एक समाजसेवी, संगीत और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति का अन्त हो गया, वहीं व्यक्तिगत रूप से मैंने अपना एक आदरणीय साथी खो दिया है ।

मान्यवर, श्रीमती विद्यावती राठौर उस युग में राजनीति में आयी थीं, जब महिलाओं का प्रवेश राजनीति में बहुत कम होता था । वर्ष 1937, 1946, 1952, 1962, 1967 तथा 1969 के निर्वाचनों में विजय प्राप्त करके उन्होंने दिखा दिया कि महिलायें भी किसी से पीछे नहीं हैं । मान्यवर, उन्हें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल में समाज कल्याण मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला, उन्होंने जेल की भी सात बार यात्रायें कीं । उनके निधन से एक महान व्यक्तित्व का अन्त हो गया ।

मान्यवर, माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी का निधन अभी हाल में ट्रेन में यात्रा करते समय दुखद परिस्थितियों में हुआ । इस सदन में मंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में उनकी सेवायें अविस्मरणीय हैं । गढ़वाल के लिए और पूरे पर्वतीय अंचल के लिए उन्होंने जो कार्य किये, वह सदा सर्वदा स्मरण किये जाते रहेंगे ।

मान्यवर, जियाउर्रहमान अंसारी का नाम आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर उभरकर सामने आती है, जिसका सम्पूर्ण जीवन बुनकरों, दलितों, पिछड़ों के लिए समर्पित हो गया । बुनकरों का प्रदेश में, देश में शोषण न हो, इसके लिए उन्होंने मजबूत आवाज उठायी । आज जब वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में यह संतोष जरूर है कि उन्होंने लम्बे समय तक देश और प्रदेश की सेवा की । एक मंत्री के रूप में, चाहे वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री के रूप में रहे हों या इस सम्मानित सदन में एक सदस्य के रूप में रहे हों, उन्होंने बुनकरों की आवाज को इतना मजबूत कर दिया था कि आज उनका जीवन पहले से बेहतर है । उनके निधन से बुनकरों, दलितों, मजदूरों की मजबूत आवाज उठाने वाले का

अन्त हो गया, साथ ही ऐसी विचारधारा का भी अन्त हो गया, जिसकी हमें आज बहुत जरूरत थी। उनकी इन्हीं सेवाओं के कारण इंदिरा जी ने और राजीव गांधी जी ने अपने मंत्रि-मण्डल में रखा।

मान्यवर, राम अनन्त पाण्डेय के निधन से जनपद बलिया ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को खो दिया है।

मान्यवर, श्री काजी कलीमुर्रहमान का निधन दीपावली के दिन हुआ था। अभी चन्द दिनों पहले श्री नारायण दत्त तिवारी जी के यहां मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला था। ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमसे बिछड़ जायेंगे। असीम संभावनाओं को लिए हुए, जिन दुखद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ, उसके लिए हम सभी शोकाकुल हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति आप मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी के बारे में कहना भूल गया था, इसके लिए क्षमा करें।

मान्यवर, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी हमारे व्यक्तिगत मित्र थे और जिन परिस्थितियों में ट्रेन में यात्रा करते समय उनका स्वर्गवास हो गया, वह बड़ा ही दुखद रहा। उन्होंने बी० एस-सी०, एल-एल०-बी० तथा डिप्लोमा भी लिया था। वह इस विधान सभा में 1969 के सामान्य निर्वाचन में वह पहली बार लैंसडाउन से चुनकर इस विधान सभा के सदस्य बने थे। इसके बाद 1980 में वह पुनः चुनकर आये। 1985 व 1989 में वह लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, चाहे वह यहां पर हो या लोक सभा में हो, उसे हम सब लोग याद रखेंगे। वह हमारे व्यक्तिगत मित्र थे। उनके निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं। हमारे ये संवेदना के भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, जिन 19 भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति शोक-संवेदना के भाव माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व माननीय नेता कांग्रेस ने व्यक्ति किये हैं, उससे में अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शीतला दीन द्विवेदी जी का निधन 8 सितम्बर, 1974 को हुआ। वह इलाहाबाद की तहसील करछना से निर्दलीय सदस्य के रूप में 1967 के सामान्य निर्वाचन में इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में और ईमानदारी से बिताया। वह एक लेखक व साहित्यकार थे। उनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। श्री प्रताप बहादुर सिंह जी का निधन 1976 में हुआ। वह 1967 में बहराइच से विधान सभा के सदस्य चुनकर इस विधान सभा में आये थे। भारत छोड़ो आन्दोलन में जिस समय उन्होंने भाग लिया और जेल में यातनायें उन्हें दी गयीं, उसे हम सब लोग याद रखेंगे। वह जिला बोर्ड बहराइच के सदस्य भी रहे। श्री राम दुलारे मिश्र जी का निधन 11 मई, 1979 में हो गया। मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों का निधन 18 साल पहले हो गया है, 1974, 76 में हो गया है। मैं किसी एक सरकार को दोषारोपित नहीं कर रहा हूं। 1977 से लेकर हम में से कई लोग इसमें भागीदार हैं, चूंकि वर्तमान में आप पदारूढ़ हैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आज जिलाधिकारियों को कसकर लिखें कि जिन माननीय सदस्यों की मृत्यु हो गयी हो या हत्या हो गयी हो, उनकी सूचना यहां पर तत्काल भिजवायी जाय। श्री राम दुलारे मिश्र जी 1952 में पहली बार चुनकर आये। तत्पश्चात् 1972 के उप निर्वाचन में भी वह निर्वाचन क्षेत्र राजपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। वह समाचार-पत्रों के सम्पादक भी थे। "सजग प्रहरी" व "नभ केशरी" के वह सम्पादक भी थे।

श्री राम सूरत सिंह जी का निधन 11 दिसम्बर, 1985 में हो गया। ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गयी थी। वह बड़ा दुखद प्रकरण था। उन्होंने हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। 1960 में वह गाजीपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। 1958 में वह विधान परिषद् के सदस्य भी रहे और 1964 तक इसके सदस्य रहे। श्री राम सूरत सिंह जी को पूरे गाजीपुर की जनता जानती है। आज भी

उनसे नवजवानों को प्रेरणा मिलती है । राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने बड़ी सक्रियता से भाग लिया और वह छः बार जेल गये । उनका पूरा जीवन धार्मिक व राजनैतिक मान्यताओं से परिपूर्ण था । श्री इन्द्र पाल सिंह जी का निधन 9 नवम्बर, 1990 को हो गया । 1967 के सामान्य निर्वाचन में वह जनसंघ के टिकट पर चुनकर आये । 1974 में ही वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुए । वह अनेक सामाजिक संगठनों से संबंधित थे । वह अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे । गरीबों की सहायता व खोये हुए बच्चों को उनके यथास्थान पहुंचाने का वह काम करते थे । विद्यार्थियों को पुस्तकें व वस्त्र आदि की सहायता देने का कार्य था । सामाजिक सेवा व समाज की अन्य सेवाओं के रूप में उनका नाम लिया जाता रहेगा । उन्हें खेल व संगीत का विशेष शौक था । श्री महाबीर सिंह का निधन 20 जनवरी, 91 को हो गया । वे बुलन्दशहर से 1962 के सामान्य निर्वाचन में सर्वप्रथम चुनकर आये उनका निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा बुलन्दशहर रहा और वह कांग्रेस के टिकट पर सर्वप्रथम इस सदन में चुनकर आये । उनका जीवन एक वकील के रूप में शुरू हुआ और पर्यटन में उनकी विशेष रुचि थी ।

श्री ओबेदुर्रहमान खां शेरवानी का निधन 5 मई, 1992 को अलीगढ़ में हो गया । यह 1937 और 1946 के सामान्य निर्वाचन में अलीगढ़ से चुने गये थे । मैं समझता हूं कि 1937 में जो लोग चुने गये थे उनकी पीढ़ी अब समाप्त हो रही है उनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है और पुरानी पीढ़ी की समाप्ति की ओर यह कदम है । वे अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में कोर्ट एवं एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे और 1929 में जब उन्हें "खान बहादुर" की उपाधि दी गयी तो स्वतंत्रता की भावना से जुड़े होने के कारण उन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया । मैं समझता हूं कि यह भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा ।

श्री सुगन चन्द्र मजदूर का निधन 10 जून, 1992 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । वह सन् 1962 के चुनाव में जीत कर आये थे और दुबारा 1967 में जीत कर आये । मैं समझता हूं कि उसके बाद उनका सारा जीवन सार्वजनिक सेवा में लगा रहा । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभायी और साढ़े चार वर्ष तक जेल में रहे । उनकी हरिजन उत्थान में विशेष रुचि थी उन्होंने दलितों के उत्थान में हमेशा कार्य किया ।

श्री राम रूप सिंह का निधन 17 जून, 1992 को हो गया । वह ग्राम कैथी वाराणसी के रहने वाले थे । लेकिन उनका चुनाव क्षेत्र पीलीभीत था और 1962 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आये उनकी खेलकूद में विशेष रुचि थी ।

श्री उमाकान्त बाजपेयी का निधन 25 जून, 1992 को हो गया । वे सर्वप्रथम 1969 के सामान्य निर्वाचन में चुनकर आये और उसके बाद 1977 और 1989 में चुनकर आये । पुरानी पीढ़ी के वह जमींदार परिवार के थे लेकिन उस प्रथा से हट कर गरीबों की सेवा में लगे रहे । ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो यहां सदस्य रह कर ग्राम प्रधान रहें । श्री उमाकान्त जी ग्राम प्रधान और विधायक के रूप में जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वे एक जनप्रिय नेता के रूप में आदर से जाने जाते थे ।

श्री रघुराज सिंह का निधन 25 जून, 1992 को वाराणसी में हो गया । वे भाटपाररानी देवरिया से कांग्रेस (आई०) टिकट पर 1974 में चुन कर आये । वे बड़े कर्मठ और समाज सेवी व्यक्ति थे और उन्होंने भाटपाररानी के डिग्री कालेज में अध्यापन किया और बाद में उसी विद्यालय के प्रबन्धक हो गये । उनके निधन से एक कुशल समाजसेवी की क्षति हुई है ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज का निधन 39 वर्ष की आयु में हो गया 39 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं हुआ करती है । वे 1989 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य चुन कर आये थे । वह छात्र जीवन से राजनीति में रहे । वे मिलक के ब्लाक प्रमुख रहे और जीवन पर्यन्त मिलक नगरपालिका के अध्यक्ष रहे । उनको सार्वजनिक जीवन में सदैव याद किया जाता रहेगा ।

श्री मकबूल अहमद का 14 जुलाई, 1992 को निधन हो गया । वे 1977 के सामान्य निर्वाचन में स्वार माण्डा, जिला रामपुर से चुनकर आये थे । उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में अग्रणी कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया और एक बार जेल भी गये । वे कई प्रमुख समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े रहे । उनको एक समाजसेवी के रूप में हमेशा याद किया जायेगा ।

चौधरी नौनिहाल सिंह को हममें से हर एक आदमी जानता है उनका 18 अगस्त, 1992 को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया । उनके बारे में ज्यादा बताना आवश्यक नहीं है । वे सर्वप्रथम 1962 के सामान्य निर्वाचन में प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गये उसके बाद 1967, 1979 और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गये । चौधरी नौनिहाल सिंह "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय रूप से जुड़े रहे । वे इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला से जुड़ी अनेक संस्थाओं से जीवन पर्यन्त जुड़े रहे और उनका उसमें विशेष योगदान रहा और अनेक पदों पर रहे । उत्तर प्रदेश सरकार में गृह, शिक्षा, वन एवं खेलकूद विभागों में मंत्री रह चुके हैं । कुश्ती, बागवानी, संगीत आदि कई प्रकार का उन्हें शौक था ।

श्रीमन्, श्रीमती विद्यावती राठौर के बारे में कहना चाहता हूं कि यह सच है कि उस समय महिलायें राजनीति में भाग नहीं लेती थीं लेकिन उस समय भी उन्होंने कई बार चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि राजनीति में भी महिलाओं का योगदान हो सकता है और तभी से राजनीति में महिलाओं का योगदान गिना जाने लगा । वर्ष 1937 में वह एटा से विधान सभा के लिए चुनी गयीं और उसके बाद वह लगातार 1946, 1952, 1962, 1967 तथा 1969 के निर्वाचन में विधान सभा की सदस्या रहीं । वह बचपन से राजनीति में रहीं और 1926 में कांग्रेस में आयी थीं । 1930 से 1942 तक राजनीतिक आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया जिससे सात बार उन्हें जेल जाना पड़ा । उन्होंने 69 और 70 में यहां मंत्रि-मण्डल में समाज कल्याण मंत्री रहकर समाज की सेवा की थी ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी विधायक के रूप में ही नहीं बल्कि वह हमारे साथ लोक सभा में सदस्य के रूप में रहे और उनका सहयोग मिला । यहां 5 अक्टूबर, 1992 को उनका निधन हो गया । श्री नेगी का नाम पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है । वह 1969 के निर्वाचन में लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर जीत कर यहां आये थे । 1980 में पुनः इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1985 और 1989 में वह लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । श्री नेगी मीसा के अन्तर्गत राजनीतिक बन्दी रह चुके थे । वह यहां 69-70 में उप मंत्री और 1980 में राज्य मंत्री बनाये गये । उनकी खेलकूद, सिनेमा और भ्रमण में काफी रुचि थी । श्रीमन्, उनके साथ पार्टी में हमें काम करने का अवसर मिला था । वह एक कर्मठ, ईमानदार और कुशल कार्यकर्ता थे ।

श्री जेड० ए० अंसारी का निधन 6 अक्टूबर, 1992 को नई दिल्ली में हुआ था । उनका सहयोग और उनके साथ काम करने का मौका मुझे 1989 में जब मैं लोक सभा में चुन कर गया था तो मिला था । श्री अंसारी 1962 और 1967 के निर्वाचन में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से चुनकर विधान सभा के सदस्य बने थे और उसके बाद 1971, 1980, 1985 और 1989 में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । वह 1973–77 तक भारत सरकार के उद्योग और पेट्रोलियम मंत्रालयों के उप मंत्री और 1980 और

1985 में दूसरे विभागों के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे थे । उन्होंने दलितों के उत्थान में अपना जीवन समर्पित कर दिया था ।

श्री राम अनन्त पाण्डेय का 7 अक्टूबर, 1992 को निधन हो गया । वह 1952 तथा 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बलिया से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन नमक आन्दोलन से शुरू किया था । उनके जीवन की विशेषता है कि एक तोला नमक की कीमत 15 रुपये उन्होंने अदा करके खरीदा था । उन्होंने महात्मा गांधी के नमक आन्दोलन में भाग लिया था और अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नमक आन्दोलन में लगाया और सदैव अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान का निधन 25 अक्टूबर, 1992 को हुआ था । वह 42 वर्ष के थे । वह 1985 में निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर, जिला आजमगढ़ से भारतीय कांग्रेस (जे) दल से निर्वाचित हुए थे । वह अपने दल के एक कर्मठ नौजवान नेता थे । उनके उठ जाने से एक नौजवान के चले जाने से, प्रदेश की अपूर्णनीय क्षति हुई है ।

श्रीमन्, इन सभी भूतपूर्व सदस्यों के प्रति जो दिवगंत हो गये हैं मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हू और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवारों तक मेरी और मेरे दल की शोक-संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को शान्ति और शोक-संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा० नेता सदन, मा० नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो इन 21 मा० सदस्यों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, इन 21 मे से 19 भूतपूर्व सदस्यों की सूचनायें दी गयीं हैं जिसके लिए में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इनमें कुछ ऐसे भूतपूर्व सदस्य हैं जिनके बारे में यदि समय से सूचना आ गयी होती तो माननीय नेता विरोधी दल और हमको उन भूतपूर्व सदस्यों के प्रति श्रद्धांजति अर्पित करने का अवसर न मिलता चूंकि उस समय जब उनका निधन हुआ था हम सदस्य यहां नहीं थे । लेकिन इस अक्षमता और शिथिलता के प्रति आपने विशेष ध्यान दिया तभी यह अवसर हमको मिला है । श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि सूची लम्बी हो तो इसके लिए दो-तीन दिन का समय कर दिया जाय जिससे हमें अपने विचारों को जो हमारे साथी दिवंगत हो गये हैं, उनके प्रति व्यक्त करने का अवसर मिल सकेगा । इसमें बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम था । इसमें से श्री जियाउर्रहमान अंसारी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य ही नहीं थे बल्कि देश की राजनीति का हिस्सा बन गये थे । इसमें और भी तमाम सदस्य हैं जिन्हें इस सदन के साथ-साथ लोक सभा में भी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने लगन और परिश्रम से इस देश की, समाज की सेवा की । इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी तथा अपने दल की ओर से सम्वेदना व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें इनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिन 19 भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति शोक संवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस (आई), माननीय नेता जनता दल (अ) तथा माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने जो शोकाद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन भूतपूर्व माननीय सदस्यों में कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा की है और उनकी मेहनत तथा लगन से इस देश को आजादी हासिल हुई है । इनमें से श्री राम अनन्त पाण्डेय हमारे जनपद के थे । सादा भोजन, सादा पहनावा और उच्च विचार के व्यक्ति थे । महात्मा गांधी के यह

अनुयायी थे । उन्हीं के आदर्शों पर यह जीवन भर चलते रहे । 1952 और 1967 में दो बार बलिया विधान सभा क्षेत्र से यह सदस्य, विधान सभा के रूप में चुनकर आये उन्हें देखने से यह मालूम नहीं होता था कि यह विधायक हैं । आज के परिवेश में राजनीति में आडम्बरपूर्ण राजनीति हावी हो रही है । श्री पाण्डेय गरीबों के मसीहा थे । वे जीवन में कभी रिक्शे पर नहीं बैठे । साइकिल पर या पैदल चलकर ही वह भारी बहुमत से विजयी हुए थे । मेरे जनपद में उनका बहुत आदर सम्मान था । ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से बलिया जिले में ही नहीं पूर्वान्चल में कुशल राजनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता की कमी आ गयी है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राम लखन–

जिन 19 माननीय सदस्यों के निधन पर माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस (आई), नेता जनता दल (अ), नेता समाजवादी पार्टी, नेता जनता पार्टी ने अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मैं काजी कलीमुर्रहमान, जो जनपद आजमगढ़ के थे, मेरे जनपद से सटा हुआ जनपद है 25 तारीख को जिस दिन पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था, उस दिन उनकी कुछ असामाजिक तत्वों ने, जब वह दीपावली मिलकर घर लौट रहे थे हत्या कर दी । श्रीमन्, बहुत ही जागरूक साहसी और कर्मठ व्यक्ति थे जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता था । श्रीमन्, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से खासतौर से जिला प्रशासन आजमगढ़ को बधाई देना चाहता हूं कि 25 तारीख को घटना हो रही है और 28 तारीख को इस सदन में निधन की सूचना पहुंच रही है मैं चाहूंगा जैसा कि सभी सम्मानित दल के नेतागणों ने बताया कि 1974-75-76 में निधन हुआ और सूचनायें अब आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि उदाहरण स्वरूप आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने इतनी जल्दी सूचना भिजवा कर जो ख्याति प्राप्त की है इसी तरह से चाहे वह हमारे वर्तमान सदस्य का निधन हो और चाहे हमारे भूतपूर्व सदस्य का निधन हो सूचनायें जल्दी से जल्दी आनी चहिए । ताकि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें । श्रीमन्, मैं अपने और अपने दल की ओर से आपसे आग्रह करूंगा कि इन 19 सम्मानित सदस्यों के परिवारजनों तक हमारी शोक-संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जिन 19 माननीय सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये हैं में उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । आज इस अवसर पर जब हम इस सूची को देखते हैं तो आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व जिन माननीय सदस्यों का निधन हुआ है सूची में उनके नाम हैं । जब हम पिछली बार पिछले सत्र में शोक-संवेदना अर्पित कर रहे थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऊदल जी ने मऊ जनपद के एक माननीय सदस्य जो मऊ जनपद के माननीय सदस्य रह चुके हैं हबीबुर्रहमान, जिनको पद्मश्री भी मिली है, के बारे में सदन के संज्ञान में यह बात लाई गयी थी कि उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके नाम की सूचना मंगवा ली जाये. लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के संज्ञान में यह बात लाने के बाद भी सूची में उनका नाम नहीं है । कई लोग ऐसे हैं कि सूचना देने के बाद भी प्रशासन सूचना नहीं देना चाहता है तो निश्चित रूप से प्रशासन में किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी चाहिए । अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है इसका पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । 19 सदस्य हमारे बीच से चले गये । कई एक ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़कर हिस्सा लिया, कुछ तो अपनी आयु पूरी करके दिवंगत हुए हैं कुछ लोगों की असामायिक मृत्यु हुई है 38-40 साल में दुनिया को छोड़कर चले गये हैं इससे अपार कष्ट होता है । कई सदस्य ऐसे हैं जैसे प्रताप बहादुर सिंह, राम दुलारे मिश्र, श्री सुगन चन्द मजदूर, श्री राम अनन्त पाण्डेय वगैरह, इनका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया । श्रीमती विद्यावती राठौर ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके रास्ता दिखाया । काजी कलीमुर्रहमान का उल्लेख करना चाहता हूं । वह मृदु भाषी, सरल स्वभाव के थे । चन्द दिनों पहले उनकी दीवाली को हत्या कर दी गयी । इन 19 सदस्यों के प्रति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

[समय 1 बजकर 10 मिनट]

मैं 19 सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से इनके शोक-संतप्त परिवार-जनों को शोक संवेदनायें पहुंचायें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इस सदन के 19 माननीय सदस्यों के निधन पर जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेतागणों ने अपने उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, एक बात मुझे याद आ रही है कि पिछले दोनों दफा सदन में इस बात का उल्लेख हुआ था कि माननीय भूतपूर्व सदस्यों का निधन वर्षों वर्ष पहले हो चुका है और दस-दस बीस और अट्ठारह-अट्ठारह साल बाद यह सूचनायें आ रही हैं इसको गम्भीरता से लिया जाये । मगर दोनों बार उल्लेख होने के बाद भी इस बार भी मैं देख रहा हूं कि माननीय हबीबुर्रहमान आजमी, जिनको पद्मश्री का अलंकरण मिल चुका है, पिछली दफा माननीय ऊदल जी ने भी उल्लेख किया था उनका नाम छूट गया है इस बार भी शामिल नहीं किया गया । यह एक गम्भीर मामला है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को आप संजीदगी से लें । सदन में उसका उल्लेख हो जाता है बार-बार उल्लेख हो रहा है उसके बावजूद भी इस तरह की ढिलाई बरती जा रही है । मैं आपसे स्वर्गीय सदस्यों के बारे में गुजारिश करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवारजनों को शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के 19 भूतपूर्व सदस्य जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके बारे में शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे खुद को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार 19 पूर्व सदस्य विधान सभा के प्रति प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, हमारे बलिया जिले के राम अनन्त पाण्डेय एक स्वतंत्रता सेनानी थे । आप सन् 52 तथा सन् 62 में विधान सभा सदस्य रहे । माननीय राम सूरत सिंह इस विधान सभा में सन् 1969 में सदस्य रहे आप फिर विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । जिला परिषद् गाजीपुर के भी चेयरमैन रहे हैं । वे सन् 1932 और 1942 में देश की आजादी में लड़ाई लड़े और लगातार 7 वर्षों तक वह जेल में रहे । मान्यवर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तरफ से माननीय राम सूरत सिंह के परिवार को मेरी संवेदना प्रकट करेंगे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असह्य दुख को सहने की ताकत प्रदान करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काजी कलीमुर्रहमान के बारे में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वे एक निहायत शरीफ और साहसी व्यक्ति थे लेकिन 25 तारीख को दीपावली के दिन उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी। उनके भी परिवार को इस दुख को सहने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करे। मेरी और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के 19 भूतपूर्व माननीय विधायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दल के माननीय नेताओं द्वारा प्रकट किये गये शोकोद्गार से मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। इन पूर्व सदस्यों में कुछ माननीय सदस्यों से मेरा व्यक्तिगत परिचय था। श्री शीतला दीन द्विवेदी इलाहाबाद जनपद के थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित था। वे एक राजनीतिज्ञ एवं मार्गदर्शक थे। वे अपने ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जनपद में उनका नाम लिया जाता था। वे एक कर्मठ, ईमानदार एवं सच्चे समाजसेवी थे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया। वे डायरेक्टर सेट्रल कोआपरेटिव बैंक रामनगर, इलाहाबाद, सदस्य, जिला बोर्ड, इलाहाबाद, चेयरमैन शिक्षा समिति, इलाहाबाद, भारत सेवक समाज के जिला चेयरमैन, अध्यक्ष, महाराणा प्रताप विद्यालय मेजा, अध्यक्ष, सूखा सहायता समिति, इलाहाबाद रहे। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। आपने कुछ लेख एवं "हिन्द के हीरे" का प्रकाशन किया। संगीत में आपकी विशेष रुचि थी। श्री इन्द्र पाल सिंह अलीगढ़ के विधायक थे। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे। श्री उमाकान्त बाजपेयी वर्ष 1969 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर से जनसंघ के टिकट पर सर्वप्रथम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में जनता पार्टी व 1989 के सामान्य निर्वाचन में निर्दलीय के रूप में पुनः निर्वाचित हुए थे। चौधरी नौनिहाल सिंह मेरे लिए बड़े भाई के रूप में थे। उनकी विशाल सहृदयता एक बहुमूल्य धरोहर थी। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनका बहुत ही योगदान था। श्री अनिल कुमार भारद्वाज का 26/27 जून, 1992 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। वे मात्र 39 वर्ष की अल्पायु के थे। हमारा साथ छोड़कर जाने की उनकी यह कोई आयु नहीं थी। परन्तु ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था। श्री ओबेर्दुहमान खान शेरवानी का निधन 5 मई, 1992 को अलीगढ़ में हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे। राजनैतिक क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा। वे 1937 तथा 1946 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ से विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। श्रीमती विद्यावती राठौर का निधन 1 सितम्बर, 1992 को हो गया। वे लगभग 90 वर्ष की थीं। उन्होंने यह दिखा दिया कि महिलायें एक बार जो निश्चय कर लेती हैं, फिर उससे पीछे हटती नहीं हैं। श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी का निधन 5 अक्टूबर, 1992 को हो गया। वे लगभग 50 वर्ष के थे। उनसे मेरा एक-दो बार का परिचय था। उनका निधन ट्रेन में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। उनके निधन से उनके निर्वाचन क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति हुई है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी का निधन 6 अक्टूबर, 1992 को नई दिल्ली में हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। उनके निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। श्री राम अनन्त पाण्डेय का निधन 7 अक्टूबर, 1992 को हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। ये 1952 तथा 1967 में कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम अनन्त पाण्डेय के निधन से बलिया जनपद को भारी क्षति हुई है। श्री काजी कलीमुर्रहमान की 25 अक्टूबर, 1992 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। वे लगभग 42 वर्ष के थे। वे 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र

गोपालपुर जिला आजमगढ़ से निर्वाचित हुए थे । क्षेत्र की उन्नति के लिए वे सदैव लगे रहते थे । उनके निधन से जनपद आजमगढ़ को भारी क्षति हुई है । श्री मकबूल अहमद का निधन 14 जुलाई, 1992 को हो गया । वे लगभग 76 वर्ष के थे । वे वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र स्वार टाण्डा जिला रामपुर से निर्वाचित हुए थे । उनके निधन से जनपद रामपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी खो दिया । श्री राम रूप सिंह का निधन 17 जून, 1992 को हो गया । वे लगभग 91 वर्ष के थे । वे 1962 के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । इनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

श्री महाबीर सिंह का निधन 20 जनवरी, 1991 को हो गया । वे लगभग 89 वर्ष के थे । वे सर्वप्रथम 1962 में निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । उनके निधन से जनपद बुलन्दशहर को भारी क्षति हुई है । श्री राम सूरत सिंह का निधन 11 दिसम्बर, 1985 को ब्रेन हेम्रेज होने के कारण हो गया । वे लगभग 80 वर्ष के थे । वे 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । इनके निधन से जनपद गाजीपुर को भारी क्षति हुई है । श्री राम दुलारे मिश्र का निधन 11 मई, 1979 को हो गया । वे लगभग 74 वर्ष के थे । वे 1952 में तथा 1972 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे समाचार-पत्रों के सम्पादक भी रहे । इनके निधन से जनपद कानपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी खो दिया है । श्री प्रताप बहादुर सिंह का निधन मई, 1976 में हो गया । वे लगभग 69 वर्ष के थे । वे 1957 में निर्वाचन क्षेत्र फखरपुर जनपद बहराइच से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनके निधन से जनपद बहराइच को भारी क्षति हुई है ।

श्री सुगन चन्द मजदूर का निधन 10 जून, 1992 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । वे लगभग 73 वर्ष के थे । वे सन् 1962 तथा 1967 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनके निधन से जनपद मुजफ्फरनगर को भारी क्षति हुई है । श्री रघुराज सिंह का निधन 25 जून, 1992 को वाराणसी में हो गया । वे लगभग 67 वर्ष के थे । वे 1974 के सामान्य निर्वाचन में जनपद देवरिया से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनके निधन से जनपद देवरिया को भारी क्षति हुई है । इन सब दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं । यह बात सत्य है कि कुछ माननीय सदस्य ऐसे होते हैं, जिनकी 16–18 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का इतनी देर से मौका मिला । 11 फरवरी, 1992 को शासन से अनुरोध किया गया था कि सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए स्पष्ट निर्देशित कर दें कि किसी भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य की मृत्यु होने पर तत्काल ही सदन को सूचना भेजी जाय । शायद इसी सूचना के अनुपालन में 1974, 1976 और 1977 में जिन माननीय सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनके बारे में ये सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । मैं उन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ ही उनके परिवार को इस कष्ट को सहने के लिए ईश्वर शक्ति दे । मैं इस सदन की शोक-संतप्त भावनायें दिवंगत विधायकों के परिवार को भेज दूंगा । दो मिनट का मौन रखकर हम सब उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दें ।

(दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

भूतपूर्व उप राष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन तथा आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, हाल ही में देश की 3 महान विभूतियां हमारे बीच से उठ गयी हैं उनमें से भारत के भूतपूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एम० हिदायतुल्ला साहब हमारे बीच में नहीं रहे । उनका निधन 18 सितम्बर, 1992 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । वह 87 वर्ष के थे । उनका जन्म 17 दिसम्बर, 1905 में मद्रास में हुआ था । उन्होंने नागपुर तथा कैम्ब्रिज में शिक्षा ग्रहण की थी और वह नागपुर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे । उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऊंचे कीर्तिमान स्थापित किये । वह पहले व्यक्ति थे जो सबसे कम आयु में सरकारी वकील बने, वह पहले व्यक्ति थे जो कम आयु में महाधिवक्ताओं के पद पर आसीन हुए, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को सुशोभित किया और वह पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने सबसे कम उम्र में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को सुशोभित किया । इस प्रकार के उदाहरण कम मिलेंगे । वे सर्वधर्मसमभाव में विश्वास करते थे, सभी का विश्वास उनको प्राप्त था, महान राष्ट्र भक्त थे, जीवन में सदैव उन्होंने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया । 31 अगस्त, 1989 से लेकर 30 अगस्त, 1984 तक वे इस महान भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे और पदेन सभापति राज्य सभा तथा कुछ दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इस राष्ट्र की सेवा की है, वह सदैव स्मृति में रहेंगे । उनके रूप में आज हमने एक महान न्यायविद, एक महान संविधान विशेषज्ञ और भारत का एक महान सपूत खो दिया है । मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आदरणीय एम० हिदायतुल्ला जी के प्रति बड़े सम्मान के साथ अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने के लिए और पूरे राष्ट्र को भी इस गहरे दुख को सहन करने के लिए धैर्य और साहस प्रदान करे । श्रीमन्, आपसे प्रार्थना है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोकाकुल परिवार को संवेदना संदेश भेजने का कष्ट करें ।

इसी कड़ी में एक महान व्यक्तित्व माननीय श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन हमारे बीच नहीं रहे । पिछले कुछ दिनों पूर्व जब वे लखनऊ पधारे थे तो मुझे पहली बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मैं उनके साथ लगभग डेढ़ घण्टे तक रहा । मैंने यह पाया कि श्री पटवर्धन जी एक बहुत महान व्यक्तित्व के धनी और मौलिक चिन्तक थे, इस आयु में भी, मैंने देखा, उनमें क्रान्ति की ज्वाला धधकती थी । आर्थिक विषमताओं, सामाजिक विषमताओं के प्रति उनके मन में आक्रोश देखा । उन्होंने सदैव समाज के उस वर्ग की लड़ाई लड़ी जो युगों से मानवीयता के अधिकारों से भी वंचित रहा है । उनका निधन 5 अगस्त, 1992 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । उनका जन्म 5 जनवरी, 1905 को महाराष्ट्र में हुआ था । वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उन्होंने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, पूज्य महात्मा गांधी के सान्निध्य में आने के बाद से, उनके विचारों से प्रभावित होकर, उन्होंने संकल्प लिया था कि जीवन भर वे किसी पद को ग्रहण नहीं करेंगे और इस व्रत का पालन करके उन्होंने दिखा दिया । यह कैसा अनुकरणीय उदाहरण है जो न केवल आज की पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण है और उन्हें प्रेरणा देगा । राष्ट्रवाद की आग उनके अंतःकरण में जलती थी । उनके उठ जाने से जो क्षति हुई है वह अपूर्णनीय है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति बड़े सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि

उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

श्रीमन्, इसी कड़ी में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल जी हमारे बीच से उठ गये । देश की आजादी की जंग और आजाद हिन्द फौज यह दोनों एक प्रकार से पर्यायवाची हैं । देश को आजाद कराने के लिए जिस पीढ़ी ने सीधा संघर्ष किया, जिन्दगियों की आहुतियां दे डालीं, परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, हम उनके प्रति नतमस्तक हैं । उसी काल खण्ड में, आदरणीय नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिन्द फौज में उनको उच्च पद पर नियुक्त किया गया । उस आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों ने, यह आजादी के मतवाले सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ी उसका भी देश की आजादी में बड़ा भारी योगदान है । उस आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल, जिन्होंने बड़ी योग्यता के साथ आजादी की उस लड़ाई के संचालन में योगदान दिया था, आज अपने बीच में नहीं हैं । उनका निधन 16 अक्टूबर, 1992 को हो गया । उनका जन्म 1917 में जालंधर में हुआ था । वे नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के सानिध्य में रहे और उनके विरुद्ध लाल किले में जो ऐतिहासिक मुकदमा चला, उन्हें अभियुक्त बनाया गया था । स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उस ऐतिहासिक मुकदमें की पैरवी की थी । ऐसे महान सेनानी के प्रति मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से बड़े सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । मेरी आपसे विनम्र शब्दों में यह प्रार्थना है कि देश के इन तीन महान पुरुषों, महान विभूतियों के शोक-संतप्त परिवारों तक मेरी और मेरे दल की संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, नेता सदन ने जिन तीन महान विभूतियों के बारे में अपनी शोक-संवेदनायें व्यक्त कीं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति एम० हिदायतुल्ला साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी था । उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन से जो जीवन की यात्रा प्रारम्भ की, जैसा कि माननीय नेता सदन ने उल्लेख किया, उसका अगर विश्लेषण किया जाये तो ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि की हो । मान्यवर, हिदायतुल्ला साहब से मेरा व्यक्तिगत परिचय था और मैंने उनको बड़े करीब से देखा था । इतने बड़े-बड़े पदों पर आसीन रहने के बावजूद भी उनके स्वभाव में कहीं भी लेशमात्र इस बात का यह पता न चलता था कि जिससे यह लगे कि उनके मन में कहीं घमण्ड हो, कहीं भी इस बात का गर्व नहीं था कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े पदों को सुशोभित किया हो । मान्यवर, हिदायतुल्ला साहब अधिवक्ता के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायधीश के रूप में, उप राष्ट्रपति के रूप में तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अगर उनके हर कार्यकाल का विशलेषण करें तो हम यह पायेंगे कि जिस पद को उन्होंने सुशोभित किया वह पद उनके व्यक्तित्व से गौरवान्वित हुआ न कि वह उस पद से गौरवान्वित हुए । इसलिए मैं कहता हूं कि उन जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस देश में या दुनियां में बहुत कम मिलते हैं । वह गांधीवादी विचारधारा के थे और उन्होंने देश के लिए हर क्षेत्र में विशिष्ट रूप में अपना योगदान दिया उसे यह देश आसानी से भुला नहीं पायेगा और यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देता रहेगा । मान्यवर, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को आपके माध्यम से शोक-संवेदनायें देता हूं और

आपसे आग्रह करता हूं कि उनके परिवारजनों तक इन संवेदनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे ।

मान्यवर, श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन जी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । जहां वह एक ओर समाजवादी चिन्तक थे, वहीं इस देश को उन्होंने एक दर्शन दिया, एक सोच दिया । जीवनपर्यन्त उन्होंने बिना कोई पद ग्रहण किये हुए इस देश की जो अभूतपूर्व सेवायें की हैं, वह भुलाई नहीं जा सकतीं । जीवन के अन्तिम दिन जब वह बनारस आये थे, जहां उनका दुखद निधन हुआ, उस दिन वह एक सेमिनार में भाग लेने आये थे, वह लगातार विचारों को फैलाने में, रूढ़ियों को तोड़ने में सक्रिय रहे । आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान देने वाले सेनानी ऐसे बिरले ही मिलेंगे, जिनके लिये तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम भी रखा था, उनको जिन्दा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ने के लिये । उन्होंने समाजवादी आन्दोलन को अपनी व्यवस्था से, अपने व्याख्यानों से, अपने लेखों से, अपने कार्यों से बहुत योगदान दिया है । मान्यवर, वह एक ऐसे स्वाधीनता आन्दोलन के नायक थे, जिनके विचारों से आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करेंगे । साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, चूंकि उन्होंने आजीवन शादी नहीं की थी, लेकिन उनके लाखों परिवारजन पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको भी हमारी ओर से शोक-संवेदना भेजने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से कर्नल सहगल साहब, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर अपना जीवन आरम्भ किया और 1942 में जब सिंगापुर में ब्रिटिश आर्मी ने सरेन्डर किया, आत्मसमर्पण किया तो जब वह जापान की गिरफ्त में आ गये, तभी वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सानिध्य में आये और वह इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गये और मिलेट्री कमान्डर तथा सेक्रेट्री के रूप में जो अभूतपूर्व योगदान आजादी की लड़ाई में किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता । मान्यवर, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब महात्मा गांधी ने शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन करके, असहयोग के माध्यम से देश को आजाद कराने का काम किया, वहीं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने फौज बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ बर्मा की सरहद पर लड़ाई लड़ी, उसमें मान्यवर, तीन आदमी शहनवाज खां, ढिल्लन साहब और सहगल साहब के नाम प्रमुख हैं उनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकता रहेगा और उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा । श्री सुभाष चन्द्र बोस के जब इन तीन कमान्डरों के ऊपर लाल किले में अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तो उस समय श्री भोला भाई देसाई व पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके मुकदमें की पैरवी की थी । वह मुकदमा एक अभूतपूर्व मुकदमें के रूप में हमेशा याद किया जायेगा । हजारों की संख्या में जन समुदाय उमड़ पड़ा था और यह दबाव डाला गया था कि इन तीनों कमाण्डरों को तत्काल रिहा किया जाय और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था । इस प्रकार ढिल्लन साहब को, शाह नवाज खान साहब को व श्री सहगल साहब को वहीं रिहा करना पड़ा । श्री सहगल साहब दिल्ली जा रहे थे कि अचानक हृदय गति रुक जाने से स्टेशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई । ऐसे महान सपूत के प्रति मैं और मेरा दल शोक संवेदना प्रकट करता है और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की ओर से संवेदना के ये भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति व प्रसिद्ध न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला जी के निधन से एक महान संविधान विशेषज्ञ व देश के प्रति समर्पित व्यक्ति का अन्त हो गया है, जिसका जन्म ही न्याय व गरीबों की भलाई के लिए हुआ था । वह अपने जीवन में जहां भी रहे, उन्होंने जो संकल्प

लिया था, हर जगह कोई न कोई कीर्तिमान बनाया । जैसा माननीय नेता सदन ने कहा कि वह न्यायाधीश के रूप में, सरकारी वकील के रूप में और महाधिवक्ता के रूप में तथा मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम उम्र में उन्होंने इन पदों को सुशोभित किया । परन्तु उनकी विद्वता के समक्ष उनकी उम्र आड़े नहीं आयी । वकालत के पेशे में रहने के कारण, कई ऐसे अवसर आये, जब न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला जी के निर्णयों को पढ़ने का अवसर मिला । यही कह सकते हैं कि वह एक महा-मानवतावादी व देश को समर्पित व्यक्ति थे । न्याय की तुला उधर को ही घूमती थी, जिधर को गरीबों का हित होता था । उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था, जिनको उनकी आवश्यकता थी । भारतवर्ष के वह मुख्य न्यायधीश थे, वहां भी उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को गरिमापूर्ण ढंग से निभाया । वह एक महा मानवतावादी, कानूनी जगत के देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हमेशा याद किये जाते रहेंगे । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक-संवेदना के ये भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसी दौरान स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम याद आते ही स्वतंत्रता संग्राम की आग अपने आप प्रज्वल्लित होने लगती थी । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था । कांग्रेस का ऐतिहासिक बम्बई सम्मेलन हुआ था । उसमें चार नाम ऐसे थे, जिन्हें आजादी के दीवानों के रूप में याद किया जायेगा । श्री लेहिया जी, श्री जय प्रकाश नारायण जी, श्रीमती अरुणा आसिफ अली जी व चौथा नाम श्री अच्युत पटवर्धन जी का था । श्री अच्युत पटवर्धन जी एक महान नेता थे । जो आजादी की लड़ाई के दौरान करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत व आदर्श बने । हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के दौरान हजारों लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपनी कुर्बानियां दे दीं । उन्हीं कुर्बानियों की वजह से 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश आजाद हो सका । मान्यवर, अगर हम देखें और उनके जीवन के बारे में सोचें भले ही आज एक लाख रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखती लेकिन जिन परिस्थितियों में बर्तानियां सरकार ने उनको जीवित या मृत पकड़ने पर एक लाख रुपये का इनाम रखा था तो इससे साफ अन्दाजा हो जाता है कि उनसे अंग्रेज हुकूमत कितनी आतंकित थी । ऐसे वीरों का जन्म हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए होता है । लेकिन बर्तानिया सरकार के मनसूबे धरे रह गये और उनको जीवित या मृत नहीं पकड़ा जा सका और वह भूमिगत और बाहर रह कर सरकार की धज्जियां उड़ाते रहे । उनका जीवन भारत की आजादी में प्रमुख रहा और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में तीन जनपद ऐसे थे जिन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया उसमें उत्तर प्रदेश में बलिया में चित्तू पाण्डेय का प्रशासन चौदह दिनों तक चला और बंगाल में मेदनीपुर और महाराष्ट्र में सतारा स्वतंत्र रहे । सतारा को आजाद कराने में उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जायेगा और इस महान क्रान्तिकारी को आने वाली पीढ़ी हमेशा सलाम करती रहेगी । ऐसे कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो जीवन पर्यन्त देश और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं । आजादी के बाद भी उन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया । उन्हें लगा कि देश में सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता है इस भावना के रहते वह एनीवेसेंट की प्रभाव में आये और उन्होंने सर्वधर्म समभाव का सम्पूर्ण विश्व में प्रचार और प्रसार किया और उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दिया । उनके निधन से एक महान आजादी के सपूत की मशाल बुझ गयी, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, उन्होंने देश सेवा में अपना विवाह नहीं किया यह कहना गलत होगा कि उनका कोई परिवार नहीं है सम्पूर्ण भारत उनका परिवार था । आजादी के इस महान सपूत को प्रणाम करते हुए मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है । वे कांग्रेस सोसलिस्ट मूवमेंट के ऐसे

नायक थे जिनको कभी भूला नहीं जा सकता है और देश की आजादी के इतिहास में उन्हें सदा सर्वदा याद किया जाता रहेगा । मान्यवर, गुलाम भारत में आजादी की ज्योति जगाने के लिए सबका एक ही लक्ष्य था । उस आजादी का रास्ता दिखाने के लिए कुछ लोगों ने गांधी जी का रास्ता चुना और कुछ लोगों ने सुभाष चन्द्र बोस का रास्ता चुना । नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था कि आजादी की लड़ाई तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक बर्तानियां सरकार पर बाहर से दबाव नहीं पड़ेगा उस मंतव्य को पूरा करने के लिए जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने देशवासियों से कहा कि "तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा" । तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण नायक के रूप में सामने उभर कर आये और आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये उनमें से एक कर्नल पी० के० सहगल अकेले नहीं हैं बल्कि उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई भी उस फौज की संचालिका बन गयीं जिन्होंने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के हाथों को मजबूत किया और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । आज इन दोनों विभूतियों को जो जीवन पर्यन्त आजादी के दीवाने रहे । भले ही आज वह हमारे बीच रहें या न रहें उनकी कुर्बानी को देशवासी याद करते रहेंगे । मैं आग्रह करता हूं कि कर्नल सहगल के परिवारजनों तक मेरी और मेरे दल की संवेदना भेजने की कृपा करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, देश की जिन तीन महान विभूतियों के लिए जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता कांग्रेस (आई) ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री एम० हिदायतुल्ला जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा । वे देश के एक महान विभूति थे जिन्होंने शिक्षा तो विदेशों में पायी लेकिन भारत आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया । श्री हिदायतुल्ला एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिन्कन्स इन में बैरिस्टर बनने की क्षमता दिखायी । लेकिन भारत आने के बाद कालेज आफ ला नागपुर में प्रवक्ता बन कर लोगों का मार्ग दर्शन कर लोगों को प्रभावित किया । उनका सारा जीवन त्यागमय रहा और जीवन के अन्तिम दिनों तक वह समाज सेवा करते रहे । मान्यवर, यह सच है कि युवा अवस्था में ही उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया । वह 1942 में सबसे कम उम्र वाले सरकारी वकील बने । उसके अगले वर्ष ही वह सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता बनाये गये और उसके बाद सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए थे जो इस देश की गौरव की वस्तु है । श्री हिदायतुल्ला भारत के उप राष्ट्रपति, पदेन राज्य सभा के सभापति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया था । मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन की यादगार बनती हैं । मैं समझता हूं कि जब ला कालेज में पढ़ा करता था तो पुलिस प्रशासन के विषय में जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया है उसे पढ़कर देखा जाये तो आज पुलिस प्रशासन को बदलने में काफी मदद मिल सकती है । वह गांधीवादी विचारधारा के पोषक थे । सिविल राइट्स (नागरिक अधिकारों) की लड़ाई लड़ने के लिए वह प्रसिद्ध थे । वह प्रमुख न्यायविद तथा संविधान विशेषज्ञ थे । मानवतावादी के रूप में उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जायेगा । ऐसे व्यक्ति के निधन से देश को अपूर्णनीय क्षति हुई जिसको निकट भविष्य में पूरा करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन का 5 अगस्त, 1992 को निधन हो गया था । इनका नाम लेने के बाद उन महानुभावों की याद ताजा हो जाती है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में महायोद्धा की हैसियत से कूदकर अपना योगदान दिया था । वह स्वयं अविवाहित थे । लेकिन उनका सारा परिवार भारत था । "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" के वह अनुयायी थे । उनके निधन की खबर

सुनकर उनको देखने वालों का तांता लग गया और काशी में राजघाट पर उनके शव को रखा गया। घाट तक उनका शव जाने में मैं समझता हूं कि काशी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों से आंसू न निकल रहा हो। उनका जन्म 5 फरवरी, 1905 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था लेकिन एम० ए० की शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रहण की थी और 1931 में वे इसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। उन्होंने उस वाक्य को याद रखा जिसे पं० मदन मोहन मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कहा था। जीवन पर्यन्त उसकी याद करते रहे और अपना सारा जीवन जनसेवा में लगा दिया और कहा कि हमें न राज्य की कामना है, न सुख की और यदि कोई कामना है तो जनसेवा की भावना है और इसी को लेकर उन्होंने कभी कोई पद नहीं ग्रहण किया।

काशी प्रवास के दौरान ही वे आचार्य नरेन्द्र देव तथा अन्य समाजवादी चिन्तकों के निकट सम्पर्क में आये। वर्ष 1942 में वह महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आन्दोलन में कूद गये। अपनी विप्लवी विचारधारा तथा मान्यताओं के लिये वह अंग्रेज सरकार के कोपभाजन बने जिसने उन्हें सबसे बड़ा उग्रवादी घोषित कर उनके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम रखा जो उस समय बहुत बड़ा था लेकिन भूमिगत होकर वे देश के लिये काम करते रहे। वीर सावरकर के बाद इन्हीं से अंग्रेजों को डर था कि यह लोगों की भावनाओं को आन्दोलित कर सकता है। सच कहा जाय तो उनका जीवन समाजवादी दर्शन के उदात्त आदर्शों के प्रति समर्पित था।

मान्यवर, आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल का जब नाम आता है तो बचपन में एक आवाज सुनते थे जिसकी सुनने के बाद हर नौजवान के रक्त में एक जोश का संचार हो जाता था लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं हैं। मान्यवर, उनका निधन 16 अक्टूबर, 1992 को हो गया। उनका जन्म 1917 में जालंधर में हुआ था। कर्नल सहगल आजाद हिन्द फौज के चोटी के नेताओं में से एक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन को प्रभावी करने के लिये उस महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी है। इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य के रूप में कर्नल शाहनवाज और कर्नल ढिल्लों का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यह वह आदमी हैं जिन्होंने उस समय के इतिहास को देखा है। भारत के लोगों के लिये भी बड़े गौरव का अवसर था कि इन्होंने इन लोगों के लिये जो आजादी की लड़ाई में योगदान दे रहे थे, उन पर कोई दिक्कत आयी तो उनकी सहायता की। स्वतंत्रता का इतिहास इस देश में लिखा गया है और लिखा भी जा रहा है। मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को, उन नवयुवकों को जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन नवजवानों को जेल में कठोर यातनायें सहनी पड़ीं, जिन नवजवानों के ऊपर कहर ढाये गये और जिनके बलिदानों से भारत स्वतंत्र हुआ उनकी याद में इतिहास रचा जाय। इतिहास लिखने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे राष्ट्र भक्त, जिन्होंने राष्ट्र के लिये अपने को समर्पित कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, विशेष रूप से नव भारत का इतिहास रचने की चर्चा हो रही है उसमें इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक-संवेदनायें इन शोक-संतप्त परिवारों को पहुंचाने का कष्ट करें। इनके शोक-संतप्त परिवारों को सहसा यह दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता प्रदान करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी और माननीय नेता जनता दल (अ) ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं तीन महान विभूतियों के प्रति मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, जस्टिस एम० हिदायतुल्ला इस देश के महान सपूतों में से

हमेशा याद किये जाते रहेंगे । बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों में सेवा का अवसर मिले । न्यायविद् और अच्छे प्रशासक होने का भी उन्होंने इस देश को परिचय दिया । वे गांधीवादी विचारधारा से सम्बद्ध थे । उनके निधन से निश्चय ही एक महान न्यायविद् की क्षति हमारे देश को हुई है । हमारा दल उनके निधन से बहुत दुखी है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन इस देश के उन महान सपूतों में से एक हैं जिनसे प्रेरणा लेकर 1942 का आन्दोलन इतना प्रखर हुआ कि 1947 में अंग्रेजों को देश को छोड़ कर जाना पड़ा । बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्र के हित को अपना हित मान कर अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दें । श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन भारत मां के उन सपूतों में से एक हैं जिन्होंने इस देश के भविष्य के लिये अपने जीवन को तन, मन, धन से भारत मां के लिये अर्पित कर दिया । समाजवादी विचारधारा के समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख स्तम्भ, एक तरह से हम लोग जो राजनीति में हैं उन्हीं से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर राजनीति क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । उनके निधन से इस देश को एक बहुत बड़े देशभक्त, महान विचारक का अभाव हुआ है । देखा जाये तो श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन जैसे लोगों की आज आवश्यकता है । हम सब लोग देखें हर क्षेत्र में मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है ऐसे महान सपूतों से प्रेरणा लेकर डूबते समाज को बचाने का काम करें । उनके निधन से हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को अपने नेता का अभाव लग रहा है । आपसे हमारा अनुरोध है कि उनके जो भी परिवारजन हों उनको हमारी श्रद्धांजलि भिजवाने का कष्ट करें । इसी श्रृखंला में कर्नल पी० के० सहगल साहब भारत मां के सपूतों में से हैं जिन्होंने आज आजाद भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का अधिकार दिया है । वह ऐतिहासिक मुकदमा लाल किले का मुकदमा नहीं था । उस मुकदमें से पूरे भारत के नागरिकों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत का एक जज्बा पैदा हुआ । जब तक देश रहेगा बल्कि जब तक सृष्टि रहेगी सहगल साहब के जो कार्य हैं, जो उनके त्याग हैं, जो उनके जीवन का बलिदान है इस देश के लिए, इसको कोई भुला नहीं पायेगा । ऐसे महान सपूत को हमारे दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि उनके परिवारजनों को भिजवाने का कष्ट करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

भूतपूर्व उप राष्ट्रपति श्री एम० हिदायतुल्ला, श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन एवं कर्नल पी० के० सहगल जी के विषय में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस (आई), माननीय नेता जनता दल (अ), माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । भूतपूर्व उप राष्ट्रपति, अच्युत सीताराम पटवर्धन और पी० के० सहगल जी के निधन से इस देश को गहरा आघात लगा है । ऐसे महान व्यक्ति संविधान के विशेषज्ञ तथा न्यायपालिका के उच्च पदों पर निष्पक्ष भावना से काम करने वाले व्यक्तियों के हमारे बीच से उठ जाने पर गहरा धक्का लगा है । इससे हम तथा हमारा दल काफी दुखी है । आपसे आग्रह है कि हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें । अच्युत सीताराम पटवर्धन जी के निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है । पटवर्धन जी एक महान हस्ती थे । आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण और लोहिया जी ऐसे नाम हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित करते हैं । जो समाजवादी चिन्तन से देश की क्षमता को बनाने के लिए संघर्ष करते रहे । ऐसे नेता हमारे बीच से चले गये । इससे हमें तथा हमारे दल को काफी आघात लगा है । मैं आग्रह करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को, एक तरह से उनका पूरा देश परिवार है, उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें । कर्नल पी० के० सहगल साहब आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों

में से थे । आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर थे । आजादी की लड़ाई जो गांधी जी चला रहे थे उनका विश्वास ऐसा हुआ कि बिना बन्दूक का जबाब बन्दूक से दिये देश आजाद नहीं हो सकता है इसको लेकर सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आर्मी गठित हुई ।

[समय 2 बजकर 10 मिनट]

उसके यह कर्नल बनाये गये थे । ऐसे व्यक्ति के हमारे देश से उठ जाने से बहुत ही दुखदाई बात है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से उनके परिवारजनों को शोक-संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री इम्तियाज अहमद–

श्रीमन्, महान मानवतावादी श्री हितायतुल्ला समाजवादी आन्दोलन के एक अग्रणी नेता, चिन्तक और विचारक श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन और आजाद हिन्द फौज के कमाण्डर कर्नल पी० के० सहगल के निधन पर नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किया है मैं और मेरा दल उससे अपने को सम्बद्ध करता है । श्रीमन्, न्यायमूर्ति श्री हितायतुल्ला एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे । उनके जीवन से यह पता चलता है कि सबसे कम उम्र में उन्होंने जिन्दगी की सभी आवश्यक मंजिलें पायीं । वे गांधीवादी विचार धारा के अनुयायी थे और एक प्रमुख संविधान विशेषज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है मानवतावादी के रूप में उनकी सेवायें सदैव याद की जायेंगी ।

श्री राम लखन –

मान्यवर, जो 3 महान विभूतियों के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता जनता दल, माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने शोक-सम्वेदना व्यक्त की हैं, मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, हमने और पूरे देश ने भूतपूर्व महामहिम उप राष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला को खो दिया है । मान्यवर, उनकी विद्वता का जितना हम विश्लेषण करें, कम है । जितनी कम उम्र में उन्होंने इतनी डिग्रियां लेकर और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों पर बैठ कर जो ख्याति प्राप्त की है शायद यह किसी दूसरे के लिए असम्भव है । श्रीमन्, आज हमारे बीच वे नहीं हैं । मैं अपने और अपने दल की तरफ से उनके शोक-संतप्त परिवार को आपके माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप उसे पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसी के तारतम्य में हमने दो ऐसे महान भारत मां के सपूतों को खो दिया है जो इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है । श्रीमन्, यह जो दो महान विभूतियां जिनके विषय में आज हम शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अगर यह कहा जाये कि जो कुछ है वह आज हम अपनी बात खुले आसमान में, खुली जगह स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, जो हम इस सम्मानित सदन में बैठ कर चर्चा कर रहे हैं वह सब उन्हीं लोगों की देन है । मान्यवर, इन भारत मां के सपूतों ने अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है वह राष्ट्र के लिए किया है और सम्पूर्ण देश के लिए किया है । आज वे दो समान विभूतियां भारत मां के सपूत हमारे बीच नहीं है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे और मेरे दल की ओर से पूरा देश, जो उनका परिवार है, पूरे देश में उनकी शोक-संवेदना भेजने की कृपा करें । दूसरे स्वतंत्रता आन्दोलन के स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिन्तक श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन का नाम इतिहास में स्वर्ण अच्छरों में लिखा जायगा । उनके जीवनवृत्त से पता चलता है कि अंग्रेजों को लोहे के चने

चबाने पड़े थे । उनके कार्यों से स्वतंत्रता आन्दोलन में जो उनकी भूमिका थी, उससे नवजवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी । वे भारत छोड़ो आन्दोलन में, जो अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था, कूदे थे । इनकी जनसेवा और जनता के प्रति बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी स्वार्थ के जो सौगंध उन्होंने खाई थी, उसको उन्होंने जीवनपर्यन्त निभाया और आजादी के बाद उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया । किसी पद को न ग्रहण करते हुए समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाया और लाखों करोड़ों अनुयायियों को समाजवाद की विचारधारा अपनाने के लिये प्रेरित करते रहे, यह अपने-आप में मिसाल है । ये महान विचारधारा के थे ।

कर्नल पी० के० सहगल का महत्वपूर्ण योगदान आजादी की लड़ाई में रहा । सुभाष चन्द्र बोस, कर्नल पी०के सहगल, कर्नल शाहनवाज हमारे बीच नहीं रहे । आजाद हिन्द फौज की सेवायें जो हैं, वे याद की जाती रहेंगी । इस देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में आजाद हिन्द फौज के इन तीनों महान विभूतियों को भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, न्यायमूर्ति श्री एम० हिदायतुल्ला एक महान समाजवादी चिन्तक, श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन और आजाद हिन्द फौज के कर्नल पी० के० सहगल के निधन के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं तथा अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

मान्यवर, माननीय एम० हिदायतुल्ला जी कितने प्रतिभावान थे, यह इस बात से ही साबित हो जाता है कि सबसे कम उम्र में सरकारी वकील बन जाना और यहां तक कि महाधिवक्ता बन जाना और यहां तक कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जैसे प्रतिष्ठित, सम्मानित पद पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचना यह अपने आप में साबित कर देता है कि एम० हिदायतुल्ला साहब ही प्रतिभावान व्यक्ति थे और भी दूसरे पद पर रह कर उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले कर के, उप राष्ट्रपति के पद पर रह करके, न्यायाधीश के पद पर रह करके जिस निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वच्छता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया निश्चित ही उनकी यह सेवायें इस सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी याद की जायेगी ।

दूसरे माननीय अच्युत पटवर्धन हैं । हम लोग बचपन में राजनीति में आने से पहले भी उनके नाम को सुना करते थे कि समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े ज्ञाता, विचारक, चिन्तक श्री अच्युत पटवर्धन जी हैं । अपने राजनीतिक जीवन में दो एक जगह पर उनको सुनने का मौका भी मिला निश्चित ही माननीय अच्युत पटवर्धन जी हिन्दुस्तान के समाजवादी विचारधारा के संस्थापकों में अग्रणी थे, आने वाले दिनों में नयी पीढ़ियां भी उनको याद करेंगी ।

तीसरे, माननीय श्री पी० के० सहगल जी हैं, मुझे उनको देखने का मौका आज से 18-20 साल पहले भी मिला था लेकिन मुझसे कभी बातचीत नहीं हुई थी । मुझे याद है कि 3-4 साल पहले मैं एक बार उनके घर गया था और इसीलिये जाने का मौका मिला कि उनकी धर्मपत्नी जो हैं वह, मैं जिस दल में हूं उस दल में हमारी कमेटी की मेम्बर हैं और उनकी एक मात्र संतान सुभाषिनी अली, वह भी स्टेट कमेटी के मेम्बर हमारे साथ हैं, मैं उनके घर एक मीटिंग में गया था । मैंने पहली दफा देखा कि आजाद

हिन्द फौज के सिपाही इतनी लम्बी आयु में हाफ पैन्ट और सफेद बुशर्ट पहनकर लान में घूम रहे थे और मैं जब अकेले उनके घर में बैठा था मीटिंग के बाद तो मुझे लान में बुलवाया। मुझे याद है उनकी बातें, वे बात बहुत कम करते थे। समाज में हमारे देश में जो तमाम बुराइयां व्याप्त हैं, इससे वह खिन्न थे और मुझको एक ही बात कहते थे कि अगर राजनीतिक जीवन में ईमानदारी नहीं है, स्वच्छता नहीं है अगर इसका ख्याल नहीं किया तो राजनीति करना बेकार है और इसलिये वह कहते थे कि मैं राजनीति से दूर हो गया हूं जबकि मेरे परिवार में दो सदस्य हैं और दोनों राजनीति कर रहे हैं, मगर मैं राजनीति से दूर हूं क्योंकि राजनीति की हालत और समाज की हालत देखकर मुझे डर लगता है, राजनीति में गये तो दल-दल में फंस जायेंगे। हमारे अन्दर में बुराई पैदा हो जायेगी। इसलिये राजनीति से दूर हटकर, परिवार के काम में लगा हूं। मुझसे दस-पांच मिनट की बात में उन्होंने यही दोहराया कि राजनीति में स्वच्छ जीवन की बहुत जरूरत है, अगर देश का भला करना है। मैं यह कह रहा था कि इस सदन में बहुत सी बातें आ गयी हैं, इन तीन प्रमुख कमांडरों के विरुद्ध लाल किले में मुकदमा चलवाया गया जिसकी सुनवाई हो रही थी, जिसकी पैरवी पंडित जवाहर लाल नेहरू कर रहे थे, इस ऐतिहासिक मुकदमें में ये मुलजिम थे। इस 75 साल की उम्र में मैने उन्हें देखा, आजाद हिन्द सैनिकों को देखकर कुछ जुझारूपन महसूस होने लगता है, लड़ाकूपन महसूस होने लगता है, 75 साल की उम्र में देखा उसी तरह से चलते फिरते बातें करते। उसी प्रकार से चलना, बोलना, बातें करना और बेहद ईमानदारी से समाज के प्रति देश के प्रति संलग्न रहकर इन तीन महान विभूतियों ने देश की सेवा की। निश्चित रूप से उनकी यादें देश भुला नहीं सकता है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल की भावनायें उद्गार उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, भू० पू० उप राष्ट्रपति हिदायतुल्ला जी, समाज सेवक पटवर्धन जी और आजाद हिन्द फौज के कमांडर कर्नल पी० के० सहगल हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी यशरूपी काया युगों-युगों तक भारत की जनता के बीच में बनी रहेगी। इनके संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारी शोक-संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

विगत तीन महीनों में इस देश की तीन महान विभूतियों का निधन हो गया। 87 वर्ष की आयु में भू० पू० उप राष्ट्रपति, प्रसिद्ध न्यायविद् एवं संविधान विशेषज्ञ, श्री हिदायतुल्ला जी का निधन हो गया। श्री हिदायतुल्ला जी देश के उन महान व्यक्तियों में थे जिन्होंने अपने जीवन को नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति और मानवीयता के पोषण में लगा दिया। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री हिदायतुल्ला जी सबसे कम उम्र के शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के सबसे युवा न्यायाधीशों में थे। सबसे पहले उनसे मेरा परिचय 1965 में हुआ था उसी समय मैंने देखा कि किस तरह से उनके अंदर समाज के लोगों का उत्थान करने की पीड़ा है। एक बार मैं अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा था और उसमें जो उन्होंने टिप्पणियां की थीं न्याय पीठ से बैठकर, ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई व्यक्ति अपने हृदय से बात कर रहा था। दलितों के प्रति, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के प्रति जो कुछ उच्च न्यायालय में उनके द्वारा कहा गया वह हम सबके लिये एक मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बन

गया है । उन्होंने उस समय मुझे प्रोत्साहित भी किया था । उनका वह प्रोत्साहन मेरे लिये अमूल्य निधि बन गयी । उनके निधन से एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ, समाज सेवी हमारे बीच से चला गया ।

स्व० श्री अच्युत सीताराम पटवर्धन जी का 5 अगस्त, 1992 को वाराणसी में निधन हो गया । वाराणसी जो देश की अनेक विभूतियों की शिक्षा स्थली रही है वहीं से समाजसेवी गांधी वादी चिंतक श्री पटवर्धन ने भी शिक्षा प्राप्त की । संयोग से उनका निधन भी वाराणसी में हुआ । श्री पटवर्धन ने यह शपथ ली थी कि सार्वजनिक कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे और उन्होंने अपने उस प्रण को अंत तक निभाया । श्री पटवर्धन का इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था वह इसी से स्पष्ट है । अंग्रेजी शासन ने एक लाख रु० की कीमत जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिये उन पर लगा दी थी । आज उनके निधन से गांधीवाद विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को जो क्षति हुई है, उसको पूरा कर सकना आसान नहीं है ! आजाद हिन्द फौज के ढिल्लन-सहगल-शाहनवाज का नाम बच्चों-बच्चों के मुख पर था, आजादी को हासिल करने के पहले और ऐसा लगता था कि सारे लोग उनकी प्रेरणा से बढ़ते चले जा रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये । श्री सहगल उस समय युवाओं के प्रेरणा श्रोत थे । उनके निधन से हमने एक राष्ट्रवादी व्यक्ति खो दिया है । मैं अपनी ओर से स्व० श्री हिदायतुल्ला व श्री सहगल के शोक-संतप्त परिवार तक आप लोगों की श्रद्धांजलि पहुंचा दूंगा । स्व० सीताराम पटवर्धन का परिवार सभी समाजवादी विचारधारा के अनुयाइयों का परिवार है, उन्हें भी यथासम्भव उचित माध्यम से आपकी संवेदना से अवगत करा दूंगा । अब हम इन सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

28 अक्तूबर, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	पता विवरण
1	2	3	4
1	श्री बसन्त लाल	श्री शिव बालक	ग्राम, पो० बबेरू, बांदा
2	,, जंगी	,, देवीदीन	तदैव
3	,, शिव कुमार	,, शिवरतन	तदैव
4	,, रामकेश	,, रघुनन्दन	ग्राम पाली, जि० बांदा
5	,, राज किशोर यादव	,, गया प्रसाद यादव	ग्राम सिरियाताला समगरा, बांदा
6	,, पूरन लाल	,, बिन्दा प्रसाद	ग्राम चर्भीसा, बांदा
7	,, सीतासरन	,, बाबूलाल	ग्राम नाई, पो० हस्तम, जि० बांदा
8	,, गोपाल	,, देवीदीन	मो० बलखण्डी, नाका, लोधा कुआं, बांदा।
9	,, रामकरन	,, झूरी प्रसाद	लोधन का पुरवा, अतर्रा, बांदा
10	,, इछानन्द	,, लोटन	मोहतरा, बांदा
11	,, राम नरेश	,, लोटन	तदैव
12	,, छोटा	,, जानकी	तदैव
13	श्रीमती भूरी	,, पत्नी चुनुबाद	अतर्रा, जिला बांदा
14	श्री राम स्वरूप	,, राम औतार	बिलगांव, बांदा
15	,,शेखन	,, राम स्वरूप	अतर्रा, बांदा
16	,, ठाकुरदास	,, हरजू	सिविल लाइन्स, बांदा
17	,, मुन्ना लाल	,, बाबूलाल	अलीगंज, बांदा
18	,, रामू	,, बुधुवा	गोशाला, बांदा
19	,, रामस्वरूप	,, नन्हू	मवई, बांदा
20	,, प्रदीप	,, सत्यनारायन	बनेबटा, बांदा
21	,,भइया लाल	,, सोहन	कंवनपुरवा, बांदा
22	,, मदन	,, बल्देव	सिविल लाइन्स, बांदा
23	,, छेदी	,, शिखरपाल	अछाह बबेरू, बांदा

1	2	3	4
24	श्री संतोष	श्री मूल चन्द्र	बांदा
25	,, इम्त्याज	,, मुमताज	छावनी, बांदा
26	,, खलील खां	,, बच्चू	बलखण्डी नाका, बांदा
27	,, खिलावन	,, नन्दू	स्वराज कालोनी, बांदा
28	,, बाबू	,, लोटन	स्वराज कालोनी, बांदा
29	,, बृज मोहन	,, अजगर	ग्राम नाई, पो० हस्तम, बांदा
30	,, जगदीश प्रसाद	,, सीताराम	कटरा, बांदा
31	,, ओम प्रकाश	,, बलबीर	बबेरू, जि० बांदा
32	,, रामसिया	,, परसन	ग्राम व पोस्ट कुरही, जि० बांदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम बुधवार के लिये अता० प्र० सं० 138 का संलग्नक

वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा कराये गये कार्य के ग्रामों की सूची

मेड़बन्दी/भूमि संरक्षण कार्य

1–सिद्धूपुर
2–गोधनी
3–बुजौली
4–पिपरगवां
5–बहादुरपुर
6–गरौनी
7–अरसोंडा
8–जमुआ
9–लुहारी
10–मर्का
11–महेटू
12–गजनी
13–परसोड़ा
14–छरेहटा
15–खपटिहा
16–अमलौर
17–अलौना
18–खरेही
19–रेहुटा
20–गड़ेरिया
21–गौरीकला
22–सिकुआ
23–सिकुड़ला
24–बहुण्डरी
25–करछा
26–मटोध
27–परमपुरवा
28–पथरी
29–लुकतरा

सिंचाई हेतु निर्मित तालाबों के ग्रामों की सूची

1–तेरही माफी
2–गजनी
3–खपटिहा
4–रेहुटा
5–रामपुर
6–मटौंध
7–चमरहा ।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

वर्ष 1990-91 के समस्त वाहनों के मरम्मत पर किये गये मासिक व्यय का विवरण

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/90	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	योग
URL 3096	कार	1982					3221.00	5013.00	330.00	–	617.00	–	–	–	9181.00
GI 8403	,,	1984	1521.51	1895.45	–	–	2283.00	2230.00	750.00	–	4940.00	903.00	–	–	14522.00
UMR 1515	,,	1987	–	1677.00	–	–	–	1139.00	9200.00	–	3500.00	617.00	–	5761.00	21894.00
UMR 6150	,,	1987	–	–	–	–	250.00	–	1646.00	457.00	–	804.00	–	–	3157.00
UMR 6604	,,	1987	–	–	–	–	–	1646.00	–	3450.00	10090.00	–	–	10206.00	25392.00
UAG 3643	,,	1988	–	4128.00	–	–	16600.00	2408.00	–	4654.00	3996.00	–	–	1970.00	33757.00
UAG 182	,,	1988	–	2638.00	1646.00	–	–	732.00	–	–	–	–	–	4370.00	9386.00
UTC 4189	,,	1977	–	943.00	–	–	1518.00	802.00	–	–	1856.00	3989.00	–	2924.00	12032.00
UTC 4042	,,	1977	–	1456.00	–	–	–	2366.00	–	1988.00	570.00	–	–	4883.00	11263.00
URU 7363	,,	1981	2982.18	991.00	–	–	963.00	1485.00	1961.00	–	1711.00	585.00	–	4305.00	14983.18
URL 472	,,	1982	–	4310.00	–	–	–	5749.00	–	–	2583.00	2088.00	–	5252.00	19982.00

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/90	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	योग
URG 176i	कार	1984	–	3929.00	–	–	5314.00	4228.00	2700.00	2542.00	2322.00	–	–	8480.00	29515.00
UAW 9045	,,	1990	–	–	–	–	–	–	–	210.00	826.00	1319.00	–	12909.00	15264.00
UP 78/A 7049	,,	1989	–	–	–	–	10580.00	2800.00	–	–	–	–	–	409.00	13789.00
UAG 4056	,,	1988	–	4213.00	4985.00	4430.00	185.00	–	–	–	–	–	–	–	14413.00
UTL 4008	,,	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
URL 1656	,,	1982	–	1985.00	–	–	1485.00	–	–	–	–	–	–	–	3470.00
URU 6993	,,	1981	–	–	–	–	1497.00	–	–	–	–	–	–	–	1497.00
UGI 4249	,,	1984	–	–	–	–	2105.00	649.00	–	–	–	–	–	–	2754.00
UP 32 F/7201	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7202	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1853	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नयी कार															
UTC 4016	जीप	1977	–	–	–	–	1646.00	4311.00	4397.00	108.00	573.00	3253.00	2985.00	1450.00	18723.00
UTC 4278	,,	1977	–	740.58	–	–	10052.00	2959.00	–	–	2063.00	–	–	888.00	16698.00
UTC 4276	,,	1977	–	–	–	–	784.00	–	–	–	2588.00	–	765.00	1855.00	5992.00
URU 7903	,,	1981	–	4047.00	–	–	295.00	–	–	–	1645.00	–	–	–	5987.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

URU 3782	,,	1981	–	880.00	–	953.00	6040.00	2040.00	1981.50	98.28	4664.00	1910.00	1203.14	2494.00	20737.50
										657.11	1685.00	–	–	–	
UHG 8857	,,	1983	–	734.00	–	–	7355.00	338.00	–	–	327.00	655.00	–	162.00	9571.00
USQ 435	,,	1972	–	2568.00	–	–	348.00	–	5269.00	–	170.00	608.00	–	2064.00	11027.00
UP 32/D 1293	,,	1990	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7093.00	7093.00
UHE 2618	,,	1981	–	–	9118.00	4780.20	–	–	–	–	–	–	–	668.00	14566.20
USK 9074	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1138.95	1338.45	2221.45	122.40	4821.25
USS 9155	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 7789	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 8179	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2706	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2707	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 3472	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 34/6632	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1794	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अवर सचिव विधान सभा

वर्ष 1991-92 के समस्त वाहनों के मरम्मत पर किये गये मासिक व्यय का विवरण

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	योग
URL 3096	कार	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	500.00
UGI 8403	,,	1984	3056.00	1923.00	–	610.00	–	1561.00	–	–	638.00	–	3549.00	–	11337.00
UMR 1515	,,	1987	–	534.00	–	3815.00	523.00	–	–	521.00	875.00	–	2183.00	–	8451.00
UMR 6150	,,	1987	–	755.00	–	–	1528.00	–	–	–	–	–	–	824.00	3107.00
UMR 6604	,,	1988	–	–	–	1445.00	–	–	–	–	1663.00	–	–	410.00	3518.00
UAG 3643	,,	1988	2033.00	3197.00	–	4618.00	–	–	–	–	6351.00	–	1055.00	805.79	12343.79
UAG 182	,,	1988	–	1044.00	2535.00	1955.00	1662.00	–	–	1218.00	–	–	6862.00	727.40	16003.40
UTC 4189	,,	1977	–	5604.00	265.00	801.00	585.00	755.00	–	1861.00	1904.00	–	4248.00	–	16043.00
UTC 4042	,,	1977	–	323.00	–	2601.00	–	–	–	–	1330.00	9480.00	–	525.50	14259.50
URU 7363	,,	1981	2399.00	–	–	2294.00	–	130.00	–	–	–	–	828.00	1540.00	7691.00
URL 472	,,	1982	–	1929.00	370.00	2739.00	–	–	–	–	–	–	2200.00	148.00	7386.00
URG 1761	,,	1984	–	239.00	–	2840.00	261.00	–	–	–	7795.00	9586.00	305.00	976.00	22002.00

UAW 9045	कार	1990	–	–	2660.00	1168.00	–	–	–	–	–	–	514.00	610.00	4892.00
UP 78/A 7049	,,	1989	–	–	–	1506.00	–	137.00	–	–	–	–	97.00	–	1740.00
UAG 4056	,,	1988	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UTL 4008	,,	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4980.00	–	–	4980.00
URL 1656	,,	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
URU 6993	,,	1981	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UGI 4249	,,	1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7201	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7202	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1853	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नयी कार															
UTC 4016	जीप	1977	2060.00	720.00	–	1843.00	–	–	–	3270.00	–	3138.00	205.00	–	11236.00
UTC 4278	,,	1977	–	–	250.00	8777.00	526.00	–	–	–	–	–	231.00	498.00	10182.00
UTC 4276	,,	1977	–	829.00	–	668.00	5835.00	–	–	2287.00	1060.00	–	–	–	10679.00
URU 7903	,,	1981	–	–	–	–	–	–	–	3080.00	2023.00	4797.00	3795.00	–	13895.00
URU 3782	,,	1981	–	982.00	1975.00	3343.00	2530.00	1410.00	6771.50	4976.00	845.00	1840.00	1845.00	2310.00	28827.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	योग
UHG 8857	जीप	1983	–	–	–	–	–	–	–	–	785.00	–	–	–	785.00
USQ 435	,,	1972	–	2464.00	–	165.00	4990.00	812.00	180.00	–	–	4988.00	270.00	–	13369.00
UP 32/D 1293	,,	1990	–	–	–	–	2204.00	–	–	–	785.00	–	1262.00	–	4251.00
UHE 2618	,,	1981	–	–	–	14553.00	3836.00	–	–	–	–	–	–	–	18389.00
USK 9074	,,		–	–	4831.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4831.00
USS 9155	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 7789	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 8179	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2706	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2707	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 3472	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 34/6632	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/G 1794	,,	1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 172 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 172 के उत्तर का संलग्नक

परियोजनाओं की सूची

1– खरेही–1
2– खरेही–2
3– खपटिहा–1
4– खपटिहा–2
5– खपटिहा–3
6– खपटिहा–4
7– खपटिहा–5
8– रेहुटा–1
9– रेहुटा–2
10– अमलौर–1
11– अलौना–2
12– महेन्द्र
13– परसोडा–1
14– परसोडा–2
15– गजनी
16– छरेहटा–1
17– सिंहपुर
18– जमुआ
19– लोहारी
20– भुजौली–1
21– भुजौली–2
22– पिपरगवां
23– गरौती–1
24– अरसोडा–2
25– मरका–1
26– गौरीकला–2
27– गौरीकला––3
28– गौरीकला –4
29– गौरीकला–5
30– गौरीकला–8
31– गौरीकला–10
32– गौरीकला–11
33– गडेरिया–4
34– गडेरिया–6
35– गडेरिया–10
36– गडेरिया–13
37– शिकुहुला–2
38– अमरा–4
39– अमरा–5
40– पथरी–2
41– पथरी–3
42– करछा–1
43– लुकतरा–1
44– परमपुरवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

क्र०सं०	जनपद का नाम	वर्ष 86-87 से वर्ष 91-92 तक निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्गों की संख्या	वर्ष 86-87 से वर्ष 91-92 तक निर्मित पक्के मार्गों की की संख्या
1	2	3	4
1	लखनऊ	_	02
2	रायबरेली	02	02
3	सीतापुर	_	08
4	हरदोई	01	06
5	लखीमपुर	_	05
6	अलीगढ़	_	24
7	एटा	_	10
8	मैनपुरी	_	08
9	शाहजहांपुर	_	55
10	पीलीभीत	_	08
11	गोरखपुर	_	06
12	बस्ती	_	01
13	सिद्धार्थनगर	_	04
14	मऊ	_	04
15	महराजगंज	_	05
16	इलाहाबाद	_	09
17	जौनपुर	_	03
18	प्रतापगढ़	_	03
19	फतेहपुर	_	06
20	जालौन	05	38
21	ललितपुर	_	02
22	झांसी	02	09
23	वाराणसी	_	01

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
24	बलिया	02	03
25	कानपुर	05	61
26	कानपुर (देहात)	04	07
27	फर्रुखाबाद	07	08
28	इटावा	–	12
29	हमीरपुर	01	07
30	नैनीताल	–	51
31	फैजाबाद	–	04
32	बाराबंकी	01	04
33	सुल्तानपुर	02	02
34	गोण्डा	02	05
35	बहराइच	08	05
36	बरेली	–	62
37	बदायूं	–	18
38	मुजफ्फरनगर	–	49
39	मेरठ	–	28
40	गाजियाबाद	–	08
41	बुलन्दशहर	–	41
42	सहारनपुर	–	10
43	हरिद्वार	–	01
44	देहरादून	–	04
45	पौढ़ी गढ़वाल	–	07
46	मुरादाबाद	09	18
47	बिजनौर	04	11
48	रामपुर	04	11
49	मथुरा	02	02
50	आगरा	08	89
51	फिरोजाबाद	01	16
	योग ..	70	763

पी० एस० यू० पी०–एल० 297 विधान सभा (505)–1993–572–(डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा